द्वितीय माला, खण्ड १—अंक ४

१४ मई, १९५७ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) तीन शिलिंग (विदेश में)

29A LSD

विषय-सूची

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	४३
विशेषाधिकार प्रश्न	४३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न सख्या* १, ३, ४, ६ से ११, १३ से १६, १८ से २०, २२ और २३	४३—६६
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १	६६—६८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १७ और २१	६८-६९
अतारांकित प्रश्न संख्या १, २ और ४ से १६	६९—७६
स्थगन प्रस्ताव—	
महबूबनगर रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय	७७-७८
सभापति तालिका	७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७९—८१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि	८१—८६
समितियों में निर्वाचन—	
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्	८६
राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति	८६-८७
भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति	८७
भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति	८७
रेलवे आयव्ययक—१९५७-५८—उपस्थापित	८७—९६
सभा का कार्य	९६
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	९६—१३५
श्री तिरुमल राव	९६—९९
श्री म० प्र० मिश्र	९९—१०३
श्री डांगे	१०३—१०७
श्री हेडा	१०७-०८
श्री उ० च० पटनायक	१०८—१०
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद	११०-११

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[कृपया बाकी मैटर कवर के पृष्ठ तीन पर देखिए

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, १४ मई, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मो० वें० कृष्णप्पा (तुमकुर)

विशेषाधिकार प्रश्न

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : श्रीमान्, एक विशेषाधिकार प्रश्न है । मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना........

†**अध्यक्ष महोदय** : ज़रा एक बात । माननीय सदस्य इस सभा के पुराने सदस्य हैं । वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि विशेषाधिकार प्रश्न किस प्रकार से उठाया जाता है । वे मुझे लिख सकते हैं । तब, यदि मैं उसे विशेषाधिकार प्रश्न समझूंगा तो उस पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

सभा में अब प्रश्न लिये जायेंगे । अनेक माननीय सदस्य नये हैं और वे अपने नाम बता कर मेरी सहायता करें, तब मैं उन्हें पुकारूंगा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

काश्मीर के सम्बन्ध में श्री जारिंग की रिपोर्ट

+

*१. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री सुपाकर :
पं० मु० बि० भार्गव :
श्री बोस :
श्री वोडयार :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के सम्बन्ध में श्री गुनार जारिंग द्वारा सुरक्षा परिषद् को पेश की गई रिपोर्ट की प्रति भारत सरकार को मिल चुकी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की एक नक़ल मेज़ पर रख दी गई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]

श्री श्रीनारायण दास : क्या प्रधान मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री जारिंग ने कहीं किसी जगह इस तरह का विचार व्यक्त किया है कि उन्हें भारत सरकार ने काश्मीर जाने की अनुमति नहीं दी ? अगर नहीं तो पाकिस्तान प्रेस में जो इस तरह का समाचार छपा है उसके खंडन के लिए क्या किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, श्री जारिंग ने इस तरह का विचार कहीं प्रकट नहीं किया है और यह बिलकुल ग़लत बात है। हम ने तो उनसे कहा था कि अगर आप काश्मीर जाना चाहते हैं तो बखुशी जायें, उन्होंने कहा था ख़ाली हम से नहीं बल्कि जहां तक मुझे मालूम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी कहा था कि वह काश्मीर के किसी हिस्से में नहीं जाना चाहते, न उस हिस्से में जो कि पाकिस्तान के कब्ज़े में है और न बाक़ी काश्मीर में, चुनाचे जाने का सवाल ही नहीं उठा। हम तो खुश होते अगर वह जाते।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या हमें इस उत्तर का अंग्रेजी रूपान्तर मिल सकता है ?

[इस के पश्चात् उतर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। अनेक माननीय सदस्य सभा के लिये नये हैं। मैं संक्षेप में उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये जो माननीय सदस्य खड़े होते हैं उन्हें मैं किस ढंग से पुकारूंगा। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि इन प्रश्नों में अनेक नाम सम्मिलित किये गये हैं। ये उन सभी माननीय सदस्यों के हैं जिन्होंने इसी विषय पर स्वतंत्र रूप से प्रश्न दिये थे। जब एक व्यापक प्रश्न गृहित किया जाता है तो उसमें अन्य सदस्यों के नाम भी जोड़ दिये जाते हैं। इसलिये, मैं पहले उन सदस्यों को एक या दो अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये अवसर दूंगा जिनके नाम प्रश्न में जोड़े जाते हैं। फिर मैं चारों ओर नज़र घुमा कर देखूंगा और यदि कोई अन्य सदस्य प्रश्न पूछना चाहेगा तो मैं विषय-वस्तु के महत्व के अनुसार अनुपूरक प्रश्नों की संख्या सीमित कर दूंगा। श्री बोस

†**श्री सुपाकर :** सूची में मेरा स्थान तीसरा है।

† **अध्यक्ष महोदय :** मैं ने श्री बोस का नाम पुकारा है। सूची में उनका भी नाम है।

†**श्री बोस :** क्या श्री गुनार जारिंग ने अपनी यात्रा के दौरान में कश्मीर के बख्शी गुलाम मुहम्मद जैसे नेताओं का दृष्टिकोण जानने का भी प्रयास किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्री जारिंग ने यह स्पष्ट कह दिया था कि वे केवल दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों से ही भेंट करना चाहते हैं, अन्य किसी से नहीं। उन्होंने गैर-सरकारी ढंग से अन्य किसी से भेंट की या नहीं यह मुझे मालूम नहीं।

†**श्री सुधाकर** : काश्मीर के विषय में यह गत्यवरोध कब तक जारी रहेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन ही नहीं होता।

†**श्री वोडयार**: स्वीडन के विदेश मंत्री ने काश्मीर-विवाद के बारे में अपनी संसद् में जो वक्तव्य दिया था क्या श्री जारिंग के प्रतिवेदन पर उसका प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं। मेरा तो विश्वास है कि श्री जारिंग ने अपना प्रतिवेदन इस प्रश्न से सम्बन्धित अपने अनुभवों और अध्ययन के आधार पर तैयार किया है और उस पर अन्य किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ा है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सुरक्षा परिषद् ने निकट भविष्य में ही इस प्रतिवदन पर विचार करने का निश्चय किया है और यदि हां, तो इसके लिये कौन सी तारीख निश्चित की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं। हमारे पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि सुरक्षा-परिषद् इस पर कब विचार करेगी।

†**श्री कासलीवाल** : क्या इस प्रश्न पर सुरक्षा परिषद् में चर्चा होने से पहले इसके राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में आने की कोई संभावना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हम वहां पर ऐसे विषयों की चर्चा नहीं करते।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा। मैं काफ़ी प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : प्रश्न संख्या २ का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह २० तारीख के लिये स्थानांतरित कर दिया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

†*३. { **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
+
श्री सावन गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती इला पाल चौधरी : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बसाये जाने के लिये बेतिया भेजे गये पूर्वी पाकिस्तान के २५,००० शरणार्थियों में से ९००० शरणार्थी पिछले एक महीने के भीतर अपने शिविरों को छोड़कर पश्चिमी बंगाल लौट गये हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

† **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** (क) बिहार के बेतिया शिविर में पूर्वी पाकिस्तान के जो २८,०७५ विस्थापित व्यक्ति दाखिल किये गये थे उन में से १०,३५८ १५ अप्रैल तक उस शिविर को छोड़ चुके हैं ।

(ख) शिविर को छोड़ कर चले जाने की घटनायें मुख्य रूप से कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के भ्रामक प्रचार के कारण हुईं जिन्होंने पश्चिमी बंगाल में बसाने की आशा दिला कर विस्थापित व्यक्तियों की भावनाओं को उभाड़ा ।

† **श्री साधन गुप्त:** क्या यह सच है कि शिविर की निवास व्यवस्था और अन्य सुविधायें अत्यन्त खेदजनक थीं और विशेष रूप से शरणार्थियों के परिवारों को केवल १० फुट लम्बे ८ फुट चौड़े तम्बुओं में रखा गया था, और उन्हें पर्याप्त पानी भी नहीं मिलता था आदि—और क्या यह भ्रामक प्रचार है ?

† **श्री मेहरचन्द खन्ना :** यदि माननीय सदस्य बिहार के बेतिया शिविर की निवास संबंधी स्थिति का उल्लेख कर रहे हों तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उस शिविर में स्थिति अत्यन्त संतोषप्रद है । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा बतायी गई छोटी मोटी शिकायतों का सम्बन्ध है, यदि किसी विशेष शिकायत का निदेश किया जाये तो मैं उसकी जांच कराऊंगा ।

जहां तक तम्बुओं का सम्बन्ध है, मुझे व्यक्तिगत रूप से तो पता नहीं, परन्तु तम्बु प्रतिमान आकार के होते हैं और इनको भी उतना ही बड़ा होना चाहिये जितने पश्चिमी बंगाल के हैं ।

† **श्री त्रि० कु० चौधरी :** क्या मंत्री महोदय का ध्यान ४ और ५ अप्रैल के "स्टेट्समैन" के कलकत्ता-संस्करण में उसके विशेष संवाददाता द्वारा भेजी गयी दो विस्तृत ख़बरों और १६ अप्रैल की "अमृत बाजार पत्रिका" के —जो आमतौर पर कांग्रेस सरकार की समर्थक हैं—विशेष प्रतिनिधि द्वारा भेजी गयी विस्तृत ख़बर की ओर आकृष्ट किया गया है जिसका आशय यह है :

> "पीने के पानी की अपर्याप्त व्यवस्था को छोड़ कर, मानव जीवन से संबंधित एक भी सुविधा दिखाई नहीं देती । लोग छोटे छोटे बदबूदार तम्बुओं में रह रहे हैं जो चारों ओर से गंदगी और कूड़े से घिरे हुए हैं । सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नदारद है ।"

और यदि हां, तो सरकार की ओर से इन का खंडन क्यों नहीं किया गया ? कलकत्ते में मंत्रालय का एक प्रतिष्ठान है और वे कम से कम समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ऐसी चीजों का खंडन तो कर ही सकते थे ।

† **श्री मेहरचन्द खन्ना :** मैं स्वयं उस शिविर में गया था । माननीय सदस्य ने जिन दो लेखों का जिक्र किया है उन दोनों को भी मैंने पढ़ा है । कहा जाता है कि वहां जो संवाददाता गये थे उनमें से कुछ ने कहा है कि बिहार के शिविर की स्थिति अन्य स्थानों के शिविरों से—हालांकि मैं इनकी तुलना नहीं करना चाहता—अच्छी है ।

† **श्री गजेंद्र प्रसाद सिन्हा :** क्या बंगाल के एक मंत्री हाल ही में बेतिया शिविर में गये थे और उन्होंने कहा था कि वहां की स्थिति काफ़ी से ज्यादा संतोषप्रद है । और क्या यह सच

---

† मूल अंग्रेजी में

नहीं है कि पश्चिमी बंगाल के कुछ राजनीतिक संगठन गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं और उन्होंने इन विस्थापित व्यक्तियों को बेतिया शिविर छोड़ कर बंगाल में चले जाने की बात सुझायी थी ?

† **श्री मेहरचन्द खन्ना** : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहता। परन्तु जहां तक पहले भाग का प्रश्न है, उसका उत्तर 'हां' है।

† **श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या यह सच है कि ये लोग बेतिया के पुनर्वास केन्द्रों को, जिन्हें संतोषप्रद माना गया है और जहां पर कि शरणार्थी बड़े खुश हैं, छोड़ कर नहीं गये हैं वरन् केवल उन्हीं पड़ावों को छोड़ कर गये हैं जहां इन शरणार्थियों को नौ-नौ महीनों तक रखा गया और और उन्हें पुनर्वास की कोई आशा नहीं रही ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : माननीय सदस्य ने सभा को जो सूचना दी है, अर्थात् हमारी पुनर्वास बस्तियों को छोड़कर कोई नहीं गया है, यह पूरी तरह सही नहीं है। हाल ही में कुछ लोग शिविर को छोड़ कर गये हैं।

जहां तक बेतिया शिविर का सम्बन्ध है, वहां जून, १९५६ में लोगों को भेजा गया था। १ मार्च, १९५७ तक बड़ी संख्या में उस स्थान को छोड़ कर चले जाने की घटनायें नहीं हुईं। आठ या नौ महीनों तक छोड़ कर चले जाने की एक भी घटना नहीं हुई, मेरा तात्पर्य किसी बड़ी घटना से है। बड़ी संख्या में छोड़ कर चले जाने की जो घटनायें हुई हैं वे पश्चिमी बंगाल में निर्वाचन के ठीक पहले, अर्थात् २ और ७ मार्च १९५७ को हुई हैं।

† **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिये जांच आयोग नियुक्त करने से क्यों इंकार कर दिया ? यह सुझाव सभी दलों के नेताओं ने दिया था और इस से यह समस्या कुछ सीमा तक तो हल हो ही जाती ?

† **श्री मेहरचन्द खन्ना** : मुझे इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। परन्तु दस दिन पहले वामपक्षी दलों के कुछ नेता कलकत्ते में मुझ से मिलने आये थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि बेतिया के शिविर की परिस्थितियों की जांच करने के लिये सरकार और सभी वामपक्षी दलों की एक जांच समिति नियुक्त कर दी जाये। मैं ने इसके लिये मना कर दिया, इसका कारण स्पष्ट था और वह यह था कि यदि इस समिति की नियुक्ति कर दी गयी तो बहुत से ऐसे लोग आयेंगे जो इसी प्रकार की सुविधाओं या रियायतों की मांग करेंगे। उस समय मैंने वामपक्षी दलों के सदस्यों से कह दिया था—और सामने बैठे हुए कुछ मित्रों को पुनः मेरा आमंत्रण है कि यदि उनमें से कोई भी उस शिविर को देखना चाहें तो मैं उन्हें सभी सुविधायें दिला दूंगा।

† **श्री ही० ना० मुकर्जी**: मंत्री महोदय के इस वक्तव्य को, कि पश्चिमी बंगाल में अब और स्थान नहीं बचा है, और इस तथ्य को, कि शरणार्थी किसी शिविर को केवल उसी समय छोड़ते हैं जब कि उनको पड़ावों में अस्थायी रूप से रोके रखा जाता है, ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इसी समय हमें बता सकती है कि वह बेतिया और अन्य स्थानों के पुनर्वास केन्द्रों में कुल कितने शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसा सकती है ?

† **श्री मेहरचन्द खन्ना** : इस स्थिति को पूरी तरह समझा नहीं गया है। क्योंकि पश्चिमी बंगाल में निर्वाचन होने के ठीक पहले न केवल बेतिया से वरन् स्वयं पश्चिमी बंगाल की पुनर्वास

---

† मूल अंग्रेजी में

बस्तियों और केन्द्रों को छोड़कर चले जाने की घटनायें हुई हैं। उनकी संख्या लगभग ८,००० से ९,००० थी। बेतिया शिविर और पश्चिमी बंगाल की बस्तियों को छोड़ कर चले जाने वालों की संख्या लगभग १८,००० है। यह बड़ी विचित्र बात है कि पश्चिमी बंगाल के शिविरों और बस्तियों को छोड़ कर चले जाने वालों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, हालांकि वे भी उन्हीं प्लेट फार्मों और उन्हीं सड़कों पर पड़े हुए हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने इस बात की जांच-पड़ताल की है कि गत आम चुनावों के एक दो हफ्ते पहले से कुछ इन्ट्रेस्टिड पार्टीज़ ने बेतिया और कुंवरबाग रेफ्यूजी कैंप में रहने वालों को उकसाया और भड़काया, ताकि बिहार और बंगाल गवर्नमेंट्स को बदनाम किया जाये और चुनाव में कांग्रेस को हराया जाये ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : आनरेबल मेम्बर ने जो कुछ फ़रमाया है, वह बहुत हद तक दुरुस्त है। इस में बिहार गवर्नमेंट का सिर्फ़ इतना ही सवाल था कि उस को बदनाम किया जाये, लेकिन अगर कोई फ़ायदे की बात थी तो वह बंगाल के मुताल्लिक थी।

औद्योगिक विकास

†*४. **श्री ह० चं० माथुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में (कण्डिका ८४२ से ८४४ में) की गई इस सिफारिश पर विचार किया है कि विकास सम्बन्धी व्यय का देश में समन्याय वितरण करने के लिये सरकार को सम्पूर्ण देश के लिये उद्योगों की स्थापना के निमित्त स्थान नियत करने की योजना पर विचार करना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो वह किस निष्कर्ष पर पहुंची है और इस मामले में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

† **उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). यह सच है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिये स्थान निश्चित करने की योजना बनाने के विचार को जन्म दिया था। देश के विभिन्न भागों के औद्योगिक विकास को संतुलित करने और प्रत्येक क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का लाभप्रद ढंग से उपयोग करने की दृष्टि से प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी औद्योगिक योजनाओं के प्रादेशिक विकास पर काफ़ी जोर दिया गया था। ३० अप्रैल, १९५६ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में इस पर और भी जोर दिया गया। तदनुसार, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन नयी औद्योगिक योजनाओं को मंजूर करते समय उन योजनाओं की उपयोगिता, प्रविधिक ठोसपन आदि अन्य बातों के अलावा प्रत्येक क्षेत्र की विशेष बातों का भी ध्यान रखा गया था और इस बात का प्रयास किया गया कि (१) कच्चे माल की उपलब्धि; (२) पानी और विद्युत् शक्ति के संभरण; (३) यातायात की सुविधाओं और (४) बाजार की निकटता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का वितरण किया जाय।

† **श्री ह० चं० माथुर :** इन सिफारिशों का ध्यान रखते हुए अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों के लिये क्या विशेष ध्यान रखा जाता है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

† **श्री मनुभाई शाह :** उदाहरण के लिये, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अनेक कपड़ा-मिलें हैं जब कि कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़ी ही कपड़ा मिलें हैं। या कहीं कहीं बिल्कुल नहीं हैं। इसलिये तकुओं का अगला बंटवारा इस प्रकार सावधानीपूर्वक किया गया है जिससे उन क्षेत्रों को अधिक तकुए मिल जायें जिनके पास बिल्कुल नहीं हैं।

† **श्री हेडा :** क्या देश में ऐसे भी बड़े-बड़े इलाके हैं जिनमें पिछले पांच या दस वर्षों में केन्द्र द्वारा एक भी उद्योग की स्थापना नहीं की गयी है ? यदि हां, तो ये इलाके कहां हैं ?

† **श्री मनुभाई शाह :** जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का सम्बन्ध है, वास्तव में ये तो ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनके लिये बड़े पैमाने पर प्रविधिक और आर्थिक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। परन्तु इन के सम्बन्ध में भी बराबर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन उद्योगों को यथा संभव उन्हीं इलाकों में स्थापित करने की योजना बनाई जाये जहां एक भी बड़ा उद्योग नहीं है।

† **श्री अ० म० थामस :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को लाइसेंस देने का जो अधिकार प्राप्त है उसका प्रयोग इस ढंग से नहीं किया गया है जिससे विभिन्न क्षेत्र का उचित विकास हो सके ? और क्या इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि विभिन्न उपभोग-वस्तु उद्योगों की स्थापना अलग अलग स्थानों पर इस ढंग से की जाये जिससे कि परिवहन व्यवस्था का भार कम हो जाये ?

† **श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि स्थिति बिल्कुल इस के विपरीत है। इस बात का निरन्तर ध्यान रखा जाता है कि अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाये। परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं के लिये भी हम जहां यह देखते हैं कि विकेन्द्रीकरण करने से सामान के लाने-ले जाने में सुविधा होगी वहां ही हम उद्योगों को अलग अलग क्षेत्रों में वितरित कर देने का यथासंभव प्रयास करते हैं।

† **श्री एन्थनी पिल्ले :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने अभी जो तरीका बताया है वह अत्यन्त ही लचकदार है, क्या सरकार मद्रास सरकार की इस दलील पर कुछ अधिक ध्यान देगी कि विकास सम्बन्धी संसाधनों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिये ?

† **श्री मनुभाई शाह :** यह बात प्रश्न से कुछ भिन्न है। परन्तु जहां तक इन बातों का भी सम्बन्ध है, योजना आयोग सभी बातों पर विचार करता है।

† **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या आयोग ने उद्योगों की स्थापना के लिये स्थान चुनने की योजना बनाने की कोई निश्चित सिफारिश की थी और क्या सरकार उद्योगों की स्थापना के लिये स्थान निश्चित करने की इस योजना को कार्यान्वित करने जा रही है या इस सिफारिश को यों ही छोड़ दिया गया है ?

† **श्री मनुभाई शाह :** जहां तक उद्योगों की स्थापना के लिये स्थान निश्चित करने की योजना का प्रश्न है, योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्याय २९ की कण्डिका ४९ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अध्याय १९ की कण्डिका ६८ में काफ़ी सोच समझ कर अपने यह विचार प्रगट किये हैं कि इतने विशाल देश में सम्पूर्ण देश के लिये एक वृहद् योजना[1] बनाना

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Master Plan

सम्भव नहीं होता। परन्तु इस बात का निरन्तर प्रयास किया जाता है कि कम से कम समय के भीतर क्षेत्रीय असमानतायें दूर हो जायें।

† **श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने उन चार मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख किया है जिन के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि उद्योग कहां स्थापित किये जायें। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि सभी नहीं तो क्या सरकार को एक भी बात ऐसी नहीं दिखाई दी जिस के आधार पर सरकारी क्षेत्र का एक उद्योग केरल राज्य में स्थापित करने का निर्णय किया जा सकता जहां इन सब बातों के अतिरिक्त बेरोजगारी सब राज्यों से अधिक है ?

† **श्री मनुभाई शाह** : केरल में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार कई उद्योग चला रही हैं। अतः यह कहना ठीक न होगा कि वहां कोई सरकारी कारखाना नहीं है। जैसा कि मैं ने अपने पहले उत्तर में बताया, यह देखने के लिये ठीक ठीक जानकारी एकत्र की जाती है कि उद्योग किन स्थानों पर स्थापित किये जायें जिस से उद्योगों को भी लाभ हो और प्रादेशिक भेदभाव भी पैदा न हों।

† **श्री ह० चं० माथुर** : इन प्रमुख विकास उद्योगों की स्थापना के विषय में राज्यों और केन्द्र में क्या सम्बन्ध हैं ?

† **श्री मनुभाई शाह** : व्यावहारिक रूप से प्रत्येक मामले में हम राज्य सरकारों से परामर्श करते हैं, और दौरा करने वाले दल उन सभी स्थानों पर जाते हैं जहां वह उद्योग विशेष स्थापित करना लाभदायक होता है।

हथकरघा उत्पाद

†*६. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन हथकरघा उत्पादों का पर्याप्त संभरण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिनकी अमरीका में मांग है ?

† **वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो)** : इस विचार से कि अमरीका को हथकरघा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने और पर्याप्त संभरण सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में हमें मंत्रणा प्राप्त हो हम ने एक अमरीकी विशेषज्ञ दल से प्रार्थना की थी और उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए हाल ही में उन प्रमुख स्थानों का दौरा किया जहां हथकरघा वस्त्र का उत्पादन होता है। उस दल की अन्तिम सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुईं।

† **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या यह सच है कि हम अमरीकी बाजारों से पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं क्योंकि हम उनकी मांग की मात्रा और गुण प्रकार के अनुसार अपना संभरण नहीं बढ़ा सके हैं ? यदि हां, तो उत्पादन और संभरण को संगठित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

† **श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य का प्रश्न कुछ हद तक ठीक है क्योंकि यह उद्योग ही ऐसा है कि इस में प्रमाणिक किस्म की वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता। परन्तु कुछ विशेष प्रयोजनों से हथकरघा बोर्ड कार्यवाही कर रहा है और आशा है कि थोड़े समय में निर्यात की मांग काफी हद तक पूरी हो जायेगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

† श्री ब० स० मूर्ति : क्या मंत्रालय में यह विचार किया जा रहा है कि यह देखने के लिये कि अमरीका में कौन से नमूनों की मांग है हथकरघा श्रमिकों का एक दल वहां भेजा जाये ?

† श्री कानूनगो : हमें यहां ही ग्राहक मिल जाते हैं ।

† श्री सुधाकर : इस समय कितनी मांग है और कितना संभरण ?

† श्री कानूनगो : निर्यात के लिये या कुल ?

† श्री सुधाकर : अमरीका को हथकरघा उत्पाद के निर्यात के लिये ।

† श्री कानूनगो : निर्यात सन्तोषजनक रूप से बढ़ रहा है । उदाहरणतः १९५५ में कुल निर्यात ५५० लाख गज से कुछ अधिक था । १९५६ में यह ५९० लाख गज से कुछ अधिक हो गया ।

† श्री तिम्मय्या : अन्य किन देशों में इन उत्पादों की अधिक मांग है ? क्या अन्य देशों में कोई 'एम्पोरियम' खोले गये हैं ?

† श्री कानूनगो : जी, हां । हम ने बहुत से विक्रय केन्द्र खोले हैं—सिंगापुर और पश्चिमी एशिया में । न्यूयार्क और जनेवा में हमारे व्यापार केन्द्र हैं । वस्तुतः अधिकतर निर्यात अफ्रीका और यूरोप के देशों को होता है ।

तुंगभद्रा संवारक (शटर) निर्माण कारखाना

†*७. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा बांध के स्थान पर संवारक (शटर) निर्माण कारखाने का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के बारे में कहां तक कार्यवाही की जा चुकी है; और

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

† उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). इस मामले का पूरी तरह परीक्षण करने के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभी इस बारे में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । सम्बन्धित राज्य सरकार इस कारखाने को प्रयोग में लाने के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है ।

† श्री त० ब० विट्ठल राव : केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कारखाने का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का एक यह भी कारण था कि इस कारखाने को कच्चा लोहा और इस्पात पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा था । अतः यह विचार किया गया कि केन्द्रीय सरकार इसे अपने हाथ में ले ले और संभरण पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दे । क्या अब पर्याप्त संभरण हो रहा है ?

† श्री मनुभाई शाह : इसका यह सही कारण नहीं था । ऐसी हालत हो गई थी जब कि यह डर था कि परियोजना के समाप्त हो जाने पर इस कारखाने के लिये कोई काम नहीं रहेगा । परन्तु अनुभव से पता चला है कि अब भी काफी काम है और तुंगभद्रा परियोजना इस कारखाने

† मूल अंग्रेजी में

से पूरा लाभ उठा रही है । कच्चे लोहे और इस्पात का संभरण भी कम नहीं है । देश के अन्य कारखानों की तरह इस कारखाने का भी ध्यान रखा जाता है और व्यवस्था की जाती है ।

† **श्री** टे० **सुब्रह्मण्यम्** : क्या यह सच है कि इस उपक्रम के प्रतिकर की मात्रा के बारे में भी कठिनाई पैदा हुई थी ?

† **श्री मनुभाई शाह** : मूल कारण यह नहीं था । प्रतिकर के बारे में मतवैभिन्य था परन्तु वह आमने सामने बातचीत करके दूर हो सकता था । कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद सरकार से कुछ मामलों पर बातचीत करने के लिये गया । वास्तव में हमने इस मामले में आगे कार्यवाही इसलिये नहीं की क्योंकि आंध्र और मैसूर दोनों सरकारों का विचार है कि कुछ समय तक वे इस कारखाने को काम में ला सकते हैं ।

† **श्री तिरुमल राव** : क्या केन्द्रीय सरकार की यह योजना है कि जब यहां की आवश्यकता पूरी हो जाये तो इस शटर निर्माण कारखाने को अपने नियंत्रण में रख कर अन्य नदी घाटी परि-योजनाओं की आवश्यकतायें पूरी की जायें ?

† **श्री मनुभाई शाह** : नहीं, श्रीमान् । ऐसा कोई विचार नहीं है ।

† **श्री तिरुमल राव** : इस कारखाने के लिये कोई दीर्घकालीन योजना नहीं है । क्या इसे बन्द कर दिया जायेगा ?

† **श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैं कह चुका हूं इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और जब यह उत्पन्न होगा तो इस पर पुनः विचार करा जायेगा ।

† **श्री दासप्पा** : इन कारखानों में इस समय कुल कितना उत्पादन होता है ?

† **श्री मनुभाई शाह** : प्रत्येक वर्ष तैयार की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य २५ लाख रुपये और अन्य सेवा और देख रेख जिसका मूल्य १८–१९ लाख रुपये है ।

कागज का उत्पादन

†***८. श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा कागज के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या अपेक्षित मशीनों का निर्माण भी देश में किया जायेगा या कि उनका आयात किया जायेगा;

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आरम्भ होने के पश्चात् बड़े और छोटे पैमाने में कितने संयन्त्र चालू किये गये ?

† **वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**

---

† मूल अंग्रेजी में

† **श्री च० रा० नरसिंहन** : विवरण की कंडिका (घ) के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक किसी मिल में उत्पादन क्यों नहीं हुआ जब कि १३ बड़ी और ९ छोटी कागज-मिलों को लाइसेंस दिये गये थे ?

† **श्री कानूनगो** : लाइसेंस हाल ही में जारी किये गये हैं। एक कारखाने को लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् उत्पादन आरम्भ करने में १८ मास लगते हैं।

† **श्री च० रा० नरसिंहन** : क्या सरकार ने कागज़ के उत्पादन का कोई कार्यक्रम निर्धारित किया है; और यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने से कहां तक लाभ होगा ?

† **उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: अनुमान है कि द्वितीय योजना काल की समाप्ति तक इस की मांग लगभग ६ लाख टन हो जायेगी जिस में से इस समय २.१ लाख टन उत्पादन हो रहा है। आशा है कि शेष ६०,००० टन आगामी दो वर्ष में पूरा हो जायेगा।

† **श्री पुन्नूस** : मुझे खेद है कि मैं ने विवरण नहीं पढ़ा। मालाबार में कागज़ का उत्पादन आरम्भ करने के जो सुझाव थे उनका क्या हुआ ?

† **श्री मनुभाई शाह** : उन पर अभी विचार किया जा रहा है।

† **श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार आसाम जैसे अर्द्धविकसित देशों में कागज़ उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं का परीक्षण करने के लिये तैयार है ?

† **अध्यक्ष महोदय** : आसाम अलग देश नहीं है।

† **श्री मनुभाई शाह** : वस्तुतः आसाम में एक कारखाने के लिये लाइसेंस दिया गया था हम ने कागज़ और गूदा उद्योग के लिये एक तालिका नियुक्त कर दी है जो इस प्रश्न की छानबीन कर रही है।

† **श्री अमजद अली** : क्या यह गैर-सरकारी क्षेत्र में है ?

† **श्री मनुभाई शाह** : जी, हां, गैर-सरकारी क्षेत्र में।

† **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के संयन्त्रों के उत्पादन व्यय में कितना अन्तर है ?

† **श्री मनुभाई शाह** : हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिक अन्तर नहीं है। वस्तुतः कुछ एक किस्मों के लिये छोटे पैमाने के और कुछ एक के लिये बड़े पैमाने के उद्योग अधिक लाभदायक हैं।

आयात पर प्रतिबन्ध

† *९. **श्री साधन गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयात पर सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों से लाभ उठाकर कुछ व्यापारी ऊनी वस्त्रों और पाठ्य पुस्तकों आदि जैसी अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ा रहे हैं; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की है ?

† **वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इन वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि दिखाई नहीं देती ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

† **श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कागज़ उत्पादक पाठ्य पुस्तकों की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ पर अपहार देने से इनकार करने लगे हैं जिसके फलस्वरूप उनके मूल्य अवश्य बढ़ जायेंगे और अपहार देने से इनकार इस आधार पर किया जा रहा है कि कागज़ के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है ?

† **श्री कानूनगो** : मैं इस बात की जांच करूंगा कि जो जानकारी दी गई है वह ठीक है या नहीं ।

स्वेज नहर से गुज़रने वाले भारतीय जहाज

*१०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वेज नहर से गुजरने वाले भारतीय जहाजों का पथ-कर सीधे मिस्र को दिया जाता है अथवा इस सम्बन्ध में कोई और प्रबन्ध किया गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : स्वेज नहर से गुजरने वाले भारतीय जहाजों का पथ-कर (टोल) सीधे मिस्र को दिया जाता है । इस सम्बन्ध में कोई दूसरा प्रबन्ध नहीं किया गया है ।

† **एक माननीय सदस्य** : इसे अंग्रेजी में भी पढ़ दिया जाये, श्रीमान् ।

† **अध्यक्ष महोदय** : हां, अंग्रेजी में भी पढ़ दिया जाये ।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

† **श्री रघुनाथ सिंह** : कल हाउस आफ कामन्स में एक वक्तव्य दिया गया कि ब्रिटेन स्वेज पथ-कर का भुगतान स्टर्लिंग में करेगा । हम यह भुगतान किस प्रकार करेंगे ?

† **श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भुगतान का यह तरीका निर्धारित किया गया है कि स्वेज नहर प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किसी भी बैंक को समवाय भुगतान कर सकते हैं ।

† **अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि भुगतान स्टर्लिंग में किया जायेगा या रुपयों में ।

† **श्री रघुनाथ सिंह** : भुगतान किस मुद्रा में किया जायेगा ।

† **श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: स्टर्लिंग में ।

† **अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री ।

† **श्री रघुनाथ सिंह** : हम रुपयों में ही भुगतान क्यों न करें ?

---

† मूल अंग्रेजी में

† **अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों के पास आंखें और कान हैं; मैंने प्रधान मंत्री को उत्तर देने के लिये कहा है ।

† **प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह भुगतान कैसे किया गया है इसका मैं ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता परन्तु मिस्र सरकार से हमारा लेन देन कई सौदों में रुपयों में होता है । समवायों ने इस राशि विशेष का भुगतान किस प्रकार किया इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । यह भुगतान गैर सरकारी समवायों को करना होता है । उन्होंने भुगतान स्टर्लिंग में किया होगा या रुपयों में यह मिस्र सरकार पर निर्भर करता है । हमारा लेन देन जैसे पहले होता था अब भी वैसे ही होता रहेगा ।

† **श्री रघुनाथ सिंह** : हमें पता चला है कि मिस्र में एक रुपया बैंक खोला गया है इसलिये हम पथकर का भुगतान रुपयों में ही क्यों न करें ?

† **श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रश्न यह नहीं है कि हम 'क्यों' न करें । मिस्र सरकार के साथ जो फैसला होगा उसी के अनुसार हमें चलना होगा और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कई मामलों में मिस्र सरकार रुपयों में भुगतान स्वीकार कर लेती है । इस मामले में क्या किया गया मुझे ठीक मालूम नहीं है ।

† **श्री बीरेन राय** : हम मिस्र सरकार को यह सुझाव क्यों न दें कि वह किसी अन्य मुद्रा की बजाय रुपयों में ही भुगतान स्वीकार कर ले और इस प्रकार हम विदेशी विनिमय में बचत कर लें?

† **अध्यक्ष महोदय** : यह तो एक सुझाव है।

† **श्री साधन गुप्त** : प्रैस प्रतिवेदनों से पता चलता है कि मिस्र इस बात पर जोर दे रहा है कि स्वेज़ नहर पथकर का भुगतान डालरों में किया जाये । क्या मिस्र के साथ यह तय हुआ है कि हमारे देश से भुगतान या तो रुपयों में किया जायेगा या किसी अन्य सुलभ मुद्रा में ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, मैं ने अभी बताया कि मुझे मालूम नहीं कि यह भुगतान कैसे किया गया और क्या कोई विशेष समझौता किया गया । ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ । हम पुराने ढंग से ही काम करते रहे हैं । शायद सदन को विदित होगा कि हम ने मिस्र सरकार को कुछ रुपये उधार दिये हैं, हमारा लेन देन अधिकतर रुपयों में ही होता है । इस मामले के बारे में मैं कुछ नहीं जानता ।

केरल में भारत सरकार का मुद्रणालय

+

†*११. { **श्री अ० म० थामस** :
श्री वारियर :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारत सरकार का मुद्रणालय स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया गया है;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) इस के कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ग) मुद्रणालय में कितने कर्मचारी होंगे ?

† **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** (क) नहीं, श्रीमान् । भूमि अर्जित करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ।

(ग) इस समय विचार है कि जब मुद्रणालय चालू होगा उस समय लगभग ४०० व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे ।

† **श्री अ० म० थामस** : प्रारम्भ में दक्षिण में विशेष साइज़ का एक छापाखाना स्थापित करने का विचार था। क्या इस निर्णय में बाद में परिवर्द्धन कर दिया गया है और दक्षिण में दो छापेखाने स्थापित करने का विचार कर लिया गया है; और यदि हां, तो उनका क्या साइज़ होगा ?

† **श्री क० च० रेड्डी** : जहां तक मुझे याद है, दक्षिण में दो छापेखाने स्थापित करने का निर्णय किया गया था--एक कोयम्बटूर में और दूसरा केरल में । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का निर्देश किस ओर है ।

† **श्री अ० म० थामस** : मेरा प्रयोजन उन्हीं दो छापेखानों से था। क्या वे साथ साथ आरम्भ किये जायेंगे अथवा एक के बाद दूसरा आरम्भ किया जायेगा ?

† **श्री क० च० रेड्डी** : इरादा तो यह है कि उन्हें एक साथ आरम्भ किया जाये । एक छापाखाना फार्म छापने के लिये है और दूसरा पुस्तकों के लिये ।

† **श्री पुन्नूस** : केरल में खोले जाने वाले छापेखाने पर अनुमानित कितनी रकम खर्च होगी ?

† **श्री क० च० रेड्डी** : केरल में जो छापाखाना खोला जायेगा वह केवल फार्म छापने के लिये है और इसकी इमारत बनाने के लिये लगभग ४५ लाख रुपये और उपकरण के लिये लगभग २६ लाख रुपये खर्च होंगे।

† **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : कोयम्बटूर में खोले जाने वाले छापेखाने पर क्या खर्च होगा ?

† **श्री क० च० रेड्डी** : इस सम्बन्ध में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

पाकिस्तान द्वारा पारपत्रों की जब्ती

† ***१३. पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान के बीच दस मील लम्बी सीमावर्ती पट्टी के अन्तर्गत सब पारपत्र जब्त कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पट्टी के निवासियों की कठिनाइयों से अवगत है और क्या उसे पाकिस्तान सरकार की इस निरंकुश कार्यवाही से होने वाली हानि के बारे में जानकारी है;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) उक्त क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार का क्या उत्तर मिला है ?

† **वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

† **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार ने समाचारपत्रों की रिपोर्ट देखी है कि पारपत्र जब्त किये गये हैं और क्या सरकार जानती है कि सीमा पर रहने वाले लोग मण्डियों के अभाव आदि से ग्रस्त हैं ? क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार कर कोई कदम उठाये हैं ?

† **प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, इस प्रश्न के लिये विस्तृत जानकारी चाहिये। इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है। पूरी जांच के अभाव में इसका उत्तर देना कठिन है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि सीमावर्ती क्षेत्र की जनता को बहुधा संकट का सामना करना पड़ता है और जो अनेक कार्य किये गये हैं उनसे गहरी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। सामान्यतया इसका उत्तर स्वीकारात्मक है किन्तु यदि माननीय सदस्य को विस्तृत जानकारी की आवश्यकता हो तो हम इसे प्राप्त करेंगे।

शंकर मार्केट

† *१४. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शंकर मार्केट, नई दिल्ली, में व्यापार के लिये फ्लैट देने का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) इन फ्लैटों के आवंटन के लिये किस प्रक्रिया का आश्रय लिया गया था ?

† **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी हां, शंकर मार्केट में बनाये गये फ्लैटों को व्यापार के लिये आवंटित करने का कार्य अब तक पूरा हो गया है

(ख) अधिकांश मामलों में उपयुक्त विस्थापित व्यक्तियों को लाटरी के आधार पर फ्लैटों का आवंटन किया गया है, कुछ मामलों में भूतपूर्व दिल्ली राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किये गये वायदों की पूर्ति के लिये फ्लैट आवंटित किये गये हैं।

† **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या सरकार को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि एक ही परिवार में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को एक से अधिक फ्लैट दिये गये हैं ?

† **श्री मेहरचन्द खन्ना** : यदि यह शिकायत मुझे बताई जाये तो मैं असंदिग्ध रूप से इसकी जांच करूंगा।

† **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या लोगों की पात्रता की जांच की गई थी और क्या उन्हें आवंटन की तिथि और स्थान की सूचना दी गई थी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

† **श्री मेहरचन्द खन्ना** : जैसा मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया था, फ्लैटों का आवंटन दो तथ्यों के आधार पर किया गया था : एक, उन व्यक्तियों को जिनसे भूतपूर्व दिल्ली सरकार ने वायदा किया था, और दूसरे, लाटरी डाल कर। जहां तक मुझे स्मरण है, सूचना निश्चित रूप से भेजी गई थी ।

† **श्री ब० स० मूर्त्ति** : इर्विन रोड के फ्लैट वाले व्यक्तियों द्वारा अपना पूरा प्रमाण देने पर भी आवंटन क्यों नहीं किया गया ?

† **श्री मेहरचन्द खन्ना** : मुख्य प्रश्न प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को मैंने कहा था कि यदि मुझे किसी विशेष मामले की जानकारी दी गई तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। किन्तु प्रारम्भ में विचार यही था कि ये फ्लैट और दुकानें इर्विन रोड पर बैठने वालों को दी जायेंगी।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मार्केट के निर्माण में कितना खर्च हुआ है और कितनी दुकानें बनाई गई हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह तो मुझे याद नहीं है । यह गवर्नमेंट की प्रापर्टी है और गवर्नमेंट की प्रापर्टी रहेगी ।

रांची में विस्थापित व्यक्ति

† *१५. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० में रांची में भेजे गये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की संख्या;

(ख) टाटीसिलवई शिविर में भेजे गये व्यक्तियों की संख्या;

(ग) इनमें गैर कृषिकार कितने हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन में से कुछ रांची के कंटाटोली और चुटिया मुहल्लों में पुनः बसा दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

† **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

† **श्री स० चं० सामन्त** : क्या रांची भेजे गये विस्थापित व्यक्तियों के लिये आजीविका हेतु लाभप्रद नियोजन का उपबंध किया गया है ?

† **श्री मेहरचन्द खन्ना** : इन तथ्यों का सम्बन्ध सात वर्ष पूर्व अर्थात् १९५० से है । मैंने कहा था कि मुझे बिहार सरकार से पूछताछ करनी है ।

† **श्री स० चं० सामन्त** : रांची भेजे जाने वाले परिवारों को आवंटित कमरों का आकार क्या है ?

† **श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं भी तो यही कह रहा हूं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

† अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।

† श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे १९५० में किये गये पुनर्वास के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करनी है ।

† श्री च० द० पांडे : क्या सरकार ने एक अन्य और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया है कि पूर्वी बंगाल से लोग निरन्तर यहां आ रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में अब और स्थान नहीं है और वे अन्य किसी राज्य में जाने के लिये इच्छुक नहीं हैं। इस दिशा में क्या किया गया है ?

† अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से क्योंकर उत्पन्न होता है।

† श्री भट्टाचार्य : माननीय मंत्री ने बताया कि यह घटना १९५० में हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके विभाग में यह बताने वाला कोई रेकार्ड है कि बसा दिये जाने के पश्चात् दावेदारों का क्या हुआ ?

† श्री मेहरचन्द खन्ना : योजना की क्रियान्विति राज्य सरकारों की एजेंसी के मार्फत की जाती है। वही योजना बनाते हैं फिर हमें भेजी जाती है और उन्हें स्वीकृत कर लिया जाता है। कई बार उसकी क्रियान्विति की निगरानी के लिये संगठन होता है। लेकिन जब ९० लाख व्यक्ति इस में अन्तर्ग्रस्त हों तो अलग-अलग प्रत्येक मामले का ध्यान रखना बड़ा कठिन है ।

† श्री त्रि० कु० चौधरी : क्या 'स्टेट्समैन' में छपे इस समाचार की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित हुआ है कि १९५० में जिन कई हजार विस्थापित व्यक्तियों को रांची भेजा गया था उनका कोई पता नहीं लगता कि कहां गये हैं अथवा उनका क्या हुआ है। क्या वह इसका भी ध्यान रखेंगे ?

† श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने हाल ही में बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है; राज्य सरकार के सचिव, अभी कलकत्ता आये थे। उन से मैंने सम्पूर्ण विषय पर चर्चा की है। मैंने उनको बताया है कि यदि योजनाओं में कोई त्रुटियां हों तो हमारे पास वे संशोधित योजनाएं भेज दें जिन पर यथोचित विचार किया जायेगा। यद्यपि यह सच है कि ये योजनाएं बहुत समय पूर्व स्वीकृत की गई थीं।

टेलीविज़न

†*१९. { श्री †श्रीनारायण दास :
श्री प्र० के० देव :
श्री सुपाकर :
श्री वी० चं० शर्मा : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २७ नवम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में टेलीविज़न स्टेशन की स्थापना और दिल्ली के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक जांच के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

† सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : बम्बई की मुख्य टेलीविज़न सम्बन्धी योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है । इस सम्बन्ध में समुचित स्थान का चुनाव करने

† मूल अंग्रेजी में

के लिये कुछ आरम्भिक कार्यवाही की गई है। किन्तु इस योजना के सूत्रपात के लिये किसी निश्चित तिथि का निर्धारण विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर है। इस समय इस प्रश्न पर सरकार अविलम्बनीय विचार कर रही है।

प्रयोगात्मक और शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये एक अग्रिम टेलीविज़न यूनिट के प्रस्ताव पर सक्रिय विचार किया जा रहा है। इस यूनिट के लिये कुछ उपकरण प्राप्त कर लिये गये हैं और अधिक उपकरण मांगने तथा प्रशिक्षण के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। यद्यपि निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि इस बात की पूरी आशा है कि हमें यूनिट के लिये शीघ्र ही आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो जायेंगे और कार्य आरम्भ हो जायेगा।

† **श्री श्रीनारायण दास** : दिल्ली में टेलीविज़न यूनिट की स्थापना करने वाली इस अग्रिम परियोजना पर अनुमानित व्यय कितना है ?

† **डा० केसकर** : रियायती मूल्य पर कुछ उपकरण मिलने की दृष्टि से हम ने इस अग्रिम योजना का विचार किया है। मैं इस रियायती उपकरण की कीमत बताने की स्थिति में नहीं हूं, किन्तु इसका उपयोग करने के लिये हमें लगभग पांच लाख रुपये और खर्च करने पड़ेंगे।

† **श्री श्रीनारायण दास** : जिस देश से रियायती मूल्य पर यह मशीन मंगाई गई है उसका क्या नाम है ?

† **डा० केसकर** : मूल उपकरण मैसर्स फिलिप्स द्वारा दिया गया था। उनके पास औद्योगिक प्रदर्शनी के सिलसिले में यहां पर एक छोटा सा टेलीविज़न यूनिट था। यहां यूनस्को के सैशन के पश्चात् हम ने उनके अधिकारियों से बातचीत की और वे हमें इस प्रयोजन के लिये कुछ उपकरण देने के लिये अथवा उनके प्रदान की व्यवस्था करने के लिये प्रस्तुत हैं।

† **श्री बीरेन राय** : कलकत्ता के महत्व और प्रगति को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री बम्बई में टेलीविज़न की स्थापना के समय कलकत्ता में भी उसे स्थापित करने का विचार करेंगे ?

† **डा० केसकर** : भारत में एक साथ ही अनेक स्थानों पर टेलीविज़न की स्थापना खर्च की दृष्टि से सम्भव नहीं है, अन्यथा हमें ऐसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी।

† **प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मुझे अपने सहयोगी के वक्तव्य का खण्डन करने में स्वभावतः हिचकिचाहट हो रही है किन्तु हम में से कुछ टेलीविज़न कार्य को आगे बढ़ाने के लिये उत्सुक नहीं हैं।

† **अध्यक्ष महोदय** : संख्या १७—अनुपस्थित। संख्या १८।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १७ के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि..........

† **अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न माननीय सदस्य के नाम पर नहीं है। सदस्य अनुपस्थित है; अतः मैंने दूसरे प्रश्न का आह्वान किया है।

---

† मूल अंग्रेजी में

महावाणिज्य दूत का कार्यालय, न्यूयार्क

†*१८. श्री सें० वें० रामस्वामी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क स्थित महावाणिज्य दूत का कार्यालय वहां जाने वाले व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित रखता है और यदि हां, तो किस प्रकार;

(ख) क्या यह कार्यालय इस बात के लिये प्रयत्न करता है कि केवल अच्छी कोटि की वस्तुएं ही भारत से अमेरिका जाने पायें; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, यह उसी सीमा तक है कि भारतीय व्यापारी अपनी न्यूयार्क यात्रा के बारे में महावाणिज्य दूत को जानकारी देते रहें ।

(ख) जी नहीं, महावाणिज्य दूत किसी भी दशा में इस स्थिति में नहीं है कि सामान पहुंचने के स्थान पर उसकी श्रेष्ठता के बारे में जांच-पड़ताल करे ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** अमेरिका भेजे जाने वाले सामान का स्तर अच्छा न होने के बारे में सामान्य शिकायत है यदि यह सच है तो........

†**कुछ माननीय सदस्य :** कृपया ज़ोर से बोलिये ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह खराबी शायद.......

†**अध्यक्ष महोदय :** तब तक माननीय सदस्य कुछ ज़ोर से बोलें ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** शिकायत आम तौर से अमेरिका तथा अन्य देशों को भेजी जाने वाली घटिया वस्तुओं के बारे में है । यदि यह सच है तो इस बात के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है कि वहां केवल अच्छे दर्जे की वस्तुएं ही पहुंच सकें ?

†**श्री कानूनगो :** मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि यहां से जाने वाला अधिकांश सामान घटिया किस्म का है । किन्तु निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की श्रेष्ठता बनाये रखने की दृष्टि से हम ने सूती वस्त्रों में स्वैच्छिक किस्म नियंत्रण के लिये कार्यवाही की है और विभिन्न दूसरी वस्तुओं के बारे में अन्य तरीके अपना रहे हैं ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** सरकारी स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो :** सरकार ने निर्यात संवर्द्धन समितियों का संगठन किया है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार के पास इस आशय की जानकारी है कि भारत से भेजी जाने वाली कुछ रंगों वाली चिड़ियों का वहां पानी में भीगते ही रंग बदल जाता है । उदाहरणार्थ, यहां से निर्यात की गई कुछ लाल रंग की चिड़ियां वहां का पानी पड़ते ही बदल गईं ।

†मूल अंग्रेजी में

† **श्री कानूनगो** : यदि विस्तृत जानकारी दी गई तो मैं इसकी सत्यता का पता लगाने की कोशिश करूंगा ।

† **श्री कासलीवाल** : इस सम्बन्ध में भारतीय मानक संस्था की सेवाओं का उपयोग कितने मामलों में किया गया ?

† **श्री कानूनगो** : भारतीय मानक संस्था प्रमाप निर्धारित करती है और वे यथासंभव अनेक वस्तुओं के बारे में यह प्रयत्न कर रही है । किन्तु निरीक्षण और प्रमाणपत्र आदि के मामले में मानक संस्था का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

† *१९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम सम्मेलन के पन्द्रहवे सत्र में जिन विषयों पर चर्चा की जायगी उनके बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वे क्या विषय हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

† **श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) विषय-सूची इस प्रकार है :—

(१) प्रबन्ध में श्रमिकों के हिस्सा लेने के बारे में अध्ययन गोष्ठी ।

(२) श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट ।

(३) उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण (टी० डब्ल्यू० आई०) ।

(४) अभिनवीकरण के सम्बन्ध में मालिकों का पथ प्रदर्शन करने के लिये एक आदर्श समझौता ।

(५) कर्मचारियों और सहकारी संस्थाओं में वित्तीय सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही ।

(६) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि मंजूरी सम्बन्धी नीति ।

(७) श्रमिकों का अनुशासन ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

† **श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं जानना चाहता हूं कि यह सम्मेलन कब होगा—क्योंकि वार्षिक सम्मेलनों का विचार होते हुए भी पिछला सम्मेलन दो वर्षों पूर्व हुआ था ?

† **श्री आबिद अली** : यह अगली जुलाई या अगस्त में होगा ।

† **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सम्मेलन के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

† **श्री आबिद अली** : संभवतः यह दिल्ली में होगा ।

---

† मूल अंग्रेजी में

चश्मे के काच का कारखाना

†*२०. श्री विश्वनाथ राय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में चश्मे के काच[1] के कारखाने की स्थापना के बारे में क्या स्थिति है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : इस देश में चश्मे तथा चाक्षुष काच[2] के उत्पादन के लिये विदेशों के सुप्रसिद्ध निर्माताओं का टेकनीकल सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। हाल ही में, भारत सरकार के निमंत्रण पर रूस से विशेषज्ञों का एक दल इस देश में आया था और पर्याप्त भ्रमण के पश्चात् उन्होंने एक प्रारम्भिक परियोजना प्रस्तुत कर दी है। इस प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

† श्री विश्वनाथ राय : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक भारत चश्मों के काचों के बारे में स्वावलम्बी हो जायेगा ?

† श्री मनुभाई शाह : जी, हां, किसी सीमा तक हो जायेगा।

† श्री सुब्बया अम्बलम् : क्या भारत सरकार इस प्रकार के कारखाने भारत में स्थापित करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो कितने स्थानों पर ?

† श्री मनुभाई शाह : यह तो चश्मों के शीशों तथा चाक्षुष काचों के निर्माण के लिये केवल एक ही कारखाने के सम्बन्ध में है।

† श्री बीरेन राय : क्या चश्मों के शीशों का कारखाना केवल सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित किया जायेगा, अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी ?

† श्री मनुभाई शाह : प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र के कारखाने से है।

† श्री वें० प० नायर : चश्मों के काचों और चाक्षुष काचों के सम्बन्ध में हमारी वार्षिक आवश्यकता कितनी है, और ऐसा कारखाना चलाने के लिये किस किस प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता होगी ?

† श्री मनुभाई शाह : वर्तमान आवश्यकता के प्राक्कलन हैं—४० से ५० टन चश्मों के काच और २५० टन चाक्षुष काच, और इतनी मात्रा के उत्पादन के लिये हमारे देश में पर्याप्त संसाधन हैं।

भारतीय व्यापार केन्द्र, न्यूयार्क

† *२२. श्री सें० वें० रामस्वामी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूयार्क में स्थित भारतीय व्यापार केन्द्र के क्या क्या कार्य हैं;

(ख) वहां पर कितने मूल्य की वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं; और

† मूल अंग्रेजी में

[1]Optical glass

[2]Opthalmic glass

(ग) इस केन्द्र पर कितना खर्च आता है ?

† **उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) न्यूयार्क स्थित भारतीय व्यापार केन्द्र का मुख्य काम यह है कि वह भारतीय निर्यात सम्बन्धी वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनको प्रचारित करे ताकि उपभोक्ताओं में उनके प्रति रुचि बढ़ सके, वह संभावित अमरीकन आयातकर्ताओं को व्यापार सम्बन्धी जानकारी दे और भारतीय निर्यातकर्ताओं को व्यापार सम्बन्धी अनुदेश भेजे।

(ख) एक समय पर लगभग १,२५,००० रुपये की।

(ग) लगभग २ लाख रुपया प्रति वर्ष।

† **श्री सें० वें० रामस्वामी** : वहां पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और क्या वहां पर होने वाला काम, किये जाने वाले खर्च के अनुरूप है ?

† **श्री कानूनगो** : कर्मचारियों की संख्या के बारे में तो मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता, परन्तु उस केन्द्र पर लगभग ८५,००० रुपये खर्च किये जाते हैं। जहां तक कार्य के मूल्यांकन का सम्बन्ध है हमें संवर्धन कार्य के परिणाम के परीक्षण के लिये पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करनी होगी।

† **श्री हेडा** : क्या यह व्यापार केन्द्र संयुक्त राज्य अमरीका में आयातकर्ताओं द्वारा पूछताछ करने पर उन्हें जानकारी भी देता है और उन्हें हमारे देश में उचित सम्पर्क स्थापित करने में सहायता भी करता है ?

† **श्री कानूनगो** : जी, हां।

† **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या भारतीय बुनकरों तथा कारीगरों में कपड़ों के लिये यूरोपीय डिज़ाइनों की नकल कराने के स्थान पर अपने भारतीय डिज़ाइनों को अधिक प्रचारित करने के बारे में कोई प्रयत्न किया गया है ?

† **श्री कानूनगो** : भारतीय बुनकर ने किसी भी यूरोपीय डिज़ाइन की नकल नहीं की है। जहां तक भारतीय डिज़ाइनों का सम्बन्ध है, यह केन्द्र अन्य वस्तुओं के साथ साथ हाथ करघे की वस्तुओं का प्रचार करता है।

कोयला खान श्रमिक

† *२३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से १९५६ तक देश की कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों का वर्ष वार कुल कितना मजूरी बिल बनता है;

(ख) क्या सरकार उन्हें क्वार्टर आदि अन्य सुविधायें देने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो अप्रैल, १९५७ के अन्त तक कितने क्वार्टर बनाये जा चुके हैं ?

† **श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

† मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अप्रैल, १९५७ के अन्त तक सीधे ही कोयला खान कल्याण निधि में से या राजकीय सहायता और राजकीय सहायता व ऋण योजनाओं के अधीन कुल ४७२४ मकान बनाये गये हैं ।

† श्री त० ब० विट्ठल राव : सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पचास हजार क्वार्टर बनाने का निर्णय किया था; परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के पहले वर्ष में अभी तक जमीन भी नहीं ली जा सकी है । क्या योजना काल में ही ये पचास हजार क्वार्टर तैयार हो जायेंगे ?

† श्री आबिद अली : इस योजना के अधीन लगभग ४००० मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है और हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

† श्री ही० ना० मुकर्जी : हम ने पहले भी देखा है कि क्वार्टरों के निर्माण के लिये निर्धारित बहुत सा धन व्ययगत हो गया है । क्या सरकार हमें बता सकती है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि अब मंजूर किया गया यह धन व्ययगत न हो जाये ?

† श्री आबिद अली : इस योजना विशेष के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि ये मकान कोयला खान कल्याण निधि से बनाये जायेंगे और यह निधि कभी व्ययगत नहीं होती ।

† सरदार अ० सिं० सहगल : क्या यह सच है कि कोराडा कोयला क्षेत्रों में मजदूरों को क्वार्टरों या पीने के पानी व अन्य प्रकार की सुविधायें नहीं दी गई हैं ?

† श्री आबिद अली : माननीय सदस्य यदि इस सम्बन्ध में कोई अलग प्रश्न पूछें तो मैं इस बारे में जानकारी एकत्रित कर सकूंगा ।

† श्री मुहीउद्दीन : क्या यह सच है कि बनाये गये बहुत से मकान किसी न किसी कारण से अभी तक खाली पड़े हुए हैं और उनमें अभी तक मज़दूर नहीं गये हैं ?

† श्री आबिद अली : केवल लूनी में ही कुछ एक कठिनाइयों के कारण से कुछ मकान अभी तक आबाद नहीं हुए हैं । अब केवल २०० मकान ही खाली हैं । अन्य विभागों से कुछ प्रबन्ध कर लिया गया है और आशा है कि वे मकान भी आबाद हो जायेंगे ।

† श्री जयपाल सिंह : कोयला खान कल्याण निधि में से कितने क्वार्टर बने हैं और राजकीय सहायता योजना के अधीन कितने क्वार्टर बने हैं ?

† श्री आबिद अली : २१५३ क्वार्टर तो सीधे ही निधि में से बने हैं और लगभग १००० क्वार्टर राजकीय सहायता योजना के अधीन बने हैं ।

† श्री वें० प० नायर : मजूरी बिल से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है । बहुत से उद्योगों के सम्बन्ध में सदा से ही मजूरी बिलों के ब्योरे दिये जाते रहे हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (क) में पूछे गये मजूरी बिलों के बारे में हमें कब तक जानकारी दी जायेगी ताकि हम इस बारे में एक अलग प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़े ही न ?

---

† मूल अंग्रेजी में

† **श्री आबिद अली** : १९५५–५६ के आंकड़े तो मेरे पास हैं, और वे हैं ८५३ में से ३५६ कोयला खानों के सम्बन्ध में। इन ३५६ कोयला खानों में ३,२१,२६३ मज़दूर काम कर रहे हैं, उन्हें १५,४०,०६,८५३ रुपया दिया गया है।

† **श्री त० ब० विट्ठल राव** : मजूरी भुगतान अधिनियम के अधीन, इन कोयला खानों से इस बात की आशा की जाती है कि वे खर्च के व्योरे भेजें। उन व्योरों से हम हिसाब लगा सकते हैं कि मजूरी कितनी कितनी दी गई थी। इस में कठिनाई की कौन सी बात है ?

† **श्री आबिद अली** : कठिनाई की बात यही है कि उन्होंने अभी तक अपने व्योरे नहीं भेजे हैं।

† **श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या मजूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन करने, व्योरे न भेजने के कारण किन्हीं कोयला खानों के विरुद्ध कोई अभियोग चलाया गया है ?

† **श्री आबिद अली** : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

† **श्री बोस** : क्या यह सच है कि कोयला खान कल्याण निधि ने अब यह निर्णय कर लिया है कि अब ये मकान अपने खर्च से ही बनाये जायें; और यदि हां, तो और अधिक मकान बनाने में अब क्या कठिनाई है ?

† **श्री आबिद अली** : प्रथम कठिनाई है जमीन का उपलब्ध न होना और दूसरी कठिनाई है इस्पात तथा सीमेन्ट की कमी।

† **अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सूची अब समाप्त हो चुकी है। अतः अब मैं उन सदस्यों को बुलाता हूं जो कि पहले अनुपस्थित थे। श्री दी०च० शर्मा फिर अनुपस्थित हैं। तो अब श्री कासलीवाल द्वारा पूछा गया एक अल्प सूचना प्रश्न हम लेते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

लाहौर की पुलिस द्वारा रोके गये भारतीय पदाधिकारी

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ (श्री कासलीवाल)** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक १० मई, १९५७ में प्रकाशित कराची से प्राप्त हुई पी० टी० आई० की यह खबर सच है कि लाहौर में भारतीय उप उच्चायोग के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान किया गया, उनके हथकड़ियां डाली गईं और उन्हें पुलिस की हिरासत में रखा गया; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

† **प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). समाचारपत्र की खबर अधिकांश रूप में ठीक है। जैसा कि हमें पता चला है घटना इस प्रकार से हुई है :

---

†मूल अंग्रेजी में

७ मई की रात को ग्यारह बजे लाहोर की स्थानीय पुलिस ने पांच भारतीय राष्ट्रजनों को इस निराधार आरोप पर गिरफ़्तार कर लिया कि वे सार्वजनिक स्थान पर परेशानी उत्पन्न कर रहे थे। उन्हें गालियां दी गयीं, उनके हथकड़ियां डाली गईं, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें छः घण्टे से अधिक समय तक पुलिस की हिरासत में रखा गया और उन पर यह निराधार आरोप लगा कर कि वे नशे में थे, उन का व्यर्थ में ही डाक्टरी मुग्रायना किया गया। उन पांच निर्दोष व्यक्तियों में से तीन तो भारतीय रेलवे पदाधिकारी थे जो कि वाल्टन के संयुक्त राष्ट्र संघ प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण ले रहे थे; और शेष दो राजनयिक अधिकारी थे जो कि भारतीय उप उच्चायोग के सहदूतों के रूप में काम कर रहे थे।

उप उच्चायोग के दो अन्य पदाधिकारियों को जब इस घटना का पता लगा तो उन्होंने ८ मई के ३ बजे प्रातः मेयो हस्पताल से सम्पर्क स्थापित किया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर को बताया कि गिरफ़्तार किये गये दोनों व्यक्ति राजनयिक प्रतिष्ठा के हैं। सब इंस्पेक्टर ने उनकी प्रतिष्ठा आदि के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की और उसने यह आश्वासन दिया कि वह अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से परामर्श करके उन्हें शीघ्र ही रिहा कर देगा। तो भी उस सब इस्पेक्टर ने उन्हें ८ मई के प्रातः ५ बज कर १० मिनट से पहले रिहा नहीं किया, और फिर उनकी कार और पुलिस द्वारा कब्जे में की गयी उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं उन्हें नहीं लौटाई गईं।

कराची स्थित हमारे उच्च आयुक्त ने ९ मई की शाम को पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भेंट की और इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से तथा लिखित रूप में बड़ा भारी विरोध प्रकट किया, और अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात की भी मांग की कि सम्बन्धित पुलिस पदाधिकारियों को दण्ड दिया जाये। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने यह उत्तर दिया कि वह शीघ्र ही मामलों की जांच करेंगे। लाहोर स्थित हमारे उप उच्चायुक्त ने भी १० मई के अपराह्न पश्चिमी पाकिस्तान के राज्यपाल से मौखिक तथा लिखित रूप में विरोध प्रकट किया। राज्यपाल ने इस घटना पर खेद प्रकट किया और इस बात का आवश्सान दिया कि वह एक उच्च स्तरीय जांच करायेंगे और यदि यह शिकायत सत्य सिद्ध हुई तो उन अपराधियों को दण्ड दिया जायेगा। राष्ट्रमण्डल सचिव (कामनवैल्थ सेक्रेटरी) ने भी ११ मई के प्रातः पाकिस्तान उच्चायोग को इस घटना का पूरा पूरा विवरण भेजा और पुलिस द्वारा किये गये इस अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध बड़ा भारी विरोध प्रकट किया और अपराधियों को कठोर दण्ड देने के लिये कहा।

†**श्री कासलीवाल** : क्या अपमानजनक व्यवहार के लिये पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई क्षमा याचना की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी एक विवरण पढ़ कर सुनाया जिसमें बताया गया है कि पश्चिमी पाकिस्तान के राज्यपाल ने खेद प्रकट किया और उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्त की है और उस जांच समिति का प्रतिवेदन आते ही उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि इनमें से कुछ एक पदाधिकारियों को इसलिये तंग किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान में अपहृत लड़कियों की पुनः प्राप्ति में सहायता की थी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं; इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

† **श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार को ज्ञात है कि कराची में राजनयिक कोर के 'डीन' ने पाकिस्तान सरकार से इस घटना के बारे में औपचारिक अभ्यावेदन किया है ?

† **श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, नहीं । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है यह घटना लाहोर में हुई थी ।

† **श्री मु० खुदाबख्श :** समाचार पत्रों में तो मैंने पढ़ा है कि पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने एक अदालती जांच के लिये आदेश दिया है और प्रधान मंत्री जी ने हमें अभी यह बताया है कि उस सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनायी गयी है । क्या यह ऊच्च स्तरीय जांच समिति मामले को निपटा सकेगी क्योंकि मामला तो न्यायाधीन है ?

† **श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा विचार है कि इन दोनों का निर्देश एक ही समिति से है । मैंने इसमें वही शब्द प्रयुक्त किये हैं जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के राज्यपाल ने किये थे । राज्यपाल ने लिखा है कि उन्होंने एक समिति नियुक्त की है । वह समिति एक उच्च स्तरीय समिति है या नहीं, इसका निर्णय करना मेरा काम नहीं है ।

† **श्री अ० म० थामस :** क्या सरकार को कोई सूचना मिली है कि ऐसा भद्दा व्यवहार करने में उनकी मंशा क्या थी, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारा व्यवहार जानबूझ कर और एक योजना के अनुसार किया गया था ?

† **श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं यह कैसे कह सकता हूं ? हो सकता है कि उनकी कोई मंशा हो; इसका किसी और घटना या किसी और मामले से भी सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । माननीय सदस्य किसी अन्य बात का निर्देश कर रहे हैं, परन्तु हमें इस सम्बन्ध में कोई वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति

†*५. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन अब पूरा हो चुका है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** प्रथम पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण जिसमें १९५५–५६ का प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन भी सम्मिलित है, वर्तमान सत्र में संसद् के सामने रख दिया जायगा ।

वाणिज्यिक संस्थापनों में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†*१७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रधान **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के वाणिज्यिक संस्थापनों तथा कारखानों में बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रजन काम कर रहे हैं; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो उनकी कितनी संख्या है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) इन सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूरे पूरे ब्योरे एकत्रित करने में अत्यधिक श्रम लगेगा । परन्तु सरलता से उपलब्ध होने वाली जानकारी एकत्रित की जा रही है और बाद में सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

आकाशवाणी द्वारा संस्कृत के कार्यक्रम

†*२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा १९५७ में अभी तक संस्कृत के कुल कितने कार्यक्रम प्रसारित किये गये हैं; और

(ख) १९५६–५७ में विदेशों को संस्कृत के कुल कितने रिकार्ड भेजे गये हैं ?

† **सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जनवरी से मार्च, १९५७ तक कुल २०३ कार्यक्रम ।

(ख) १९५६–५७ में कोई रिकार्ड नहीं भेजे गये, परन्तु विभिन्न केन्द्रों से कार्यक्रम प्राप्त हुये हैं और उनमें से कुछ एक को विदेशों के विश्वविद्यालयों को भेजने के लिये चुन लिया गया है ।

पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा में काम करने के स्थानों पर कैम्प

†१. **श्री अ० चं० गुह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो :

(क) पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा में काम करने के स्थानों पर कितने कैम्प हैं, और उनके क्या क्या नाम हैं ;

(ख) वे कब स्थापित किये गये थे ;

(ग) उनमें से प्रत्येक में वर्ष वार कितने विस्थापित व्यक्ति थे ;

(घ) प्रतिवर्ष उन्हें किस प्रकार का काम दिया जाता रहा है और उन्हें इस समय क्या काम दिया हुआ है;

(ङ) उनके द्वारा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना धन कमाया गया ;

(च) प्रत्येक कैम्प के कल्याण तथा प्रशासन पर वर्ष वार कुल कितना खर्च हुआ ;

(छ) क्या उनके लिये पुनर्वास सम्बन्धी कोई योजना बनायी गयी है ; और

(ज) यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ज). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

केरल राज्य में औद्योगिक विकास

†२. **श्री कुमारन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लोक-सभा पटल पर केरल राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में केन्द्रीय, राज्य तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भ की जाने वाली प्रस्तावित विकास योजनायें बताने वाला विवरण रखेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : दूसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान में केरल राज्य में विकास के लिये प्रस्तावित मुख्य औद्योगिक योजनाओं की सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

पश्चिमी पाकिस्तान से प्रव्रजन

†४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में अभी तक सिन्ध (पश्चिमी पाकिस्तान) से कितने हिन्दु भारत आये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : मार्च, १९५७ की समाप्ति तक लगभग ५०० ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

†५. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** २७ मार्च, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से इस समय तक भारत सरकार ने पुर्तगाल के भारत के विरुद्ध दावे के सम्बन्ध में अपनी प्रारंभिक आपत्ति अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को प्रस्तुत की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित हमारे अभिकर्ता ने इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में हमारी प्रारम्भिक आपत्ति १५ अप्रैल, १९५७ को न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष रखी थी।

अम्बर चर्खा जांच समिति

†६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अम्बर चर्खा जांच समिति की सिफारिश संख्या ५,१२,१७,२७, ३२ तथा ३३ के अतिरिक्त अन्य सिफारिशों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

कलकत्ता में सरकारी क्वार्टर

†७. **श्री साधन गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में सदर्न एवेन्यू में निर्मित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों की संख्या क्या है ;

(ख) उनके निर्माण की कुल लागत क्या है ;

(ग) ऐसे क्वार्टरों की संख्या क्या है जो निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी खाली पड़े हुये हैं;

(घ) ऐसे क्वार्टर कम से कम और अधिक से अधिक कितने समय तक खाली पड़े रहे; और

(ङ) उनके खाली पड़े रहने का क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) ६६.

(ख) इन क्वार्टरों की अनुमानित लागत ६,४३,५०० रुपये है। वास्तविक निर्माण व्यय कार्य के लेखों के बन्द हो जाने पर मालूम होगा ।

(ग) समस्त क्वार्टरों में लोग बस गये हैं। समस्त सुविधाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् कोई भी क्वार्टर खाली नहीं रहा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक बस्ती[3] लुधियाना

†८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में लुधियाना स्थित औद्योगिक बस्ती के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) लगभग ४,२१,००० रुपये की कीमत की भूमि खरीद ली गई है ?

(ख) आशा है कि यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में पूर्ण हो जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में
3Industrial Estate.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

†९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर में उत्पादन बढ़ाने के लिये रखे गये प्रस्ताव किस प्रकार के हैं; और

(ख) उस में कितनी अतिरिक्त पूंजी लगेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) इस समय हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ८।। केन्द्र की तीव्र गति वाली खरादों[4] का उत्पादन कर रहा है। २ तथा ३ आकार की मिलिंग मशीनों (क्षैतिज, उदग्र तथा सार्वत्रिक) का निर्माण पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स फ्रिट्ज़ वर्नर्सस के साथ हुये करार के अन्तर्गत शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा। अन्य प्रकार की वस्तुओं, जैसे रेडियल ड्रिलिंग मशीनों तथा अन्य आकारों की खरादों, के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने के प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) मशीन टूल्स फैक्टरी की स्थापना तथा उसको साज-सामग्री जुटाने में लगभग ४ करोड़ रुपये का पूंजी व्यय किया गया है। उत्पादन अनुसूची में नई वस्तुओं के सम्मिलित किये जाने के परिणामस्वरूप होने वाला अतिरिक्त पूंजी विनियोजन मुख्यतः संतुलन सज्जा-सामग्री तक सीमित रहेगा और उन वस्तुओं पर निर्भर रहेगा जिनका उत्पादन प्रारंभ किया जायगा।

चल सम्पत्ति सम्बन्धी भारत-पाक करार

†१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्याक-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अभी तक चल सम्पत्ति सम्बन्धी भारत-पाक करार के कार्यान्वियन में क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : कार्यान्वियन समिति की दूसरी बैठक, जो पाकिस्तान के अनुरोध पर स्थगित कर दी गई थी, ४ तथा ५ फरवरी, १९५७ को कराची में हुई। इस बैठक में डाक विभाग सम्बन्धी लेखाओं को छोड़ कर प्रायः समस्त मुख्य सूचियों का आदान-प्रदान हुआ। बैठक में कुछ निर्णय भी किये गये जिनसे विस्थापित व्यक्तियों की कठिनाई कम हो जानी चाहिये। प्राप्त सूचियों में मुख्य लाकर्स और सेफ़ डिपॉजिट्स सम्बन्धी हैं ।

भारत और पाकस्तान के बीच निष्क्रान्त आग्नेय अस्त्रों का विनिमय भी लाहोर तथा जालंधर में अक्तूबर, १९५६ तथा अप्रैल, १९५७ में एक साथ हुई बैठकों में हुआ। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों से लगभग १००० आग्नेय अस्त्रों का विनिमय हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

4High precision and high speed lathes.

अस्पृश्यता पर चलचित्र

†११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १३ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता के निवारण के लिये एक पूर्ण शिक्षाप्रद चलचित्र बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : ऐसे चलचित्र का निर्माण-कार्य बहुत धीरे धीरे करना होगा ताकि दृष्टिगत उद्देश्य भली प्रकार पूर्ण हो सकें। प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ विख्यात निर्माताओं के साथ चर्चा की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम ने सोवियत रूस के साथ खालें, चमड़ा व तम्बाकू का संभरण करने का कोई करार किया है; और

(ख) वह योजना कार्यान्वित कैसे की जायगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)**: (क) जी, हां। केवल तम्बाकू के लिये।

(ख) तम्बाकू निर्यात प्रवर्तन परिषद् के द्वारा निर्यातों की व्यवस्था की जा रही है।

गन्दी बस्तियों की सफाई

†१३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी अग्रिम परियोजनाओं के सम्बन्ध में ११ अक्टूबर, १९५६ को चण्डीगढ़ में हुये राज्य योजना अधिकारियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उनमें से कौन कौन सी सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]** जिसमें गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी अग्रिम योजनाओं से सम्बन्धित सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं जो उसके द्वारा गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न राज्य सरकारों को पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं। इन सिफारिशों में जो बातें हैं वे भारत-सरकार की गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाओं में आ जाती हैं जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। समस्या के भीमकाय रूप तथा दूसरी पंच वर्षीय योजना में उपलब्ध किये गये संसाधनों का विचार करते हुये उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन स्वयं अग्रिम परियोजनाओं के रूप में होगा जिन्हें राज्य सरकारों तथा उनके स्थानीय निकायों द्वारा देश के विभिन्न भागों में क्रियान्वित किया जायगा। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को गन्दी बस्तियों की सफाई की कोई परियोजनायें बनाने के पूर्व आवश्यक सामाजार्थिक सर्वेक्षण करना होगा। आशा की जाती है कि राज्य भी उपलब्ध संसाधनों तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुये इन परियोजनाओं को यथासंभव शीघ्रता से कार्यान्वित करेंगे। इन परियोजनाओं के परिणाम गवेषणा और अध्ययन के लिये पर्याप्त सामग्री प्रदान करेंगे जो गन्दी बस्तियों की सफाई और पुनर्विकास के और कार्यक्रमों के निर्माण में सहायक होनी चाहिये ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस समय से अब तक शेष १०१ नये काम दिलाऊ दफ्तरों की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : निम्नलिखित स्थानों में ५ नये काम दिलाऊ दफ्तरों के खोले जाने की मंजूरी ी जा चुकी है :

राज्य	स्थान जहां के लिये मंजूरी दी गई है
उड़ीसा . . .	. रायरंगपुर, जोडा और रायगद
पश्चिमी बंगाल .	. सिलीगुड़ी
मनीपुर . . .	. इम्फाल

†मूल अंग्रेजी में

भारी पानी का उत्पादन

†१५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ३० नवम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समय से अब तक सिन्दरी में भारी पानी के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक उत्पादन किये जाने की आशा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सोवियत रूस के साथ व्यापार

†१६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५६–५७ में सोवियत रूस को निर्यात की गई तथा वहां से आयात की गई व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य और टनभार बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : १९५६–५७ (अप्रैल-दिसम्बर) में सोवियत रूस को निर्यातों तथा वहां से आयातों का मूल्य निम्न प्रकार है :

निर्यात	१०९४ लाख रुपये ।
आयात	१०८० लाख रुपये ।

टनभार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति

†१७. **श्री शंकरय्या** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५६ तक देश में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में (राज्यवार) पंजीबद्ध (१) शिक्षित और (२) अशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) उन लोगों की संख्या क्या है जिनको रोजगार दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम मंत्री (श्री आबिद अली): (क) और (ख). आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है :—

राज्य	पंजीयनों की संख्या			रोजगार दिये गये लोगों की संख्या		
	शिक्षित व्यक्ति*	अन्य	योग	शिक्षित व्यक्ति	अन्य	योग
१	२	३	४	५	६	७
आन्ध्र	१,०६,७४७	३,०४,०६३	४,१३,८१०	२३,०४७	३०,४९९	५३,५४६
आसाम	१५,८३३	८४,७१८	१,००,५५१	१,१९२	११,६२८	१२,८२०
बिहार	८६,१७९	३,६७,६८५	४,५३,८६४	७,५०४	४५,५७१	५३,०७५
बम्बई	१,८३,४७०	५,९३,४४८	७,७६,९१८	२१,८६८	५३,३११	७५,१७९
दिल्ली	१,०६,९४०	१,७४,१०४	२,८१,०४४	१५,०७३	१५,०३६	३०,१०९
हिमाचल प्रदेश	१,९०३	२०,४५६	२२,३५९	५०६	६,६४१	७,१४७
केरल	५२,२९८	१,००,८९७	१,५३,१९५	४,९८६	२०,०५५	२५,०४१
मध्य प्रदेश	३०,९०९	१,१२,५७०	१,४३,४७९	४,१४९	९,७८२	१३,९३१
मद्रास	१,३३,७००	३,४७,८६१	४,८१,५६१	२४,८०२	३६,०७२	६०,८७४
मसूर	५०,९०८	१,०२,८६६	१,५३,७७४	४,१२५	१०,३३६	१४,४६१
उड़ीसा	१५,६९१	६७,९१६	८३,६०७	२,०१६	१४,०८५	१०,१०१
पंजाब	१,०६,७४९	३,११,८९५	४,१८,६४४	१२,२८९	५५,८४३	६८,१३२
राजस्थान	३८,५१६	१,१७,०२८	१,५५,५४४	४,५४६	१०,७६४	१५,३१०
उत्तर प्रदेश	२,८७,५९१	८,१९,९५०	११,०७,५४१	२१,११३	१,०६,७६८	१,२७,८८१
पश्चिमी बंगाल	१,३६,९७९	४,११,९०८	५,४८,८८७	८,१३२	३५,३७४	४३,५०६
योग	१३,५७,४१३	३९,३७,३६५	५२,९४,७७८	१,५५,३४८	४,६१,७६५	६,१७,११३

* मैट्रिक तथा इससे अधिक ।

† मूल अंग्रेजी में ।

नोट: १९५३ से पूर्व के वर्षों के शिक्षित व्यक्तियों से सम्बन्धित पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

स्थगन प्रस्ताव

महबूबनगर रेलवे दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिवेदन के बारे में सरकार का निर्णय

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री शि० ला० सक्सेना के एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना मिली है कि सरकार ने महबूबनगर रेल दुर्घटना के जांच आयोग की, जिसके लिये बम्बई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, श्री एस० एल० टी० देसाई नियुक्त किये गये थे, उपपत्तियों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय किया है। इस प्रकार के मामलों में जहां सरकार कोई आयोग या समिति नियुक्त करती है, और वे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं तो कोई भी माननीय सदस्य यह मांग कर सकता है कि प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाये और उस पर बहस की जाये। इस प्रकार स्थगन प्रस्ताव द्वारा समिति अथवा आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना उचित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है।

†**श्री श० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : सरकार स्वयं जांच आयोग नियुक्त करके यदि उसकी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेगी तो कोई भी आयोग स्वतन्त्र रूप से अपनी राय नहीं दे सकेगा। यदि इस विषय पर ढाई घंटे की चर्चा के लिये समय दे दिया जाये तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा।

†**श्री ह० चं० माथुर** (पाली) : मैं इस प्रतिवेदन पर चर्चा करने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि नियुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के पश्चात् सभा में इस पर चर्चा की जा सकती है। यदि माननीय सदस्य चर्चा के प्रस्ताव की पूर्व सूचना देंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा तथा सरकार से परामर्श करके समय निर्धारित करूंगा। इस समय मैं इतना कह सकता हूं कि प्रतिवेदन की स्वीकृति आदि की जानकारी हासिल करने की यह व्यवस्था नहीं है। क्या माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

† **रेल मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: मैं यह कहना चाहता था कि प्रतिवेदन की एक प्रति सभा के पुस्तकालय में रख दी गई है। रेलवे आय-व्यय पर सामान्य चर्चा होने वाली है इसलिये माननीय सदस्य तब तक प्रतिवेदन को और सरकार द्वारा किये गये संशोधनों को पढ़ें तथा यह देखें कि यह संशोधन किन कारणवश किये गये हैं। इन सब बातों को रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के समय उठाया जा सकता है।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर) : रेलवे प्रशासन के अतिरिक्त इसमें एक बात यह बड़े महत्व की है कि सरकार उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के सभापतित्व में एक जांच समिति नियुक्त करती है तथा बाद में उसकी सिफारिशों को अस्वीकार कर देती है। यह तो सिद्धान्त का एक बहुत गंभीर विषय है। क्या आप प्रश्न के इस पहलू पर भी विचार करने के लिये चर्चा के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आज रेलवे आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायगा और फिर उस पर चर्चा होगी ही। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के प्रतिवेदनों पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

स्थगन प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : में नहीं कहना चाहता हूं जो कुछ मेरे सहकारी ने अभी कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दुर्घटना बहुत बड़ी थी और इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने वाले उपाय भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मामला ऐसा था जिसमें किसी जांच समिति अथवा उच्च-न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच किया जाना और सिफारिशें करना जरूरी था।

†मुझे इसका खेद है कि मैंने इस प्रतिवेदन को अभी तक नहीं पढ़ा है। इसलिये मेरी अभी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। सिद्धान्त रूप में सरकार इस पर चर्चा के लिये तैयार है परन्तु प्रश्न समय का है कि क्या इस छोटे से सत्र में यह संभव होगा कि रेलवे आय-व्ययक के अतिरिक्त इस पर चर्चा के लिये समय निकाला जा सके। मुझे तो यह मंजूर है जो आप कहेंगे या वह समिति कहेगी जो समय का बंटवारा करती है।

परन्तु हम इस पर चर्चा करने के लिये अवश्य तैयार हैं चाहे वह इसी सत्र में हो अथवा अगले सत्र में। जैसा कि आपने बताया इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती है। समस्त प्रतिवेदन को पढ़ा जाना चाहिये तथा तब मामले पर चर्चा होनी चाहिये।

†**डा० राम सुभग सिंह** (ससराम) : क्या सरकार को यह अधिकार था कि इस सभा के सत्र के आरम्भ से जरा पहले ही वह इस विषय पर अपनी राय प्रकट कर दे, विशेष रूप से जब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि सदस्य गण रेलवे आय-व्ययक पर बहस के समय अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का सुझाव अजीब सा है कि सभा के प्रारम्भ होने से पहले सरकार ने इस विषय पर अपने निर्णय की घोषणा कर दी। सरकार का एक मंत्रालय प्रविधिक मामलों के लिये एक समिति नियुक्त करता है। वह समिति के प्रतिवेदन पर कुछ निर्णय करता है। इसका सभा की बैठक से कोई सम्बन्ध नहीं है। सभा सरकार के विचारों से असहमत हो सकती है अथवा उनमें संशोधन कर सकती है या उनको स्वीकार कर सकती है। परन्तु सरकार को समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके उस पर निर्णय लेना होता है। इसकी प्रविधिक जांच करने के लिये सभा में चर्चा होने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता। निस्सन्देह, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है परन्तु जब सरकार कोई समिति नियुक्त करती है तब सरकार को उसके प्रतिवेदन पर अपने निर्णय लेने की स्वतन्त्रता है। यदि सभा चाहेतो उस पर चर्चा कर सकती है और देश तथा सरकार को यह बता सकती है कि सरकार का निर्णय ठीक नहीं है। सदस्य चाहे तो वह इस सम्बन्ध म प्रस्ताव की पूर्व सूचना दे सकते हैं।

जहां तक समय का सम्बन्ध है इस सत्र में समय मिलना कठिन है। परन्तु मैं सदस्यों को रेलवे-आयव्ययक पर विवाद के समय चर्चा की अनुमति दूंगा। प्रतिवेदन की प्रतियां माननीय सदस्यों को मिल सकती हैं और वे उसके बारे में अपनी बातें कह सकते हैं। इन कारणों से मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं दे सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति तालिका

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ९ के उपनियम १ के अन्तर्गत मैं निम्न व्यक्तियों को सभापति तालिका का सदस्य नियुक्त करता हूं :

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री फ्रेंक एन्थनी, तथा

श्री अ० म० थामस

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)**: मैं, निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड का १९५५–५६ का वार्षिक प्रतिवेदन **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–९/५७]**; तथा

(२) हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का १९५५–५६ का वार्षिक प्रतिवेदन **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–१०/५७]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचना

श्री मुरारजी देसाई : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत २३ मार्च १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ९०४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–११/५७]**

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं, विविध सत्रों में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, बचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) पहला विवरण	पहली लोक-सभा का पंद्रहवां सत्र, १९५७
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ४	पहली लोक-सभा का चौदहवां सत्र, १९५६

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११ . पहली लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७ . पहली लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १९ पहली लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २२ . पहली लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]

खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अधीन २३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या ५ (८)/५७-के वी ई की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस-१९/५७]**

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियम

†**श्री कानूनगो** : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम १९५६ की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन खादी तथा ग्रामोद्योग नियम १९५७ की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–१९/५७]**

उप-चुनावों के परिणाम

†**विधिमंत्री (श्री अशोक कु० सेन,)** : श्रीमान्, मैं ३१ जुलाई, १९५५ तथा ३१ अक्टूबर, १९५६ के बीच हुये उप-चुनावों के परिणामों की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस-२०/५७]**

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना और निर्वाचन याचिकाओं का निपटाया जाना)

नियमों में संशोधन

†**विधि मंत्री (श्री अशोक कु० सेन)** : श्रीमान्, मैं लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अधीन लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना और निर्वाचन याचिकाओं का निपटाया जाना) नियम १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) १६ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७१९ ।

(२) १६ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०६८ ।

(३) ४ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४१२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस-२१/५७]

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना)

नियमों में संशोधन

†**विधि मंत्री (श्री अशोक कु० सेन)** : श्रीमान्, मैं लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अधीन लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली १० जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–२२/५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

समवाय अधिनियम १९५६ के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान्, मैं समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६४१ की उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) २३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १२८१ ।

(२) ७ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४३५ ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एस–२३/५७]

समवाय (केन्द्रीय सरकार से अपील) नियम

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान्, मैं समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अधीन ४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३८० में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार से अपील) नियम १९५७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–२४/५७]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

†**श्री सं० वें० रामस्वामी** (सलेम) : श्रीमान, मैं नियम १९७ के अधीन खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर न दिलाना चाहता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :—

"खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : श्रीमान्, कृषि उत्पादन प्राकृतिक कारणों पर बहुत कुछ निर्भर होता है परन्तु फिर भी, गत दस वर्षों के उत्पादन आंकड़ों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय से अनाज का कुल उत्पादन तथा प्रति एकड़ उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ा ही है । १९४७–४८ में अनाज का कुल उत्पादन ४३७ लाख टन तथा प्रति एकड़ ५९९ पौंड था। १९५६–५७ में अनाज का कुल उत्पादन ५९२ लाख टन तथा प्रति एकड़ ५९१ पौंड रहा है। १९५१-५२ से हर ५ वर्ष का औसत उत्पादन बताने वाला विवरण नीचे दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

पंचवर्षीय अवधि की समाप्ति के वर्ष	अनाज का औसत उत्पादन (लाख टनों में)	प्रति एकड़ औसत उत्पादन (पौंडों में)
१९५१–५२ .	४३५	५१९
१९५२–५३ .	४४६	५१४
१९५३–५४ .	४७६	५३१
१९५४–५५ .	४९६	५४४
१९५५–५६ .	५२१	५५७
१९५६–५७ .	५४८*	५७९

उपरिलिखित आंकड़ों से स्पष्टतया जानकारी हो जाती है कि उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा है। यदि हम १९५१–५२ तथा १९५६–५७ में समाप्त होने वाली पंचवर्षीय अवधि के आंकड़ों की तुलना करें तो हमें पता चलता है कि कुल उत्पादन २५·९ प्रतिशत तथा प्रति एकड़ उत्पादन ११ प्रतिशत बढ़ गया है। चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज के अलग अलग आंकड़े नीचे दिये जाते हैं।

	१९५१–५२ में समाप्त होने वाली पंचवर्षीय अवधि की अपेक्षा १९५६–५७ में समाप्त होने वाली पंच वर्षीय अवधि में प्रतिशत वृद्धि	
	कुल उत्पादन में	प्रति एकड़ उत्पादन में
चावल .	२०·०	१३·१
गेहूं . . .	३६·८	१४·९
मोटा अनाज .	२९·९	१२·२

इस वर्ष चावल का उत्पादन २८१ लाख टन है जो कि अब तक सबसे अधिक है। देश के कुछ भागों में गेहूं की फसल की हानि होने पर भी गेहूं का उत्पादन ८६ लाख टन होने की आशा है जब कि गत वर्ष ८३ लाख टन था। यह १९५४–५५ में गेहूं के सब से अधिक उत्पादन यानी ८८ लाख टन के लगभग बराबर ही है। इस वर्ष मोटा अनाज पिछले वर्ष से कुछ अधिक हुआ है। यद्यपि यह अब भी १९५३–५४ के अधिकतम उत्पादन से कम है। सब मिलाकर इस वर्ष अनाज का कुल उत्पादन ५६२ लाख टन होने की आशा है। जो पिछले वर्ष अथवा उससे पहले के वर्ष से अधिक है। इसलिये घबराहट की ऐसी कोई बात नहीं है यद्यपि गेहूं की फसल को तूफानों, वर्षाओं आदि से कुछ क्षेत्रों में हानि हुई है। संभरण की स्थिति इस प्रकार की है कि

*अन्तर्कालीन अग्रिम अनुमानों पर आधारित

कोई कठिन समस्या उत्पन्न नहीं होगी । सरकार ने आयात का एक निश्चित कार्य क्रम बनाया है जिसके अनुसार सरकार हानि वाले क्षेत्रों की आवश्यकता को पूर्ण कर सकती है ।

विभिन्न राज्यों की स्थिति तथा जहां रबी की फसल को हानि हुई है वहां की कठिनाइयों को दूर करने के लिये की गई कार्यवाही नीचे दी जाती है :—

बिहार

खाद्य तथा कृषि मंत्री ने पटना, मुंगेर तथा भागलपुर के जिलों का दौरा किया जहां रबी की फसल, विशेषतया गेहूं को तूफानों तथा वर्षा से नुकसान पहुंचा है। गेहूं का दाना नष्ट हो गया है तथा उत्पादन कम हुआ है । संथाल परगना, पूर्निया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पालामऊ, तथा शाहबाद आदि में भी नुकसान का पता लगा है । बिहार राज्य में गेहू का सामान्य उत्पादन ४ लाख टन है जिसमें से ऐसा कहा जाता है कि ६० प्रतिशत नष्ट हो गया है ।

राज्य सरकार की यह मांग स्वीकार कर ली गयी है कि क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में गेहूं बांटा जाये । यह मान लिया गया है कि तीन महीनों के लिये मई से जुलाई १९५७ तक ६०,००० टन गेहूं दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त १५,००० टन गेहूं इकट्ठा रखने के लिये दिया जायेगा ताकि वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर काम आये, यह गेहूं आपात कालीन स्थिति का सामना करने के लिये तैयार रखा जायेगा। पत्तन शहरों से, जहां गेहूं इकट्ठा है, कई स्पेशल गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं और आशा की जाती है कि मई के अन्त तक ३५,००० टन गेहूं बिहार पहुंच जायेगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ४ गाड़ियां पहुंच भी गयी हैं अर्थात् लगभग ४,००० टन गेहूं पहुंच गया है ।

जुलाई में स्थिति पर फिर विचार किया जायेगा और उसी समय आगामी महीनों में गेहूं भेजने के कार्यक्रम पर विचार किया जायेगा। यदि बिहार में अगस्त के महीने में मक्का की फस्ल अच्छी हो जायेगी तो आशा है कि स्थिति में कुछ सुधार हो जायेगा । मक्का की फस्ल जल्दी बोदी जाय इस बात की सुविधा देने के लिये राज्य सरकार ने नलकूप के पानी की कीमत की दर ७५ प्रतिशत कम कर दी है। अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने के लिये सरकार सहायता कार्य कर रही है ।

उत्तर प्रदेश

पहाड़ी जिलों तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के, जहां रबी की फसल खराब हो गई है, सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की मांग को पूरा पूरा स्वीकार कर लिया गया है । सितम्बर के अन्त तक, जब कि स्थिति पर फिर विचार किया जायेगा, इन क्षेत्रों में बांटने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को १५,००० टन गेहूं प्रति मास दिया जायेगा।

राजस्थान

जोधपुर डिवीजन में रबी की फसल खराब हो गई है अतः वहां पर काफी मात्रा में गेहूं बांटा जा रहा है। राजस्थान में अन्य केन्द्रीय डिपो में गेहूं के और भंडार इकट्ठे किये जा रहे हैं।

[श्री अ० प्र० जैन]

बम्बई

बम्बई के कुछ भागों में ज्वार की फसल नष्ट हो गयी थी। अतः यह मान लिया गया है कि क्षतिग्रस्त जिलों में बांटने के लिये बम्बई सरकार को पर्याप्त गेहूं दिया जायेगा। इससे मध्य-प्रदेश के उन क्षेत्रों पर जो बम्बई के निकट हैं, बम्बई की मांग का कोई असर नहीं पड़ेगा। बम्बई शहर के लिये गेहूं की पूरी आवश्यकता को भारत सरकार पूरी करती रहेगी।

पश्चिमी बंगाल

यद्यपि इस वर्ष पश्चिमी बंगाल में चावल का कुल उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से २ लाख टन अधिक हुआ है फिर भी वहां कुछ जिलों में, जिन में बर्दवान, मुर्शिदाबाद, नदिया, हुगली और हावड़ा भी सम्मिलित हैं जिनको गत वर्ष अक्तूबर में बाढ़ के कारण हानि उठानी पड़ी थी, खराब स्थिति चल रही है। कुछ जिलों में रबी की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। इन जिलों में बाटने के लिये जो ३,००० टन गेहूं प्रति मास भेजा जा रहा था उसके अलावा ६,००० टन गेहूं प्रति मास वहां की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भेजा जायेगा।

बम्बई की ही भांति कलकत्ते की, जो कि अभावग्रस्त क्षेत्र है, गेहूं की सम्पूर्ण आवश्यकता को भारत सरकार पूरा करेगी। अप्रैल और मई, १९५७ में पश्चिमी बंगाल सरकार को १४,००० टन गेहूं दिया जा चुका है जब कि उसकी मांग १५,००० टन गेहूं की थी। पश्चिमी बंगाल सरकार ने वर्ष के शेष महीनों के लिये अपनी आवश्यकता के अनुमान भेज दिये हैं और समय-समय पर उनको समुचित मात्रा में गेहूं भेजा जायेगा ।

केरल

इस राज्य में इस वर्ष चावल की फसल सामान्य हुई है पर जनसंख्या के उच्च घनत्व तथा खेती के ढंग के कारण आन्ध्र तथा मद्रास के तंजोर जिले से हर साल काफी मात्रा में चावल तथा धान का आयात किया जाता है। राज्य के लिये यह साधन अभी भी खुले हुये हैं पर भारत सरकार ने पिछले ४ महीनों में, जनवरी से अप्रैल तक, उचित मूल्य की ४००० से कुछ अधिक दूकानों द्वारा वितरण करने के लिये ७८,००० टन चावल दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि भावों मे बढ़ती हो रही है और उसने यह भी इच्छा प्रकट की है उचित मूल्य की और अधिक दूकानें खोली जानी चाहिये। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होने वाली है और इस बात को ध्यान में रख कर कि सरकार के पास कितना संग्रह है, उक्त राज्य को और अधिक चावल शीघ्र ही भेजा जायगा ।

मैसूर और आसाम के कुछ क्षेत्रों से कठिनाइयों की खबरें मिली हैं। स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है।

गत वर्ष की तुलना मे इस वर्ष चावल की फसल बहुत अच्छी होने तथा सभी प्रकार के अनाज के सम्पूर्ण उत्पादन में वृद्धि होने पर भी इस वर्ष गतवर्ष की अपेक्षा भाव सामान्यतया बढ़े हुये हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि उपभोक्ता इन बढ़े हुये भावों के सम्बन्ध मे शिकायत करें पर स्थिति को ठीक प्रकार से समझने के लिये उचित दृष्टिकोण होना आवश्यक है। १९५२-५३ के, जिसे कि अब आधार वर्ष माना जाता है, मूल्य-देशनांक के स्थान पर नवीनतम सम्पूर्ण मूल्य-देशनांक

१०३ है, गेहूं का ९० है और सभी प्रकार के अनाजों का मिलाकर १००·५ है। इससे पता लगता है कि इस समय के मूल्य १९५२–५३ के मूल्यों से सामान्यतया अधिक नहीं हैं। १९५४–और १९५५ के वर्ष विशेष रूप से कम मूल्य वाले वर्ष थे पर मूल्यों में लगातार इसी प्रकार की कमी बनी रहने की आशा नहीं की जा सकती।

१९५५ के उत्तरार्द्ध से सामान्यतया मूल्यों में वृद्धि आरम्भ हुई पर १९५६–५७ की वृद्धि १९५५-५६ से कम ही रही। उदाहरण के लिये, नवम्बर, १९५५ से मई १९५६ के आरम्भ तक चावल के मूल्यों में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि नवम्बर १९५६ से मई १९५७ तक केवल ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, १९५५–५६ में नवम्बर से मई तक २·७ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि १९५६–५७ में उसी अवधि में मूल्यों में ५·३ प्रतिशत की कमी हुई। मोटे अनाज के सम्बन्ध में भी स्थिति एसी ही रही। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्यों में कम परिवर्तन हुआ है। यह एक उत्साहवर्द्धक लक्षण है।

इस समय गेहूं के दामों में स्पष्ट कमी हो रही है। सामान्यतया ३० लाख टन क्रय-विक्रय योग्य गेहूं बचा रहता है। १९५६ में सरकार ने १२ लाख टन गेहूं बांटा, इस का मतलब यह है कि क्रय-बिक्रय योग्य गेहूं की ओर अधिक बचत हुई। १९५७ में जनवरी से अप्रैल तक, पहिले चार महीनों में लगभग ७·५ लाख टन गेहूं बांटा जा चुका है। आयात की व्यवस्था एसी है कि सरकार अगली फसल तैयार होने तक केवल आवश्यकतानुसार गेहूं का वितरण ही नहीं करेगी बल्कि काफी गेहूं इकट्ठा भी कर लेगी।

इस साल सरकार गेहूं के मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये काफी समर्थ है। आयात किये गये गेहूं से केवल कलकत्ता और बम्बई के पत्तन शहरों की ही आवश्यकता पूरी नहीं होगी बल्कि उन निकटवर्ती क्षेत्रों में भी वितरण हो सकेगा जो, यदि सरकार इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं न भेजती तो, मजबूर होकर उत्तरी राज्यों तथा अन्य राज्यों से गेहूं मंगाते। इससे गेहूं के इधर से उधर लाने ले जाने की कठिनाई में भी कमी होगी तथा मूल्यों की वृद्धि भी नहीं होगी।

यह सच है कि खरीफ की पिछली फसल के बाद मूल्यों में हमेशा की भांति कमी नहीं हुई और अब मूल्य बढ़ रहे हैं। यह दो बातें, कि इस वर्ष चावल का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष मूल्यों में गत वर्ष की अपेक्षा कम वृद्धि हुई है, इस बात के ठोस आधार है कि किसी प्रकार भी चिन्ता की भावना पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष गत वर्ष से अधिक चावल आयात करने का कार्यक्रम है और इस प्रकार आयात किये गये चावल का समुचित उपयोग करने से कहीं भी स्थिति गंभीर नहीं होने पायेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये संग्रह का वितरण राज्य सरकार सामान्यतया उचित मूल्य की दूकानों द्वारा करवाती है। कुछ समय पूर्व ऐसी दूकानों की संख्या सर्वाधिक लगभग २०,००० हो गयी थी। इन दूकानों ने अपना कर्तव्य भली प्रकार निभाया है पर उपभोक्ताओं के हित के लिये इन दूकानों की ओर अधिक देखभाल तथा उन पर और अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभिन्न राज्यों में जो प्रणाली प्रचलित है उसका परीक्षण किया जा रहा है।

इस बात के अनेक कारण हैं कि उत्पादन अधिक होने पर भी इस वर्ष खाद्यान्नों के मूल्य गत वर्ष के मूल्य से सामान्यतया अधिक हैं। अधिक आय के परिणामस्वरूप उपभोग की वृद्धि होने के अलावा एक स्पष्ट कारण यह भी हो सकता है कि व्यापारी तथा उत्पादक अनाज का संग्रह

[श्री अ० प्र० जैन]

कर रहे हों। व्यापारियों द्वारा संग्रह की प्रवृति को रोकने के लिये सरकार के कहने पर भारत के रक्षित बैंक ने अनुसूचित बैंकों को निदेश दे दिया है कि वे खाद्यान्नों पर अग्रिम धन देने की एक सीमा निर्धारित कर दें। स्पष्ट है कि किसानों को ऋण लेने की सुगम सुविधायें प्राप्त होने और नकद फसलों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण आज किसानों की स्थिति इस कार्य के लिये पहले की अपेक्षा अधिक सुलभ है कि वे अपने खाद्यान्नों को संग्रह कर के रोके रखें और बाद में अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिये बिना फसल के महीने में उसे बेचें। किसानों की स्थिति में इस प्रकार के सुधार का---एक दृष्टिकोण से---स्वागत है पर उपभोक्ता को इसके कारण अधिक दाम देने पड़ेंगे। सरकार को इस स्थिति से उत्पन्न इस जटिल समस्या का सदैव ध्यान रहा है और उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिये सरकार ने समय समय पर कार्यवाही भी की है। सरकार स्थिति पर ध्यान रखेगी और आवश्यक कार्यवाही भी करेगी, साथ ही सरकार का विचार है कि इस पूर्ण प्रश्न की भली प्रकार छानबीन की जानी चाहिये और उन्होंने एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त करने का निश्चय कर लिया है जो इस बात का पता लगायेगी कि अधिक उत्पादन होने पर मूल्य क्यों बढ़ गया और वह समिति तुरन्त और समय-समय पर ऐसे उपायों के बारे में सुझाव देगी जिनसे अनुचित लाभ उठाने के लिये किये जाने वाले संग्रह तथा मूल्यों की वृद्धि को रोका जा सके।

समितियों के लिये निर्वाचन

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के नियम २ (६) और उसके साथ पठित नियम ६ (२) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दे, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज सायंकाल या कल निकलने वाले समाचार में तिथियां तथा अन्य सूचनायें निकाली जायेंगी।

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि (वर्तमान खाद्य तथा कृषि) मंत्रालय के ८ नवम्बर, १९४८ के संकल्प संख्या एफ १६-७२।४७---नीति, आज तक संशोधित रूप में, के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दे, राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति में तीन वर्ष की अवधि के लिये काम करने के हेतु अपने में से चार सदस्य चुनें।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम)** : मैं पूछना चाहता हूं कि गत वर्ष में इस समिति की कितनी बैठकें हुई थीं ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : शायद दो बार ।

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, १९४६ (१९४६ का अधिनियम ९) समय-समय पर संशोधित रूप में, की धारा ४ के खण्ड (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के १० अप्रैल, १९४५ के संकल्प संख्या एफ ४०—२६/४४—ए के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के २२ जनवरी, १९५५ के संकल्प संख्या एफ १२—४१/५३—काम०—२ और कृषि मंत्रालय के २६ अक्तूबर, १९५६ के और २२ मार्च, १९५७ के संकल्प संख्या ९—१४६।५६-काम०—२ द्वारा संशोधित रूप में, पैराग्राफ ३ के खण्ड (७—९) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

रेलवे (आय-व्ययक—१९५७-५८

†**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय रेलवे मंत्री आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : अध्यक्ष महोदय, मैं १९५७—५८ में रेलवे की आमदनी और उसके खर्च का विवरण पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

१९ मार्च, १९५७ को पुरानी लोक-सभा के सामने 'लेखानुदान' के लिये मैंने चालू वित्तीय वर्ष के खर्च के जो अनुमान रखे थे, वे प्राय: पहले जैसे हैं; उनमें केवल अलग-अलग मांगों में कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन हुये हैं वे व्याख्यात्मक ज्ञापन के पूरक में बताये गये हैं । इन परिवर्तनों

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगजीवन राम]

का ब्योरेवार विवरण मांग पुस्तिका की व्याख्याओं में दिया गया है। लेकिन जहां तक आमदनी का सवाल है, उसमें सदन के विचारार्थ मैं कुछ नये प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिनसे वित्तीय स्थिति की तस्वीर बहुत कुछ बदल जाती है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि रेलवे मंत्रालय ने पहले पहल अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये १,४८० करोड़ रुपये का अनुमान तैयार किया था जो रेलवे के यात्री और माल परिवहन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिये खर्च का सबसे कम अनुमान समझा गया था। सामान्य योजना में विकास-सम्बन्धी दूसरे कामों के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें पूरा करने के लिये यह जरूरी समझा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में रेलवे की जो परिवहन क्षमता थी, उसे इतन बढ़ाया जाय ताकि रेलवे ३० प्रतिशत अधिक यात्री और ६०८ लाख टन अधिक माल, अर्थात् कुल १८०८ लाख टन माल ढो सके। रेलवे योजना में ३००० मील नयी लाइन बनाने की भी व्यवस्था की गयी थी। लेकिन सरकार के वित्तीय साधन सीमित होने के कारण, रेलवे की दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये केवल १,१२५ करोड़ निर्धारित किये गये, जिनमें से योजना की अवधि में रेलवे को अपनी निजी साधनों से ३७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी थी। रकम कम होने के कारण रेलवे योजना के कार्य-क्षेत्र को भी कम करना पड़ा। अधिकतर नयी लाइनों के बनाने का विचार छोड़ दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब केवल वे लाइनें रखी गयी हैं जो इस्पात और कोयले के उत्पादन के विकास के लिये जरूरी हैं। निर्धारित रकम के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि इस लागत से यात्री परिवहन की क्षमता केवल १५ प्रतिशत बढ़ सकेगी और कुल १६२० लाख टन माल ढोया जा सकेगा। यात्री यातायात की क्षमता के लक्ष्य में जो कमी की गयी, उसके फलस्वरूप योजना की अवधि में सवारी गाड़ियों में भीड़ हटाने की सम्भावना कम हो गयी। गाड़ियों में इस समय जो भीड़ की स्थिति है, उसका बना रहना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन माल परिवहन की क्षमता के लक्ष्य को १८०८ लाख टन से घटा कर १६२० लाख टन करना देश की विकासमान आर्थिक व्यवस्था के लिये कहीं अधिक चिन्ता की बात है। इस्पात के नये कारखानों और वर्तमान कारखानों के विकास के लिये जरूरी कोयला और दूसरे कच्चे सामान के लिये २५० लाख टन, दूसरे लोगों के लिये ६० लाख टन अधिक कोयला और ४० लाख टन अधिक सीमेंट के परिवहन की क्षमता निकाल कर, बिसाता, व्यापार, और दूसरे सभी उद्योगों और खेती के बढ़े हुये उत्पादन के लिये परिवहन की क्षमता बहुत कम रह जाती है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में जो अनुभव हुआ है, उससे यह बात स्पष्ट है कि योजना की अवधि में रेल-परिवहन की मांग का जो १८०८ लाख टन अनुमान पहले लगाया था, परिवहन की वास्तविक मांग उससे कहीं अधिक भी हो सकती है। इसलिये, यह स्पष्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिये निर्धारित १,१२५ करोड़ रुपये उसकी जरूरतों के लिये, बिल्कुल अपर्याप्त हैं, क्योंकि इसमें केवल ४२० लाख टन अधिक माल ढोने की व्यवस्था की गयी है। अधिक यातायात सम्हालने के लिये रेलवे योजना का विस्तार करना अनिवार्य है और साथ ही यह भी आवश्यक है कि यह विस्तार करने का निर्णय इसी समय किया जाय, क्योंकि परिवहन की क्षमता बढ़ाने के लिये लाइन की क्षमता और सिगनल-व्यवस्था के काम जरूरी होते हैं और इन कामों में समय लगता है। मोटे हिसाब के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि दामों के वर्तमान स्तर पर १८०८ लाख टन माल ढोने के लिये रेलवे को १०० करोड़ रुपये से ऊपर अतिरिक्त रकम की जरूरत होगी। योजना की प्रगति के साथ रेल-परिवहन की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा योजना तैयार होने के बाद श्रमिकों की लागत और इस्पात, सीमेन्ट आदि जरूरी सामान की कीमत बढ़

गयी, जिसकी वजह से यात्री परिवहन में १५ प्रतिशत बढ़ती और ४२० लाख टन अधिक माल ढोने के लिये भी १,१२५ करोड़ रुपये काफी नहीं हैं। अब अनुमान है कि १,१२५ करोड़ की योजना में पहले जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उन्हें पूरा करने के लिये लगभग १०० करोड़ रुपये अधिक खर्च होंगे।

अतिरिक्त खर्च के जो दो मद ऊपर बताये गये हैं, वे कुल मिलाकर २०० करोड़ रुपये से अधिक हैं। फरवरी १९५६ में माल और पार्सल भाड़े पर ६¹/₄ प्रति शत पूरक प्रभार का प्रस्ताव रखते समय, मेरे पूर्ववर्ती, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जैसा बताया था, प्रचलित किराये और भाड़े के मूल्य स्तर के अनुसार हिसाब लगाने पर योजना-अवधि में रेलवे राजस्व से केवल लगभग ३२५ करोड़ की आमदनी होगी। इस रकम में मूल्य आरक्षित निधि में अंशदान के २२५ करोड़, चालू लाइन राजस्व के काम पर खर्च, रेलवे की निधियों पर सूद और राजस्व लेखे की बचत भी शामिल है। इस तरह योजना के लिये रेलवे को जो ३७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है, उसमें ५० करोड़ रुपये की कमी रह जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार ऐसा जान पड़ता है कि किराये और भाड़े के मूल दर पर राजस्व लेखे में कुछ अधिक बचत होगी। इसके अलावा, योजना की अवधि में ६¹/₄ प्रतिशत पूरक प्रभार लगाने से आमदनी लगभग ७१ करोड़ बढ़ जायेगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि माल और पार्सल के भाड़े पर मौजूदा ६¹/₄ प्रतिशत पूरक प्रभार से ५० करोड़ की प्रारम्भिक कमी पूरी करने के बाद जो रकम बचेगी, व २०० करोड़ से अधिक अतिरिक्त खर्च का एक छोटा हिस्सा होगा। १९६०-६१ तक माल परिवहन की मांग में बढ़ती का जो अनुमान है, उसे पूरा करने के लिये रेलवे को २०० करोड़ रुपये से कुछ अधिक अतिरिक्त रकम जुटानी होगी। इस बात को अब सभी लोग मानते हैं कि योजना के विकास-सम्बन्धी कामों की प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि परिवहन क्षमता भी उनके साथ-साथ बढ़े। लोग इस बात से भी सहमत हैं कि परिवहन क्षमता में सामयिक वृद्धि पर ही योजना की सफलता निर्भर है। इसलिये, यह जरूरी है कि अतिरिक्त खर्च के लिये जल्द से जल्द रकम की व्यवस्था की जाय।

पिछले मार्च में बजट पेश करते समय, मैंने कहा था कि भाड़ा-दर जांच समिति की रिपोर्ट जल्द मिलने वाली है और जब नयी पार्लियामेंट के सामने फिर बजट पेश किया जायेगा, तो यह बताना सम्भव हो सकेगा कि समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उन सिफारिशों पर अमल करने का क्या असर पड़ा है। मुझे खेद है कि मेरे लिये यह बताना सम्भव न हो सका। समिति की अन्तिम और पूरी रिपोर्ट अभी कुछ ही समय पहले मिली है। समिति को जो काम सौंपा गया था वह कठिन था। श्री रामास्वामी मुदालियर और समिति में उनके सहयोगियों ने अपनी रिपोर्ट में इस जटिल विषय पर जिस पूर्णता के साथ विचार किया है, उसके लिये मैं सरकार की ओर से उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। समिति ने अपनी सिफारिशों में भाड़े की दर के सामान्य स्तर को बहुत कुछ बढ़ाने का सुझाव रखा है। भाड़े के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट में जो विचार प्रकट किये गये हैं, उनके प्रभाव बहुत व्यापक हैं। समिति की सभी सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की जरूरत है, लेकिन भाड़ा-दर से सम्बन्धित इसकी सिफारिशों पर विशेष रूप से विचार करना है। इस बात का अन्दाजा लगाया गया है कि समिति की सिफारिशों की पूरी छानबीन, माल दर-सूची में संशोधन और मील-तालिका बनाने जैसे प्रारम्भिक काम चालू कैलेण्डर वर्ष के खतम होने से पहले पूरे नहीं किये जा सकते। भाड़े की नयी दर चालू करने से पहले इन कामों का हो जाना जरूरी है। हम योजना के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गये हैं, इसलिये चल-स्टाक और निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त खर्च के लिये साधनों को सुदृढ़ करने में अब देर नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यदि अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था न की गयी, तो रेलवे बढ़ते हुये यातायात को सम्हालने

[श्री जगजीवन राम]

के लिये अपनी क्षमता बढ़ाने में पीछे रह जायेगी। अब यह निश्चित है कि योजना की अवधि में रेलवे पर यातायात का बोझ बढ़ेगा ।

इसलिये १ जुलाई १९५७ से माल और पार्सल यातायात पर पूरक प्रभार को ६¹/₄ प्रतिशत से बढ़ा कर १२ प्रतिशत करने का विचार है। कुछ चीजें जो इस प्रकार से मुक्त हैं, अब भी इससे मुक्त रहेंगी। मैंने यात्री किराये में कोई तबदीली नहीं की है, क्योंकि मेरे सहयोगी, वित्त मंत्री इस मसले पर विचार कर रहे हैं ।

भाड़े में बढ़ती को ध्यान में रख कर अनुमान लगाया गया है कि माल और पार्सल यातायात से क्रमशः ११·३ करोड़ और १·२ करोड़ की अधिक आमदनी होगी। चूंकि बढ़ी हुई दर पहली जुलाई से लागू होगी, इसलिये अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में आमदनी लगभग ९¹/₂ करोड़ बढ़ जायेगी। आशा है कि चालू वर्ष के अन्त तक भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ तरह के माल और पार्सल के भाड़े में कुछ परिवर्तन किये जायेंगे और पूरक प्रभार की एक सी दर समाप्त कर दी जायेगी ।

पार्सल और माल की बढ़ी हुई आमदनी को ध्यान में रख कर चालू वर्ष में अब ३०·८३ करोड़ की बचत का अनुमान है। यह रकम विकास निधि में डाली जायेगी ।

यद्यपि सदन में और बाहर यह विचार प्रगट किया गया है कि गाड़ियों में भीड़ कम करने और आमदनी बढ़ाने के लिये यात्रा-सम्बन्धी रियायतें कम दी जायं या इन्हें समाप्त कर दिया जाय, लेकिन इस समय किसी भी वर्तमान रियायत को समाप्त करने का विचार नहीं है। वास्तव में, मेरा विचार है कि इस समय एक टिकट पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अन्धे यात्रियों और उनके परिचरों को रेल में यात्रा करने की जो रियायत दी जाती है, वह सभी अन्धे यात्रियों को दी जाय। इस तरह की रियायत क्षय रोगियों को अस्पताल तक जाने और वहां से निकलने पर घर आने के लिये भी दी जाये। ये दोनों रियायतें आवश्यक प्रमाण-पत्र देने पर दी जायेंगी ताकि इनका दुरुपयोग न किया जा सके ।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि १,१२५ करोड़ की मूल योजना के अमल में क्या प्रगति हुई है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान १९५७–५८ के रेलवे बजट पर श्वेत-पत्र की प्रस्तावना की ओर दिलाना चाहूंगा। उसमें यह बताया गया है कि १९५६–५७ में क्या प्रगति हुई और चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या कार्यक्रम रखा गया है। संक्षेप में, १९५६–५७ में निर्माण, स्थिर-यंत्र, मशीन और चलस्टाक पर १९३ करोड़ खर्च की व्यवस्था की गयी थी। इस साल के आखिरी हफ्ते में रेलों का अन्तिम अनुमान १७८ करोड़ था। खर्च में जो कुछ कमी हुई वह सब की सब प्रायः निर्माण के मद में हुई। १९५६–५७ में सिविल इंजीनियरिंग के काम पर खर्च का संशोधित अनुमान ८८·१९ करोड़ के मूल अनुमान से लगभग ११·८ करोड़ कम था। खर्च का अन्तिम अनुमान संशोधित अनुमान से भी लगभग ६·६ करोड़ कम हो गया। खर्च के संशोधित अनुमान में कमी का एक कारण यह था कि बम्बई सरकार के चोला बिजली घर की खरीद के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न हो सका और इसलिए उसका लेखा-भुगतान नहीं हुआ। पर साल सिविल इंजीनियरिंग के कामों पर जो खर्च हुआ उससे यह स्पष्ट है कि कम खर्च प्रायः सामान की कमी के कारण है। खासतौर पर पटरी, स्लीपर, फिटिंग, सिगनल और अन्तपर्षि आदि रेल-पथ के सामानों की कमी रही। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि काम की प्रगति बढ़ाने के लिए निर्माण-संगठनों को तैयार करने में कुछ समय लगता है। योजना के पहले साल में ऐसा करना संभव न था, फिर भी जिन कारणों से प्रगति

धीमी रही, उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और आगे किया जा रहा है, ताकि अगले वर्षों में काम तेजी से बढ़े और योजना पर पूरी तरह अमल किया जाय।

रेल-पथ के लिए इस्पात, पुल के गर्डर, सीमेन्ट आदि जरूरी सामानों की बहुत कमी थी फिर भी, निर्माण की प्रगति काफी सन्तोषजनक रही और योजना के विभिन्न कार्य प्रशंसनीय तत्परता के साथ किये गये। १६५६–५७ में कुल मिलाकर ८७ मील लम्बी नयी रेलवे लाइनें यातायात के लिए खोली गयीं, जिसमें २४ मील लम्बी चम्पा-कोरबा लाइन, २६ मील लम्बी फतेहपुर-चुरू शाखा लाइन और क्विलन-इर्नाकुलम लिंक का ३७ मील लम्बा इर्नाकुलम-कोट्टायम खण्ड शामिल है। कुल मिलाकर ५२४ मील लम्बी दूसरी ८ लाइनों पर काम जारी है। हाल में चन्द्रपुर और मुरी के बीच ४३ मील लम्बी लाइन बनाने की मंजूरी दी गयी है। अनुमान है कि बरसात के बाद ही इस पर तेजी से काम शुरू हो जायेगा। गांधीधाम और नया काण्डला के बीच ७ मील लम्बी लाइन जो परसाल माल यातायात के लिए खोली गयी थी, अब सब तरह के यातायात के लिए खोल दी गयी है। ७०० मील लम्बी लाइन पर दोहरी पटरी बिछाने का काम हो रहा है। दक्षिण-पूर्व रेलवे में ३७० मील, पश्चिम रेलवे में ११६ मील और दक्षिण रेलवे में ७८ मील लम्बी लाइनों पर दोहरी पटरी बिछायी जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में विभिन्न योजनाओं पर १,५०,००० से अधिक आदमी काम कर रहे थे।

कुल २८०० मील लम्बी लाइनों के सर्वे की मंजूरी दी गयी, जिसमें से लगभग २००० मील में जांच पड़ताल का काम अभी जारी है। १६५५–५६ में जिन सर्वेक्षणों की मंजूरी दी गयी या जिन पर काम जारी था, उनमें से माधोपुर, कैथुआ, बारासत-हसनाबाद, मंगलोर-हसन लाइन और दिल्ली क्षेत्र के लिए परिहार लाइन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ग्वालियर-उज्जैन के गुना-उज्जैन, निजामाबाद-रामागुण्डम, मुजफ्फरपुर-दरभंगा, राबर्ट्सगंज-गढ़वारोड, रामपुर-हल्दवानी, भाइली-भदरान, और सोजिम-घोलका और काडुर–चिकमगलूर–सकलेशपुर लाइनों का सर्वे लगभग पूरा हो रहा है। सम्बलपुर-टिटिलागढ़, सीतामढ़ी सोनवरसा, बंगलोर सेलम, त्रिवेन्द्रम-तिन्नेवली–केप कमोरिन, वेलोर–कांजीवरम, कोटा–चित्तौरगढ़, उदयपुर–हिम्मतनगर सतना–रीवां–गोविन्दगढ़, निपानी–सकलेश्वर–घटप्रभा और बख्तियारपुर–राजगिर लाइन और करनपुर और कथारा कोयला क्षेत्र की शाखा लाइन के सर्वे का काम जारी है।

तुगलकाबाद और गाजियाबाद के बीच परिहार लाइन के अलावा दिल्ली में यमुना पर एक दूसरा रेल-सड़क पुल बनाने की योजना पर विस्तार-पूर्वक विचार किया जा रहा है। आशा है कि इस परिहार लाइन का समरेखण सर्वे (alignment survey) जल्द पूरा हो जायेगा। पूना के केन्द्रीय जल मार्ग और बिजली अनुसन्धान स्टेशन भी माडल परीक्षण द्वारा जांच कर रहा है कि जिस जगह पर पुल बनाने का विचार है वह पुल के लिए उपयुक्त है या नहीं। कुर्दूवाडी–मिरज छोटी लाइन और पूना–मिरज–कोल्हापुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलन की मंजूरी दे दी गयी। आसाम के लिए एक दूसरी लाइन बनाने के उद्देश्य से जलधाका और तोरसा नदियों पर पुल बनाने के सम्बन्ध में तात्कालिक जांच पड़ताल की गयी।

मैंने अभी जो विवरण दिये हैं, उनसे माननीय सदस्यों को मालूम हो गया होगा कि बहुत सी लाइनों का सर्वे पूरा हो गया है और कुछ बहुत सी लाइनों का सर्वे भी किया जा रहा है। जब इन सब सर्वेक्षणों की रिपोर्ट मिल जायगी और उन पर विचार कर लिया जायगा, तो कुछ लाइनें वित्तीय और दूसरे कारणों से कार्यक्रम से निकाल दी जायेंगी। लेकिन रकम और सामान की कमी के कारण बाकी लाइनों के बारे में भी मुझे कोई आशा नहीं है कि इन पर काम दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जा सकेगा। इन परिस्थितियों में नये सर्वे करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि इस से

[श्री जगजीवन राम]

हमारी जन-शक्ति, जो योजना के मंजूर कामों की प्रगति के लिए तत्काल आवश्यक है, क्षीण होगी। इसलिए, १९५७-५८ में कोई नया सर्वे मंजूर करना मैं ठीक नहीं समझता जब तक कि उनका सम्बन्ध स्वीकृत विकास योजनाओं से न हो, या वे परिचालन अथवा सैनिक महत्व की दृष्टि से जरूरी न हों।

केन्द्रीय परिवहन बोर्ड ने उखाड़ी गयी जिन १२ लाइनों को फिर से चालू करने की मंजूरी दी थी, उन में से ११ लाइनें १९५५ तक चालू कर दी गयी थीं। बाकी रोहतक-पानीपत लाइन के रोहतक-गोहाना खण्ड को चालू करने की मंजूरी १९५६-५७ में दी गयी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में धन की कमी के कारण उखाड़ी गयी किसी और लाइन को चालू करना सम्भव नहीं है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार आसाम-रेल मार्ग को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए चिन्तित है। १९४७ में आसाम से रेल-सम्बन्ध टूट गया और सरकार ने जल्द से जल्द बंगाल के उत्तरी जिलों से होकर भारत का संकरी सीमा में ३ नये रेल सम्पर्क बनाकर इस क्षेत्र की पुरानी रेलवे में उन्हें मिला दिया। बगरा कोट से माल (Mal) और मदारी हाट से पूरब के पुराने टुकड़े इस सदी के शुरू में भूतपूर्व बी० डी० रेलवे द्वारा शाखा लाइन के रूप में मुख्यत: चाय बागानों के यातायात के लिए बनाये गये थे। आजकल की जरूरतों के अनुसार इन पुरानी लाइनों को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोई काम करने से पहले सरकार ने विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की थी और उससे आसाम रेल-लिंक को सुदृढ़ बनाने के सुझाव मांगे गये थे। समिति की रिपोर्ट मिल गयी है और उस पर विचार किया जा रहा है। इस दरमियान में रेल-सम्पर्क कायम रखने के लिए सभी सम्भव उपाय किये गये हैं। अगली बरसात में लाइन के अनुरक्षण और बरसात के बाद काम शुरू होने पर लाइन को मजबूत करने के लिए एक बहुत सीनियर और अनुभवी इंजीनियर की नियुक्ति की गयी है और उन्हें इस काम के लिए कुछ विशेष कर्मचारी दिये गये हैं।

माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि पिछले मार्च में जो श्वेत-पत्र पेश किया गया था, उसमें इस बात का जिक्र है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय रेलवे के कुछ सेक्सनों पर बिजली से गाड़ियां चलायी जायेंगी। ८०० मील लम्बी रेलवे लाइन पर बिजली से गाड़ी चलाने के लिए योजना में ८० करोड़ की व्यवस्था की गयी है। दूसरी योजना में कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्र और मुख्य लाइन के बर्दवान-गोमोखण्ड (पूर्व रेलवे), इगतपुरी-भुसावल खण्ड (मध्य रेलवे) और तम्बरम-विलुपुरम खण्ड (दक्षिण रेलवे) बिजली से चलाने के लिए चुने गये हैं। बाद में यह भी जरूरी समझा गया कि गोमो-मुगलसराय, आसनसोल-रूरकेला और राजखरसावां--बड़ा जमदा खण्डों पर भी बिजली से गाड़ी चलायी जाय। इस तरह बिजली की योजना में लगभग ५०० मील लाइनें बढ़ गयीं। योजना बनाते समय यह विचार था कि बिजली से गाड़ियां बम्बई और मद्रास के उपनगरी खण्डों की तरह 'डायरेक्ट करेंट सिस्टम' पर चलायी जायेगी। लेकिन चूंकि फ्रेंच नेशनल रेलवे में 'सिंगल फेज आल्टरनेटिंग करेंट सिस्टम' पर बिजली से गाड़ियां सफलता-पूर्वक चलायी जा रही हैं और कुछ दूसरे प्रगतिशील देशों में भी इस पद्धति के अपनाये जाने की सूचना मिली है, इसलिए इस पद्धति को भारत की मुख्य लाइनों पर चालू करने की संभावना पर विचार किया गया। इस काम के लिए फ्रेंच नेशनल रेलवे के बिजली इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई, जिनसे इस जांच में काफी मदद मिली है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार की ओर से फ्रांस की सरकार और फ्रेंच नेशनल रेलवे के अधिकारियों के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए प्रटक करता हूं। डायरेक्ट करेंट सिस्टम की तुलना में इस पद्धति के परिचालन और वित्तीय लाभों को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि भारतीय

रेलों की मुख्य लाइनों पर बिजली से गाड़ियां इस पद्धति के अनुसार चलायी जायें। इस समय इस पद्धति की टेकनिकल बातों की जांच हो रही है।

पिछले वर्षों की तरह चालू साल में भी, रेल यात्रा को अधिक आरामदेह बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगी। इसके लिए २.९८ करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इस बात का सर्वे पूरा हो गया है कि सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यात्री सुविधा का जो कम से कम स्तर निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार इन स्टेशनों पर अभी कितना काम करना है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसको पूरा करने में समय लगेगा, क्योंकि सुविधाओं की व्यवस्था सामान मिलने पर ही निर्भर है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, १९५६–५७में सभी तरह के निर्माण-सामान, खास तौर पर इस्पात सीमेंट, पाइप और सिगनल के सामान की बहुत बड़ी कमी रही है। पिछली मार्च में मैंने कहा था कि दूसरे मंत्रालयों से मिलकर पटरी, स्लीपर आदि सामान प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। अब यह तय हो गया है कि रेलवे मंत्रालय रेलवे के लिए इस्पात के विशेष सामान खरीदने का काम खुद अपने हाथ में ले ले। पटरी, स्लीपर आदि सामान की जल्दी खरीद के लिए एक मिशन यूरोप और दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। रेलवे की योजना को अमल में लाने के लिए इन चीजों की कमी से बड़ी रूकावट हो रही है। लकड़ी के स्लीपरों की प्राप्ति का काम काफी बढ़ा है, क्योंकि नयी-नयी किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल—लोबान लगा कर या बिना लोबान लगाये—काफी मात्रा में किया गया है। स्लीपरों के प्रतिमान की शर्तों में भी कुछ छूट दी गयी है और अंडमान से भी काफी लकड़ी मिली है। साथ ही बर्मा, आस्ट्रेलिया, थाईलैण्ड, मलाया, इन्डोनेशिया और ब्राजील से अधिक इमारती लकड़ी मंगाने के लिए भी कार्रवाई की गयी है। इन सब कोशिशों के बावजूद लकड़ी के स्लीपरों से हमारी केवल एक तिहाई जरूरत पूरी होती है और रेलवे को मजबूरन धातु के स्लीपर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। धातु के स्लीपर भी काफी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए अब कांक्रीट के स्लीपरों का इस्तेमाल शुरू करने का विचार है। शुरू में कांक्रीट के स्लीपर केवल बड़े यार्डों में इस्तेमाल किये जायेंगे।

सदन को मालूम होगा कि रेलवे योजना में वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से कर्ज लेने की बात शुरू की थी। पिछली सर्दियों में रेलवे अफसरों के एक मिशन और विश्व बैंक के बीच वाशिंगटन में बात चीत हुई थी, जिसके फलस्वरूप विश्व बैंक में भारतीय रेलों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल यहां भेजा था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक को दे दी है। अब यहां से एक मिशन, जिसमें रेलवे बोर्ड के दो सदस्य भी होंगे, कर्ज की बात पूरी करने के लिए जल्द वाशिंगटन जा रहा है। आशा है कि विश्व बैंक से जो कर्ज मिलेगा उसे विदेशी मुद्रा-विनिमय की कठिनाई, जिससे रेलवे की योजना को काफी नुकसान पहुंच रहा है, बहुत कुछ दूर हो जायेगी।

आलोच्य वर्ष में खास तौर पर उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण रेलवे में असाधारण बाढ़ के कारण बहुत अधिक नुकसान हुआ है, दुर्भाग्यवश इस साल दो गंभीर रेल-दुर्घटनाएं हुईं। एक दक्षिण रेलवे में अरियालुर स्टेशन के पास और दूसरी मध्य रेलवे में महबूबनगर के पास। इन दोनों दुर्घटनाओं का कारण यह था कि अभूतपूर्व और भारी बाढ़ की वजह से पुल के पहुंच-मार्ग बह गये थे। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए जांच कमीशन नियुक्त किये गये थे। इन कमीशनों की रिपोर्ट मिल गयी है और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय ने जो निर्णय किये वे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जा चुके हैं।

[श्री जगजीवन राम]

मार्च में बजट पर बहस का उत्तर देते समय मैंने कहा था कि रेल कर्मचारियों के हित के लिए भविष्य-निधि और उपदान की वर्तमान प्रणाली के बदले रिटायर होने के बाद पेन्शन देने के दो तीन सुझावों पर विचार हो रहा है। अब मैं कह सकता हूं कि सुझावों की निश्चित रूप-रेखा तैयार है और उस पर निकट भविष्य में मैं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करना चाहता हूं।

मार्च अधिवेशन में मैंने यह भी कहा था कि चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिए उनके अपने दर्जे और तीसरे दर्जे की नौकरियों में भी तरक्की के रास्ते खुल जायें। चौथे दर्जे के कर्मचारियों की तरक्की के सवाल पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है। श्री पी० डी० तापसे इसके अध्यक्ष हैं और रेलवे डाक-तार विभाग और योजना आयोग के कुछ सीनियर अफसर और कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। यह कमेटी जल्द अपना काम शुरू कर देगी।

रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छे किस्म के मकान और दूसरी सुविधाओं का सवाल पहली और दूसरी पंच वर्षीय योजनाओं में प्रमुख रहा है। पहली पंच वर्षीय योजना में कर्मचारियों के लिए कुल ४०,००० से अधिक मकान बनाये गये थे। लगभग १५,००० मकान पारसाल बनाये गये और इतने ही चालू वर्ष के कार्यक्रम में भी रखे गये हैं। आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में कर्मचारियों के लिए जितने मकान थे, योजना के अन्त में इस संख्या में ६४,५०० नये मकान और जुड़ जायेंगे। इस सम्बन्ध में नीति यह है कि मकान केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए ही नहीं बनाये जाते जो आवश्यक श्रेणी में आते हैं और जिन्हें रात-दिन किसी समय काम पर बुलाया जा सकता है और इसलिए उन्हें अपने काम की जगह के पास रहना पड़ता है; बल्कि जिन क्षेत्रों में प्राइवेट मकानों की कमी है, वहां दूसरे कर्मचारियों के लिए भी मकान बनाये जाते हैं। नये मकान बनाने के अलावा बहुत बड़े पैमाने पर वर्तमान मकानों में सुधार किये गये हैं। पुराने ढंग के मकानों में नये ढंग से परिवर्तन किया गया है और उनमें जलवाहित टट्टियों और बिजली की व्यवस्था की गयी है।

वैसे शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम है, लेकिन जहां शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, उन स्टेशनों पर नियुक्त रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए रेल प्रशासनों ने बहुत से स्कूल खोले हैं। इन स्कूलों का पूरा खर्च रेलवे राजस्व से किया जाता है। शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के प्रश्न पर भारतीय रेल-कर्मचारी संघ और रेलवे बोर्ड के बीच बातचीत हुई है। रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए कितने और प्राइमरी स्कूल खोले जायें, इसका अनुमान लगाने के लिए बड़ी बड़ी बस्तियों का एक सर्वे किया गया था, जो अभी हाल में पूरा हुआ है। जिन शर्तों पर ये स्कूल खोले जायेंगे, उन्हें तय करने के लिए इस समय स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है।

जिन बड़ी रेल-बस्तियों में शिक्षा की सुविधा नहीं है, वहां प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। इस के अलावा यह भी जरूरी मालूम होता है कि उन रेल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जाय, जो ऐसी दूर जगहों में नियुक्त है जहां आस-पास कोई स्कूल नहीं है और जहां रेल कर्मचारियों के बच्चे इतनी संख्या में नहीं हैं कि उनके लिए रेलवे स्कूल खोले या स्कूल खोलने में सहायता करें। आरजी के तौर पर मैं यह तय किया है कि जो कर्मचारी अपने भाषा-क्षेत्रों से बाहर या उन स्टेशनों पर नियुक्त हों जहां शिक्षा की समुचित सुविधा नहीं है या जिसकी व्यवस्था वहां नहीं की जा सकती, उनके लिए शुरू में हर भाषा-क्षेत्र में होस्टलों वाले एक-एक स्कूल खोले जायें और इनमें प्राइमरी और सेकण्डरी की शिक्षा दी जाये। मैं चाहता हूं कि ऐसे स्कूल कम खर्च पर बनाये और चलाये जायें। इस सम्बन्ध में शीघ्र जांच-पड़ताल शुरू की जा रही है।

मेरे पूर्ववर्ती रेल-मंत्री ने १९५६-५७ का बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा था कि रेलवे में इलाज की वर्तमान व्यवस्था की जांच करने और उसके विस्तार की योजना बनाने के लिए रेलवे बोर्ड के दफ्तर में एक अफसर नियुक्त किया जायगा। मुझे खुशी है कि यह जांच पूरी हो चुकी है और रेलवे में इलाज की सुविधा का विस्तार करने की योजना बन चुकी है। यह विस्तार जिन दिशाओं में किया जायगा, उनमें से कुछ का संकेत 'श्वेत-पत्र' में दिया जा चुका है।

मैं यहां विशेष रूप से उन सुविधाओं की चर्चा करना चाहता हूं जो क्षय रोग से पीड़ित रेल-कर्मचारियों के इलाज के लिए की जायेंगी। इस रोग में यह नितान्त आवश्यक है कि इसका निदान और इलाज जल्द किया जाय। टी० बी० रोग का पता लगाने और उसके इलाज के लिए ८० चेस्ट क्लिनिक खोलने की योजना बनायी गयी है। इनमें से ३३ खुल गये हैं। साथ ही हम क्षय के अस्पतालों में क्षय के पुराने रोगियों के इलाज की अधिक से अधिक व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे पूर्ववर्ती रेल-मंत्री ने फरवरी १९५६ में कहा था कि देश के कुछ सेनिटोरियम में रेल-कर्मचारियों के लिए २२० खाट आरक्षित कर दिये गये हैं। जैसा कि 'श्वेत-पत्र' में बताया गया है, अब आरक्षित खाटों की संख्या ६४६ हो गयी है और हमारा विचार है कि मार्च १९६१ तक इनकी संख्या बढ़ाकर लगभग १३५० कर दी जाय।

पहले रेल में इलाज की जो सुविधा थी, उसमें अधिकतर रोग के इलाज पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन चिकित्सा की आधुनिक धारणा के अनुसार रोग की रोक-थाम भी उतनी ही जरूरी है। इसी के अनुसार यह फैसला किया गया है कि रेल के मौजूदा दवाखानों को स्वास्थ्य केन्द्रों में बदल दिया जाय और नये स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले जायं। यह बात मान ली गयी है कि स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामों के लिए एक सीनियर अफसर का होना जरूरी है जो अपना पूरा समय इस काम पर लगाये। इसके अनुसार हर रेलवे के प्रधान कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर (स्वास्थ्य) की जगह मंजूर की गयी है।

रेलों के सदर मुकाम अस्पतालों में नामी सर्जन और चिकित्सकों का सहयोग प्राप्त करने के जिस प्रस्ताव की चर्चा फरवरी, १९५६ में बजट पेश करते समय की गयी थी, उस पर अमल किया जा रहा है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले उत्तर रेलवे का जो केन्द्रीय अस्पताल खुला है, उसमें इस तरह के विशेषज्ञों को रखने की व्यवस्था करीब-करीब पूरी हो चुकी है।

पिछले वर्षों में खेल-कूद में रेलवे का जो विशिष्ट स्थान रहा है, वह माननीय सदस्यों को मालूम है। लड़ाई के दौरान में और उसके कुछ साल बाद तक रेलें इस तरह के कार्यों में अपना ज्यादा समय और ध्यान न लगा सकीं, लेकिन पिछले चार साल में, मेरे पूर्ववर्ती, श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से, वे फिर इस क्षेत्र में उतर आयी हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने वेट-लिफ्टिंग और हाकी में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप प्राप्त करके अपनी पुरानी ख्याति को फिर पा लिया है। हाकी की चैम्पियनशिप २७ साल बाद प्राप्त की गयी है। अभी हाल में मध्य रेलवे ने 'इन्विटेशन गोल्ड कप' जीता है। इस मुकाबिले में अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त टीमें भाग लेने के लिए निमंत्रित की जाती हैं। खेल कूद के क्षेत्र में रेल-कर्मचारियों ने कई अखिल भारतीय रिकार्ड कायम किये और पिछले कुछ रिकार्डों को बढ़ाया है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भी देश का प्रतिनिधित्व किया है। मेरे सुझाव पर इस साल रेलवे सप्ताह में रेलों ने फोटोग्राफी, चित्रकला और दस्तकारी की नुमाइशों के अलावा नाटक, नृत्य और संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये, जिनमें देश भर के बहुत से कलाकारों ने भाग लिया। ये कलाकार या तो रेल कर्मचारी थे या उनके सम्बन्धी। रेल कर्मचारियों में प्रतिभा का यह भण्डार देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे आशा है कि आगे इस तरह के सांस्कृतिक समारोह हर साल हुआ करेंगे।

[श्री जगजीवन राम]

यह स्पष्ट है कि इस समय हमारे पास जितना धन और दूसरे साधन हैं, उनके अनुसार रेलवे कर्मचारियों की हालत सुधारने के लिए जितने उपाय-सम्भव हैं, किये जा रहे हैं। इसमें हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे देश में सर्वसाधारण के रहन सहन का स्तर क्या है और उसी के अनुसार काम करना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लाखों लोगों के आर्थिक स्तर को जल्द से जल्द ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा काम है और तभी पूरा हो सकता है जब हमा देश के सभी वर्ग के लोग इसमें पूरी मदद करें और हमेशा देश के हित को दल विशेष, वर्ग विशेष या राज्य विशेष के हित से ऊपर रखें। पहली पंचवर्षीय योजना में रेलवे की सफलताओं और सेवा-भाव से किये गये रेल-कर्मचारियों के काम, जिसके बल पर उन्होंने रेल-परिचालन में आश्चर्यजनक सुधार किया है, उसको देखते हुए किसी तरह का सन्देह नहीं रह जाता कि नये भारत के आर्थिक विकास के इस नाजुक समय में रेल-कर्मचारी कर्त्तव्य परायणता और त्याग की भावना में किसी से पीछे रहेंगे। मैं इस अवसर पर सभी रेल-कर्मचारियों को धन्यवाद देने से चूकना नहीं चाहता। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जो इससे बड़े काम आने वाले हैं, उन्हें पूरा करने के लिए रेल-कर्मचारी पहले से भी अच्छा काम करेंगे।

सभा का कार्य

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : क्या मैं सभा से निवेदन कर सकता हूं कि वह प्रतिदिन ६ बजे तक बैठे ?

† अध्यक्ष महोदय : सत्र थोड़ी अवधि का है और काम बहुत अधिक है। अतः संसद्-कार्य मंत्री सुझाव पेश करते हैं कि आज से प्रतिदिन सभा ६ बजे तक बैठे। हम आज से ३१ तारीख तक ६ बजे तक बैठा करेंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय: अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वादविवाद आरम्भ करेगी। श्री तिरुमल राव को बुलाने के पूर्व मैं घोषित करना चाहता हूं कि नियम २१ के अधीन मैंने निश्चित कर दिया है कि सामान्यतया भाषणों की समय सीमा १५ मिनट होगी, विभिन्न वर्गों के नेताओं के लिए समय सीमा ३० मिनट होगी। प्रधान मंत्री, सरकार की तरफ से, वाद विवाद का उत्तर देने के लिए आवश्यक समय ले सकेंगे।

† श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने १३ मई, १९५७ को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, उन के अत्यन्त आभारी हैं।"

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने पर मैं इस सभा की ओर से और अपनी ओर से सन्तोष प्रकट करता हूं। देश ने उनमें अपना विश्वास प्रकट किया है। प्रधान मंत्री के निर्वाचन में भी देश ने उनको दोबारा चुनकर उनमें पूरा विश्वास प्रकट किया है।

† श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : इस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद संशोधनों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पर माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पर भाषण देना आरम्भ कर दिया।

---

† मूल अंग्रेजी में

† अध्यक्ष महोदय : कार्य-प्रणाली यह है कि प्रस्तावक द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसका समर्थन होने के बाद ही, उस पर संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं। और संशोधन प्रस्तुत हो चुकने के बाद ही सामान्य चर्चा की जायेगी।

श्री तिरुमल राव अपना भाषण जारी रखें।

श्री तिरुमल राव : अब हम द्वितीय संसद् का आरम्भ कर रहे हैं, इसलिये प्रथम संसद् की गत पांच वर्षों की सफलताओं का संक्षेप में लेखा-जोखा करना आवश्यक है।

हमारे देश को स्वतंत्र हुए दस वर्ष हो गये हैं। गत सामान्य निर्वाचन के समय १७ करोड़ व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त था, जो अब इस चुनाव में १९ करोड़ व्यक्तियों को मिल चुका है। अब इस निर्वाचन ने देश के नेताओं को संवैधानिक प्राधिकार दे दिया है। पिछली संसद् के काल में हमने बड़ी महत्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त की है।

लेकिन, हमें इस पर ही आत्म-संतोष करके बैठा नहीं रहना चाहिये। हमने बहुत से विधान पारित किये हैं और बहुत दिनों से, १९४६ से, अनिर्णीत पड़ी कई सामाजिक समस्याओं का हल किया है। हमने अस्पृश्यता निवारण के लिये विधान बना कर सामाजिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है।

समाजवादी ढंग के समाज के आदर्श को वैधानिक रूप में कार्यान्वित करने के लिये "इम्पीरियल बैंक' और बीमा-व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया है।

मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना और उस के कार्यों का ब्योरेवार विवरण आप के सामने नहीं रख रहा हूं। मैं केवल यही कह रहा हूं कि प्रथम योजना ने हमें मार्ग दिखा दिया है। गत सात वर्षों में हमारे देश के अर्थशास्त्री, नेता और अनुभवी प्रशासक, योजना आयोग के जरिये, आगामी बीस वर्षों के लिये एक योजना तैयार करने में जुटे रहे हैं।

हमारे जैसे निर्धन देश में आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक रूप से सामान्य जनता की औसत संतुष्टि और उसके स्थायित्व का स्तर और भी अधिक उठाया जाये। हमारी एक दीर्घ-कालीन योजना होनी चाहिये। योजना आयोग ने १९७१–७६ तक के लिये आयोजन करने का निर्णय कर लिया है। उस समय तक हमें कुल २७,२७० करोड़ रुपयों का विनियोजन करना पड़ेगा। उसके फलस्वरूप, उस समय तक प्रति व्यक्ति आय ५४६ रुपये हो जायगी, जब कि १९५१–५६ के काल में वह २८१ ही थी। इस से स्पष्ट है कि हमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक के काल में बहुत बड़े पैमाने पर विनियोजन करते रहना पड़ेगा।

हम योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं—यह तो सही है, लेकिन यह वर्तमान समय काफ़ी कठिनाई का है। हम ने इस योजना का मुख्य आधार देश के कृषीय उत्पादन को ही बनाया है। अमरीकी अर्थ-व्यवस्था भी अधिकतर: कृषीय उत्पादन पर आधारित है। हमारी आर्थिक व्यवस्था का भी मुख्य आधार कृषि ही है।

प्रथम योजना में हम ने सामुदायिक विकास के लिये १५७ करोड़ और सिंचाई तथा विद्युत के लिये ६६१ करोड़ रुपये रखे थे। द्वितीय योजना में, हम ने कृषि के लिये ५६८ करोड़ और सिंचाई तथा विद्युत के लिये ९१३ करोड़ रुपये रखे हैं। अब हम ने अपनी इस योजना में

† मूल अंग्रेजी में

[श्री तिरुमल राव]

औद्योगिक विकास पर अधिक ज़ोर दिया है; उद्योग और खनन के लिये ८९० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है और उद्योग के विकास के लिये आवश्यक परिवहन तथा संचार के लिये लगभग १,३८५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है ।

लेकिन, हमारे देश में कई चीजों का अभाव भी है। खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमने विभिन्न प्रकार के निर्माण-कार्यों पर जो धन व्यय किया है, वह धन जनता के दैनिक क्रय-विक्रय में काम आ रहा है। मूल्यों की इस वृद्धि को कैसे रोका जाय? यह कहना गलत है कि देश में खाद्यान्नों की कमी है।

गांवों के निम्नवर्गों की जनता के पास अब पहले से अधिक धन हो गया है और वे उच्चतर वर्गों की नक़ल करन में मनोरंजन पर पहले से कुछ अधिक खर्च करने लगे हैं। यह तो ठीक है कि बहुसंख्यक जनतामोटे अनाजों पर निर्भर रहती है, लेकिन मोटे अनाजों पर निर्भर रहते हुए भी लोग उच्चतर वर्गों की नक़ल करना चाहते हैं।

खाद्य मंत्री ने कहा है कि छोटे छोटे कृषक अपनी पैदावार को बेच देने पर विवश नहीं हैं। अब कृषक लोग, मेरे क्षेत्र में, अपने धान को बक में रख कर उस पर ऋण ले लेते हैं। इस प्रकार, लगभग ८ लाख टन धान बैंकों में ज़मानत के तौर पर ज़मा रहता है और उससे धान के कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कृषक लोग धान के मूल्य बढ़नें की बाट जोहते हैं, और तभी जमानत कें उस धान को निकालते हैं।

इसलिये, सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि मूल्य न बढ़ने से छोटे-मोटे ज़मींदारों को हानि पहुंचती है और मूल्य बढ़ने से भूमिहीन श्रमिकों को।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में हमें परिवहन के विकास पर अधिक ज़ोर देना चाहिये। हमारे देश में पत्तनों की संख्या पर्याप्त नहीं है। हमें सड़क, रेल, नहर और समुद्रों के परिवहनों में, इन चारों प्रकार के परिवहनों को सहयोजित करना चाहिये। अभी हमारे देश की रेलवेज़ में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अकेले ही औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, इसलिये परिवहन की अन्य सभी प्रणालियों को उसकी सहायता करनी चाहिये।

विकास का दूसरा पहलू है—राज्यों का पुनर्गठन। हमने उसका विधान तो पारित कर दिया है, लेकिन अभी कठिनाइयां मिटी नहीं हैं। इस सिलसिले में, आन्ध्र प्रदेश का निर्माण और दो वर्षों में ही वहां नागार्जुन सागर परियोजना की कार्यान्विति होना—एक उदाहरण पेश करता है कि उचित ढंग से पुनर्गठित राज्य कितनी शीघ्रता से विकास के पथ पर चल सकता है।

प्रथम संसद् ने पंजाब राज्य को गठित करने में भी सफलता प्राप्त की थी, लेकिन अब भी वहां कुछ शिकायतें सुनने में आ रही हैं। बम्बई और गुजरात की समस्या का अभी भी पूरी तौर पर निबटारा नहीं हो सका है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही की जनता बम्बई की मांग कर रही हैं। कठिनाई बनी ही हुई है।

जहां तक काश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान सरकार ने उसे अपनी जनता का ध्यान बटाने का एक साधन बना लिया है। वे नहीं चाहते कि पाकिस्तानी जनता पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की ओर ध्यान दे सके, इसीलिये, उसका ध्यान बटाने के लिये, वे भारत पर

कीचड़ उछालते हैं। अब पाकिस्तान ने पूरी तौर पर अमरीका से आर्थिक गठबंधन कर लिया है। इस से भारत को अमरीकी शस्त्रों का खतरा पैदा हो गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम आण्विक शस्त्रों के परीक्षणों को बन्द करवाने के लिये अपने प्रयत्न जारी रखें, तो मानवता को इस विभीषिका से बचाया जा सकता है।

यह एक औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव है, इसलिये मैं सभा का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहता। इस अवसर के लिये, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

† **अध्यक्ष महोदय** : लगभग ५० या ६० संशोधन आ गये हैं। जो भी माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे पन्द्रह मिनट के अन्दर सभा-पटल पर एक चिट भेज दें जिसमें उनके संशोधनों की संख्या दी गई हो। नियमानुकूल संशोधनों को प्रस्तुत मान लिया जायगा।

अब श्री मथुरा प्रसाद मिश्र प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री म० प्र० मिश्र (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री तिरुमल राव जी ने जो प्रस्ताव अभी पेश किया है उसका समर्थन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है।

अभी-अभी दूसरे महा चुनाव से हमारा देश निकला है और यह मालूम हुआ है कि इस चुनाव में देश के कोई बीस करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। चीन को छोड़ कर, दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है जहां कि इतनी बड़ी आबादी भी बसती हो जितनी बड़ी संख्या में हमारे देश में लोगों ने आम चुनाव में भाग लिया है। और, मैं आप से कहूं कि हमारा देश न सिर्फ आज दुनिया में सब से बड़ा और जवान प्रजातंत्र है, बल्कि आज की दुनिया को देखते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दुनिया में मनुष्य की स्वाधीनता और प्रजातंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हिन्दुस्तान की स्वाधीनता और हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र कहां तक सफल या विफल होता है।

यह जो अभी बड़ा चुनाव हुआ है उसके नतीजे बड़े अच्छे रहे। सब से बड़ी खुशी की बात यह है कि हिन्दुस्तान का दूसरा महाचुनाव इतनी शान्ति और शान के साथ सम्पन्न हुआ। दूसरी खुशी की बात यह है कि इस चुनाव का ही यह नतीजा है कि देश को वह सरकार मिली जो सरकार कि देश को चाहिए थी, जिसके नेता फिर भी अगले पांच वर्षों के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू रहे। मैं इस बात को नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश की स्वाधीनता की और इस देश के प्रजातंत्र की सब से बड़ी रक्षक संस्था कांग्रेस ही है और इस स्वाधीनता और प्रजातंत्र के सब से बड़े पहरेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यह भी बड़ी बात है कि जिस संस्था ने देश को आज़ादी दिलायी, और जिस संस्था ने देश को एक दूसरी योजना के रास्ते पर रखा और जो संस्था देश को प्रजातंत्र के साथ-साथ आर्थिक योजना के मार्ग से आगे ले जा रही है, और इस प्रकार दुनिया में एक नया और अनोखा प्रयोग कर रही है, उसी संस्था को फिर देश का शासन-भार संभालने का मौका दिया गया जो कि बहुत आवश्यक था।

यह भी इस महाचुनाव का नतीजा निकला है कि हमको राष्ट्रपति के रूप में राजेन्द्र बाबू मिले। हमारे देश के जीवन और हमारी संस्कृति में जो कुछ भी महान् और मीठा है उसके राजेन्द्र बाबू प्रतीक हैं; और मेरा विश्वास है कि कांग्रेस, नेहरू और राजेन्द्र बाबू के नेतृत्व में देश और भी आगे बढ़ेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री म० प्र० मिश्र]

[सरदार हुकम सिंह पीठासीन हुए]

इन दस वर्षों में जो सब से बड़ी बात हम देखते हैं वह यह हुई है कि बड़ी कठिनाइयों और मुसीबतों के होते हुए भी हमारा देश प्रजातंत्र, स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। और, मैं आप से कहूं कि आज की दुनिया में जब कि बहुत और से प्रजातंत्र और मानव की स्वाधीनता पर अंगुलियां उठ रही हैं, उस पर संगीनें तानी जा रही हैं, उस समय इस दिशा में हमारी जययात्रा न सिर्फ हमारे लिए बल्कि मनुष्य जाति के लिए अभिमान और सुख की चीज़ कही जा सकती है। हमारी सरकार के सामने अपनी योजना को पूरा करने के मार्ग में जो-जो मुसीबतें आयीं उनका उसने बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। हमारे राष्ट्रपति और सरकार ने यह माना है कि हमारी दूसरी योजना के मार्ग में बड़ी-बड़ी कठिनाइयां हैं, परन्तु उनका हमारी सरकार मुकाबला करना चाहती है। दूसरी योजना का यह दूसरा वर्ष है। पहली योजना सफल हुई। इस सभा में भी ऐसे बहुत से लोग हैं और बाहर भी हैं जो कि पहली योजना की सफलता में भी विश्वास नहीं करते थे। आज भी इस सभा में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि दूसरी योजना की सफलता में विश्वास नहीं करते। ये वही लोग हैं जो कि आज से दस-बीस वर्ष पहले हिन्दुस्तान की आज़ादी में भी विश्वास नहीं करते थे और कांग्रेस के प्रयत्नों में भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन, यह एक बड़ी बात हुई कि राष्ट्रपति ने उन कठिनाइयों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है और उन को कबूल किया है। हमारे सामन मुद्रास्फीति की और विदेशी विनिमय की कमी की कठिनाइयां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कठिनाइयां इतनी बड़ी हैं कि इनके कारण हमको अपनी योजना को कुछ छोटा करना होगा। उन लोगों का ख्याल है कि हमारे जो लक्ष्यान्त हैं, टारजट्स हैं, उनको हमें पीछे हटाना होगा। लेकिन हमारे राष्ट्रपति ने बड़ी बहादुरी से कहा है कि उनको घटाया न जाये, बल्कि कम से कम उनको जैसे का तैसा पूरा किया जाये और यदि हो सके तो उनको बढ़ाया जाय। सरकार जो भी करे, देश का और इस सभा का यह काम है कि वह इन कठिनाइयों के कारण पीछे न हटे, बल्कि आगे बढ़े। देश का यह तकाजा रहे कि हम पीछे न हटें, बल्कि आगे ही बढ़े। हमें देश की दुर्गति और प्रगति के बीच चुनाव करना है। यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमको अपने पुराने पानी में पड़ा रहना होगा, हमें गरीबी और जहालत में पड़ा रहना होगा। यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो हमको उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि मुद्रास्फीति आदि का भय दिखाकर देश के कारवां को रोकना चाहते हैं। प्रो० शिनाय और दूसरे लोगों की इज्ज़त करते हुए भी, हम उनकी इस राय को नहीं मान सकते कि हम को अपनी प्रगति धीमी करनी चाहिए। हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है। सरकार ने जो ग़ैर ज़रूरी चीज़ों के आयात को रोकने का क़दम उठाया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन, हम समझते हैं कि इसके साथ-साथ हमको कुछ जरूरी चीज़ें और करनी हैं। राष्ट्रपति ने सादगी और कमखर्ची की अपील की है। हमारे प्रधान मंत्री ने भी हाल में यह अपील की है कि दिखावे की चीज़ें जो कि हमारे अमीर-उमरा करते हैं, उनको भी रोक देना चाहिए। यह अपील देश के पास पहुंची है। लेकिन, इस से भी जरूरी चीज़ें करने को हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब कि हम देश को बनाना चाहते हैं, उस वक्त यह अति आवश्यक है कि देश का उत्पादन बढ़ाया जाये। यह देश की पहली जरूरत है। ऐसे समय में सरकार को यह सोचना चाहिए था कि दिल्ली में अशोक होटल पहले बनायी जाये, या कि उस रुपये से एक सीमेंट का कारखाना खोला जाये। इस होटल पर दो करोड़ रुपया खर्च किया गया, जिसमें एक आदमी के ठहरने का खर्च सौ या डेढ़ सौ रुपया रोज़ होता है। तो, मैं समझता हूं कि सरकार को इस किस्म की चीज़ों को देखना चाहिए। अगर कोई दिल्ली को आकर देखे तो वह बड़े-बड़े सुन्दर और शानदार मकान देखेगा। यह ठीक है

कि मकानों की ज़रूरत है, लेकिन जब हम अपनी दूसरी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम को अपने सारे साधनों को उस पर लगाना चाहिए। अभी हाल ही में श्री स्ट्रेची ने कहा है, कि हिन्दुस्तान का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी दुसरी योजना सफल होती है या नहीं। हिन्दुस्तान का और इस दूनिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र और पंचवर्षीय योजना सफल होत हैं, या नहीं। इस प्रकार, सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व और एक बहुत बड़ी जवाबदेही आती है, जिस का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह देश के सामने सादगी और आस्टिरिटी (अतिसंयम) का नमूना पेश करे——न केवल पहनावे और मोटरों इत्यादि के बारे में, बल्कि मकानों के बारे में भी।

माननीय जैन साहब ने खाद्य-स्थिति के बारे में जो वक्तव्य दिया है, मैं उस का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं और मानता हूं कि हमारे देश में खेती की पैदावार बढ़ रही है और बढेगी, लेकिन इस के साथ ही साथ यह भी मानना होगा कि भूमि-सुधार की हमारी योजना बहुत धीरे-धीरे चल रही है। ज़मीन की अच्छी व्यवस्था, स्थापित करन के लिए जितनी शीघ्रता और निपुणता के साथ कार्य किया जाना चाहिए, उस तरह नहीं हो रहा है और इस ओर सरकार के प्रयत्न काफ़ी नहीं हैं। कुछ समय पहले, हिन्दुस्तान का जो डैलीगेशन (शिष्टमंडल) चीन गया था, मैं उस की रिपोर्ट पढ़ रहा था। मैं समझता हूं कि सरकार को इस मामले में किन्हीं मोहों में नहीं पड़ना चाहिए और रूस और चीन की नकल नहीं करनी चाहिए कि सामूहिक खेती——को-आपरेटिव खेती——को प्रचलित किया जाय। हिन्दुस्तान को तो अपने ही रास्ते पर चलना होगा। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि ऊपर और नीचे की सीलिंग्ज़ फ़िक्स (सीमायें निर्धारित) की जायें और चकबन्दी की व्यवस्था की जाय। बल्कि मैं तो ऊपर की निस्बत नीचे की सीलिंग निश्चित करना ज्यादा ज़रूरी मानता हूं। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि ऐसा कोई किसान न रहे, जिस के पास अच्छी पैदावार करने के लिए काफ़ी ज़मीन ने हो——और इसके लिए मैं सात एकड़ भूमि को उचित मानता हूं। मेरा निवेदन यह है कि भूमि-सुधारों को जल्द से जल्द पूरा किया जाय। यह एक तथ्य है कि इस देश में चाहे जितना औद्योगीकरण हो जाय, यहां का मुख्य आधार खेती है और खेती ही रहेगी। और, फिर देश का पूरा औद्योगीकरण होनें में भी अभी बहुत बरस लगेंगे, बहुत धन लगेगा और मेरे विचार में तब भी देश का पूरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए यह अब भी बहुत ज़रूरी है कि योजना में खेती को महत्वपूर्ण स्थान——प्रायर्टी (प्राथमिकता)—— दिया जाय। मैं महसूस करता हूं कि सरकार का ध्यान धीरे-धीरे इस तरफ़ आ भी रहा है।

आज हमारे देश में अन्न संकट उपस्थित हुआ है और उस के कारण मेरा प्रान्त, मेरा ज़िला और मेरा निर्वाचन-क्षेत्र बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार ने उस का मुकाबला करने के लिए जो उपाय किए हैं, वे काफ़ी हैं और वे सफल होंगे और हमारी मुसीबतें दूर होंगी।

जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने उल्लेख किया है, जिन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है, वहां खेती का उत्पादन दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा पच्चीस प्रतिशत अधिक हुआ है। मैं समझता हूं कि कम्युनिटी प्राजेक्ट्स (सामुदायिक परियोजनाओं) और सामुदायिक विकास योजनाओं को इस देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा भाग अदा करना है। अपने ज़िले में, अपने घर के पास मैंने कम्यूनिटी प्राजेक्ट एरिया को ो बार जा कर देखा है। मुझे "क्रान्ति" शब्द बहुत प्रिय नहीं लगता, लेकिन किसी दूसरे उपयुक्त शब्द के अभाव में मै

[श्री म० प्र० मिश्र]

इसी को प्रयोग में ला कर कहना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में साइलेंट, ब्लडलैस रेवोल्यूशन—शान्त, रक्तहीन क्रान्ति—देखने में आ रहा है। वहां पहले लोग स्वप्न में भी यह नहीं सोच सकते थे कि उन के कुओं के पास बाथरूम (स्नान-गृह) होंगे और पक्की सड़कें बनाई जायेंगी, लेकिन आज वे अपनी आंखों से ये चीजें देख रहे हैं। आज वहां पर विकास कार्य बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। हमारे साथी इस बात को तभी समझ सकते हैं, अगर वे स्वयं जा कर उन क्षेत्रों को देखें। वहां अच्छे बीज और दूसरी सुविधाओं के कारण गेहूं की पैदावार अधिक हुई, जब कि दूसरे इलाकों में वह बहुत कम हुई।

हमें इन कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स को सफल बनाना है और इस काम में अपनी सा ी ताकत लगा देनी है, क्योंकि अगर हमारी यह योजना सफल नहीं हुई, तो देश सफल नहीं होगा और अगर देश सफल नहीं होगा, तो उसकी स्वाधीनता और प्रजातंत्र खतरे में पड़ जायेंगे और उस के परिणामस्वरूप सा ी दुनिया में प्रजातंत्र और स्वाधीनता खतरे में पड़ जायेंगे। इतना बड़ा दायित्व इस सरकार के ऊपर है। इस चुनाव में बीस करोड़ लोगों ने इस सरकार को इतनी बड़ी जवाबदेही की जगह पर भेजा है। इस सम्बन्ध में एक बात की तरफ़ योजना आयोग का ध्यान उतना नहीं गया है, जितना कि जाना चाहिए था। हम अपने देश की पैदावार तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वह बढ़ेगी, लेकिन जो आबादी बढ़ती जा रही है, उस को रोकने के लिए जितनी कोशिश की जानी चाहिए, उतनी नहीं हो रही है। मेरे विचार में इस देश की सब से बड़ी समस्या आबादी की है, लेकिन शायद हमारे नेता इसकी गहराई को अभी तक नहीं समझ पाये हैं। मेरी राय में माल्थस आज भी ठीक हैं और दूसरे लोग ग़लत हैं। हमारे लाल झंडे वाले साथी—हमारे कम्यूनिस्ट मित्र—कहते हैं कि यह तो एक पूंजीवादी नारा है। जब वे कहते हैं कि इस प्रकार थोड़े से लोगों के सुख के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या को आने से रोका जाता है, तो हमें लज्जा आ जाती है और हमें संकोच होता है और आबादी की ोकथाम के यत्न ढीले कर देते हैं। लेकिन, हम यह भूल जाते हैं कि लाल झंडे वाले ये लोग तब तक माल्थस का मज़ाक उड़ाते रहेंगे, जब तक कि वे आदमी को बन्दूक की खुराक मानेंगे और जब तक कम्यूनिज्म को—अपनी सारी नीति और विचार-धारा को—वे युद्ध के आधार पर रखेंगे, जब तक उन को फौज के लिये, मारने के लिये आदमियों की ज़रूरत रहेगी—ज्यादा आबादी की ज़रूरत रहेगी। हिटलर और मुसोलिनि भी यही चाहते थे। लेकिन, हम को तो इस तथ्य का सामना करना है कि हमारे देश में हर रोज़ साढ़े बाहर हज़ार, हर मही े चार लाख, हर साल पचास लाख और दस साल में पांच करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, अर्थात् एक नया इंगलैंड या एक नया जापान हमारे देश में पैदा हो रहा है। इस को ोकना होगा। इस के लिए उतने ही प्रयत्न काफ़ी नहीं हैं, जितने कि योजना आयोग इस समय कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कुछ वर्ष तक परिवार-नियोजन के विरोधी थे, अब इस के समर्थक होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार भी इस गम्भीर समस्या की तरफ़ ध्यान दे। अन्त में, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से एक महत्वपूर्ण उद्धरण देना चाहता हूं।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्त में कहा है :

> "हमारी क्षमता और साधन सीमित हैं और संसार में हमारी आवाज़ सम्भवतः बहुत ऊंची नहीं है, किन्तु, राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से, हमारे इतिहास और परम्पराओं तथा विश्वासों को देखते हुए, हम किसी और रास्ते को नहीं अपना सकते। यह सौभाग्य का विषय है कि संसार भर के सभी लोगों का यह सामान्य ध्येय और उत्कट इच्छा है।"

सभापति महोदय मुझे माफ़ करेंगे यदि इस सम्बन्ध में मैं यह कह दूं कि अभिभाषण का हिन्दी अनुवाद इतना भद्दा है.......

एक माननीय सदस्य : और ग़लत भी है।

श्री म० प्र० मिश्र : .....और ग़लत भी है कि मेरा अंग्रेजी अभिभाषण पढ़ने को जी चाहता है।

श्री डांगे (बम्बई नगर—मध्य) :-यह आफ़िशियल (सरकारी) हिन्दी है।

श्री म० प्र० मिश्र: यह बुरी है, इसको सुधारा जाये। अंग्रेजी के शब्द ये हैं :

"But neither our national interests nor our history and traditions, nor our convictions chart any other course for us. Happily for us this is the common aim and the firm desire of all our people."

आज, जब कि हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं और अगले पांच बरसों के लिए एक नए रास्ते पर चलने जा रहे हैं, और जबकि नई-नई कठिनाइयां हमारे सामने खड़ी हैं, सस्ते और आसान रास्ते हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम पार्लियामेंटरी सिस्टम (संसदीय प्रणाली) और प्रजातंत्र के झंझट में क्यों पड़ें और क्यों न कोई आसान रास्ता अपना लें, उस वक्त राष्ट्रपति महोदय ने देश से और दुनिया से यह वायदा किया है कि हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आयें, हम अपने बल पर विश्वास करेंगे, अपने प्रयत्नों को दुगना करेंगे, अपनी सारी शक्ति लगा देंगे, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वाधीनता और लोकराज के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। हम उसी रास्ते पर चलेंगे और सफलता के साथ चलेंगे।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सदस्यगण अपने संशोधनों की सूचना दे दें। अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में वाद-विवाद करेंगे।

†**श्री डांगे** : अभिभाषण पढ़ने से मुझे तो सब से पहले यह प्रतीत हुआ है कि उसमें देश की सही परिस्थिति पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। मैं सरकारी रिकार्डों से ही इस कथन की पुष्टि करूंगा।

निर्वाचन के दौरान में, कांग्रेस दल ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की खाद्य सम्बन्धी सफलताओं का बड़ा ढिंढोरा पीटा था। लेकिन, अब निर्वाचन के ो मास बाद ही मतदाता देख रहे हैं कि बंगाल में भुखमरी के कारण मृत्युयें हो रही हैं, वस्तुओं के दाम चढ़ गये हैं।

लेकिन, अभिभाषण में कहा गया है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अभिभाषण में वास्तविक स्थिति को छिपाया गया है और कहा गया है कि, बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाली प्राकृतिक विपत्तियों को छोड़कर, बाक़ी सारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अर्थात भुखमरी से मरने वालों को भुखमरी का केवल भ्रम ही है।

अभिभाषण में केवल मोटे अनाजों की कुछ कमी स्वीकार की गई है; लेकिन श्री तिरुमल राव का मत है कि मोटे अनाज खाने वाले लोग बढ़िया अनाज खरीदने लायक पैसे पाने लगे हैं, वे मनोरंजन पर अधिक ख़र्च करने लगे हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री डांगे]

अभिभाषण में प्राकृतिक विपत्तियों से ग्रस्त क्षेत्रों में केवल बिहार और उत्तर प्रदेश का ही उल्लेख किया गया है, जब कि खाद्य मंत्री ने उनमें राजस्थान, बम्बई, पश्चिमी बंगाल और कुछ अन्य भागों को भी गिनाया है ।

† **खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : वह सूची विपत्ति-ग्रस्त क्षेत्रों की नहीं, बल्कि खाद्यान्नों के सम्भरण के सम्बन्ध में थी ।

† **श्री डांगे** : भारत सरकार को समूचे देश का ध्यान रखना चाहिये था ।

† **श्री मो० वे० कृष्णप्पा** : खाद्य मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से "बिहार और उत्तर प्रदेश में फ़सलें नष्ट होने" का उल्लेख किया था । बम्बई और केरल में फ़सलों के नष्ट होने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन यह अवश्य कहा गया था कि वहां खाद्यान्नों का सम्भरण किया गया है । यह तो स्पष्ट ही है । प्राकृतिक विपत्तियां और फ़सलों का विनष्टीकरण केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में ही हुआ था ।

† **श्री डांगे** : पश्चिमी बंगाल में बाढ़ का उल्लेख किया गया है । मैं तो समझता था कि बाढ़ भी एक प्राकृतिक विपत्ति ही होती है । मैं यही कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में जानबूझ कर इन पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया है, और जनता में आत्म-संतुष्टि की भावना पैदा करने की कोशिश की गई है । मार्च में, आय-व्ययक सम्बन्धी सरकारी श्वेत पत्र के अनुसार, १९५३-५४ में खाद्यान्नों का उत्पादन ६८० लाख टन था १९५४-५५ में वह ६६५ लाख टन और १९५५-५६ में ६३४ लाख टन ही रह गया था । गत मार्च में, वित्त मंत्री ने ये ही आंकड़े बताये थे ।

लेकिन, इसे जनता से छिपाया गया है । सरकार ने इस से बचने के लिये क्या कार्यवाही की है ? सरकार को अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्र ही खाद्यान्न भेजना चाहिये था । लेकिन, अचम्भे की बात तो यह है कि सरकार तभी चौंकती है जब भुखमरी से मृत्युयें होने लगें, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगें और किसान चीख-पुकार मचाने लगें । मंत्रियों से तो मुझे यही शिकायत है कि उन्होंने अभावग्रस्त क्षेत्रों को ठीक समय पर शीघ्र ही खाद्यान्न का सम्भरण क्यों नहीं किया । इसीलिये, मैं कहता हूं हमारा लोकतंत्र तभी कोई कार्यवाही करता है जबकि लोकतांत्रिक लोग सड़कों पर मरने लगें । यह लोकतंत्रवाद-विरोधी ृष्टिकोण है । यही दृष्टिकोण राष्ट्रपति के अभिभाषण में परिलक्षित होता है ।

मैं यही कहना चाहता हूं कि खाद्यान्नों के उत्पादन के सम्बन्ध में आत्म-तुष्टि की भावना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है । जनता को उपदेश दिये जाते हैं कि वह सट्टेबाजी न करे। बेरोज़गार या एक रुपया प्रति दिन कमाने वाले खेतिहर मज़दूर या मध्य वर्ग के लोग खाद्य की सट्टेबाज़ी कर ही नहीं सकते । सरकार को सटोरियों से कहना चाहिये कि वे सट्टेबाज़ी न करें । सरकार जानती है कि वे सट्टेबाज़ी करते हैं । सरकार कहती है कि वह सट्टे के लिये बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम धन पर प्रतिबन्ध लगा रही है । आप खाद्यान्नों के सट्टे को खतम ही क्यों नहीं कर देते ?

कांग्रेस दल में ऐसे कई लोग हैं जो केवल दस मिनट के भीतर यह पता लगा सकते हैं कि खाद्यान्न व्यापारी संघ और स्टॉक एक्सचेंज में सट्टे के लिये कितना अग्रिम धन कहां और किस लिये दिया गया है । और वह रुपया क्या वास्तव में ईमानदारी के काम के लिये दिया गया है ? मैं

---

† मूल अंग्रेजी में

कहता हूं कि सट्टेबाज़ी पर नियंत्रण लगाना ही काफ़ी नहीं, इस को बिल्कुल समाप्त ही कर दिया जाना चाहिये। जब सरकार कुछ मास पूर्व, रुई के कुछ व्यापारियों के, जिनका रुई के व्यापार में एकाधिकार था घाटा उठाने पर रुई की सट्टेबाज़ी रोक सकती है तो वह खाद्यान्नों के सम्बन्ध में यही कदम क्यों नहीं उठा सकती है ?

वस्तुतः राष्ट्रपति का अभिभाषण उन्हीं लोगों के लिये संगत है जो खाद्यान्नों को अनुचित रूप से जमा करते हैं। क्योंकि बहुसंख्यक लोग खाद्यान्न जमा नहीं कर सकते हैं इसलिये सरकार द्वारा जो स्थिति पेश की गई है वह गलत है इसलिय इसके आधार पर की जाने वाली कार्यवाही भी कभी सफल नहीं हो सकती।

मार्च में श्वेत पत्र में यह घोषणा की गई थी कि उत्पादन में कमी होने का कारण 'मौसम का खराब होना' था। मई में इसी कमी का कारण 'प्राकृतिक विपत्ति' कहा गया है। इसी से ज्ञात हो जाता है कि सरकारी पक्ष ने इस ओर विचार करने में कितनी प्रगति की है। यह ज्ञात होने पर कि इस उत्पादन की कमी का कारण मौसम की खराबी नहीं, अपितु वास्तविक विपत्ति है, इसके समाधान के लिये केवल यही किया गया है कि पंजाब में १५ मई से सस्ते अनाज की दुकानें बन्द की जा रही हैं। इसका कारण यह कहा गया है कि पंजाब में खाद्यान्नों की कीमतें गिर रही हैं वस्तुतः इसका दूसरा कारण यह है कि पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों मंत्रिमंडल किसानों को खुश करने के लिये उनके मुनाफे में कमी नहीं होने देना चाहता है। इसीलिये मैं कहता हूं कि खाद्य को राजनैतिक दलबन्दी का एक साधन बनाया जा रहा है।

अभिभाषण में खाद्य स्थिति की सही व्याख्या नहीं की गई है क्योंकि उसमें कहा गया है कि जनता खाद्यान्नों को जमा कर रही है, जबकि केवल सटोरिये ही खाद्यान्न जमा कर रहे हैं।

इसलिये मेरा सुझाव है कि बैंकों पर अग्रिम धन देने के सम्बन्ध में केवल प्रतिबन्ध ही नहीं लगाया जाय बल्कि भारत रक्षित बैंक से सट्टेबाज़ी के लिये अग्रिम धन दिया जाना बिल्कुल बन्द हो जाना चाहिये।

इस समस्या के हल के लिये हमें किसानों की मांगें स्वीकार कर लेनी चाहियें और सस्ते अनाज की अधिक से अधिक दुकानें खोलनी चाहियें।

भूमि सुधारों के सम्बन्ध में हम पिछले पांच वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं और अगले पांच वर्षों तक भी सुनते रहेंगे। तथापि ऐसा ज्ञात होता है कि सरकार को समझ तभी आयेगी जब वे कुर्सियां छोड़ने को मजबूर हो जायेंगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्हें इन भूमि सुधारों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करना चाहिये। कृषकों को उनकी भूमि का स्वामित्व मिलना चाहिये। भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित की जानी चाहिये और खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्रों में कुछ समय के लिये लगान इत्यादि की पूरी छूट दी जानी चाहिये।

अब मैं द्वितीय पंच वर्षीय योजना को लेता हूं, जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह देश में समाजवाद की स्थापना करेगा। मुझे इस बात से हार्दिक प्रसन्नता है कि अभिभाषण में कहा गया है कि कठिनाइयों के बावजूद भी योजना में कोई ढील नहीं दी जायगी। किन्तु केवल यह निश्चय करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि भुगतान शेष की कठिनाई का सामना किस प्रकार किया जायगा ? मैं इस समय इस प्रश्न को विस्तार से नहीं लूंगा। केवल एक बात का अवश्य जिक्र करूंगा जो 'श्वेत पत्र' में भी कही गई है। उसमें यह कहा गया है कि गैर-सरकारी

[श्री डांगे]

क्षेत्र में लगाई गई पूंजी तथा उस क्षेत्र को दिये गये अग्रिम धन के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वस्तुतः गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी भी बात के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वित्त मंत्री की एक योजना के अनुसार एक विशेष राशि गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजित की जाती थी किन्तु अकस्मात् उन्हें यह वक्तव्य देना पड़ा कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उससे अधिक राशि लगाई जा चुकी है। इसका कारण निर्यात व्यापार की कठिनाइयां हैं जिन से भुगतान शेष पर प्रभाव पड़ता है। बात यह होती है कि किसी विशेष वस्तु को निर्यात करने का कोटा एक विशिष्ट फर्म को दिया जाता है। वह फर्म उस वस्तु का स्वयं निर्यात करने के स्थान पर, उस कोटे को दूसरी फर्म को बेच देती है। 'टाइम्स आफ इंडिया' में एक फर्म सदैव अपने कोटे को बेचने का विज्ञापन निकालती है और कई लोग छिपे छिपे इस काम को करते हैं।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: क्या आप उनके नाम बता सकते हैं?

†**श्री डांगे**: मैं आपको नाम बता सकता हूं। इसलिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना के हित में गैर सरकारी क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसा न हो कि वह सरकारी क्षेत्र के लिये नियत हिस्से को भी हड़प कर, योजना की अर्थ-व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दें। वस्तुतः हमारी यह आदत बन गई है कि हम सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते हैं किन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं करते हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये, अधिक वित्त की व्यवस्था करने के लिये, कुछ नीतियों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि श्रमिक वर्ग का स्तर, मजदूरी इत्यादि बदली जाय। सरकार को केवल इसी बात का निर्णय करने में कि छंटनी प्रतिकर देना पुनः लागू किया जाय या नहीं, वर्षों का समय लगा। जबकि इसी बीच बर्सी लाइट रेलवे कम्पनी ३० लाख रुपये लेकर इंगलैंड चली गई। इसका कारण केवल यही है कि हमारे मंत्रालय सावधान नहीं रहते हैं।

अब मैं राज्यों का प्रश्न लेता हूं। यदि आप लोकतंत्र स्वीकार करते हैं तो आपको बम्बई राज्य की जनता का यह निर्णय भी स्वीकार करना होगा कि एक पृथक महाराष्ट्र राज्य और एक पृथक गुजरात राज्य बनना चाहिये। और यथासम्भव शीघ्र ही एक गोलमेज सम्मेलन किया जाना चाहिये। गोली चलवाने से महाराष्ट्रियों का मुंह बन्द नहीं किया जा सकता है। यदि आप जनमत की कदर करते हैं तो इस पर जनता का मत बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप जनमत का आदर नहीं करेंगे और लोकतंत्र का गला घोटेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया भी कठोर हो सकती है और सारे महाराष्ट्र में और बम्बई में पुनः सत्याग्रह और हड़ताल इत्यादि की जा सकती हैं। हम आप से निवेदन करते हैं कि आप वहां के चुनावों से प्रगट हुए जनमत पर ध्यान दीजिये और पारस्परिक झगड़ा बन्द करवा कर मैत्रीपूर्ण निश्चय करवाने में सहायता कीजिये। इसके लिये आप महाराष्ट्रियों और गुजरातियों का एक गोलमेज सम्मेलन करवा कर उनके झगड़े निबटाने में उनकी सहायता कीजिये क्योंकि राज्य पुनर्गठन के मामले में यही एक ऐसी समस्या रह गई है जिसको हल नहीं किया गया है।

जब सब लोगों को अपनी इच्छानुसार राज्य मिल गये हैं तो केवल हमें ही अपनी इच्छानुसार राज्य क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या हमारा अपराध केवल इतना ही है कि हमने बम्बई जैसे सुन्दर नगर का निर्माण किया। हमें एक मराठी भाषा-भाषी राज्य दीजिये जहां हम मराठी भाषा बोल सकें। मेरा विश्वास है कि ऐसे राज्य के निर्माण से भारत की एकता और सुदृढ़ता को बल प्राप्त होगा।

अन्त में मैं हाइड्रोजन बमों के परीक्षण के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा। हम सब इस बात से सहमत हैं कि इन परीक्षणों को बन्द किया जाना चाहिये। हम प्रधान मंत्री द्वारा इस दिशा में किये गये

† मूल अंग्रेजी में

प्रयत्नों का समर्थन करते हैं। साथ ही मैं इस बात की ओर भी सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बात सच नहीं है कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन तीनों, परीक्षण की ीति पर जमे रहना चाहते हैं। वस्तुतः सत्य यह है कि रूस इन परीक्षणों को रोकने के लिये बहुत पहिले से ही तैयार है। प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो कुछ भी किया है हम उससे सहमत हैं। किन्तु क्या वे ऐसा राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहकर ही कर सकते थे। प्रधान मंत्री ने कई बार यह तर्क दिया है कि हम राष्ट्रमंडल में रहकर ब्रिटेन पर अच्छे कामों को करने के लिये दबाव डाल सकते हैं। इस बात का परिणाम हम ब्रिटेन द्वारा मिश्र पर आक्रमण, मलाया को स्वराज्य न देने तथा साइप्रस में सामूहिक हत्या के द्वारा देख चुके हैं। तब क्या राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना आवश्यक है। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग न लें क्योंकि वहां हमें साम्राज्यवादी देशों के बीच बैठना पड़ता है इसलिये हमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ देनी चाहिये।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : मैं केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं तथापि उन बातों को कहने के पूर्व मैं श्री डांगे द्वारा कही गई एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र तथा बम्बई की जनता ने बम्बई सहित महाराष्ट्र बनाने के पक्ष में मत दिया है। इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह है कि द्विभाषीय राज्य का सूत्र, केवल संसद् सदस्यों के परामर्श से ही नहीं, अपितु समस्त देश की सलाह से स्वीकार किया गया है। इसलिये मैं श्री डांगे तथा संयुक्त महाराष्ट्र समिति के अन्य सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे द्विभाषीय बम्बई राज्य को सफल बनाने का अवसर दें।

दूसरी संसद् के प्रारम्भ में ही इस प्रयोजन के लिये हड़ताल सत्याग्रह इत्यादि की धमकी देना बिल्कुल अनुचित और अलोकतंत्रात्मक है।

अब मैं कुछ अन्य बातों को लेता हूं। ेश में हाल में ही सिक्कों की दशमिक प्रणाली प्रारम्भ हुई है तथापि डाक तथा तार विभाग की नीति के कारण समस्त देश इस प्रणाली को धिक्कार रहा है। क्योंकि यद्यपि सरकारी गणना-तालिका के अनुसार भी दो आने के नये बारह पैसे होते हैं तो भी एक दिन में ही लिफाफे के दाम बढ़ा कर तेरह पैसे कर दिये गये। जिससे बड़ी जटिलतायें उत्पन्न हो गईं। लिफाफे के मूल्य न बढ़ाने से यदि कुछ लाख का घाटा होता तो उसका कुछ अंश दूसरे प्रकार से पूरा किया जा सकता था। मेरे विचार से सरकार ने लिफाफे के मूल्य बढ़ाने का निर्णय अच्छा नहीं किया। मैं आशा करता हूं कि वे अन्य तरीकों से इसका निशकरण कर लेंगे।

इसके लागू करने से दूसरी जटिलता यह उत्पन्न हुई कि यद्यपि एक आने के ६ नये पैसे होते हैं और २ आने के बारह, वहीं एक पैसे के दो नये पैसे देने होते हैं। यदि सरकार ने कुछ भी विचार किया होता तो वह पुरा े पैसे का चलन बन्द करवा देती। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे मेरे सुझाव पर ध्यान देवें।

साथ ही मैं यह बता ेना चाहता हूं कि नये पैसे के बहुत कम सिक्के प्रचारित किये गये। नया पैसा बहुत छोटा है और उसके खो जाने का भय है इसलिये यह अच्छा होता कि यदि सरकार इस पर छेद कर इसके आकार को बड़ा बना देती।

अब मैं खाद्य उत्पादन के प्रश्न को लेता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों में खाद्य उत्पादन में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जब कि जनसंख्या में कठिनाई से ही पांच या सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्राकृतिक विपत्तियां भी दो एक बार ही आई हैं तथापि हैदराबाद ऐसे नगर में जो कि सैकड़ों मीलों तक ऐसे क्षेत्र से घिरा हुआ है जहां खाद्यान्न आवश्यकता से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेडा]

अधिक होता है वहां खाद्यान्नों की कीमत बढ़ गई और उन्हें रोकने के लिये कई सस्ते अनाज की दुकानें खोलनी पड़ीं। सरकार को इस स्थिति पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

यद्यपि मैं खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों की सत्यता पर संदेह नहीं करता तथापि संसद् के सदस्यों को उन आंकड़ों की प्रामाणिकता की जांच करने का अधिकार होना चाहिये। क्योंकि जनता इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि खाद्य उत्पादन में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा उन आंकड़ों की जांच करवाने से मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होंगे।

तीसरी एक व्यापक बात यह है कि नौकरशाही का खूब बोलबाला हो रहा है। यदि आप कोई अभ्यावेदन भी भेजते हैं तो भी उस पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। बुद्धि को ताक में रख कर नियम और उसकी शब्दावली का इस प्रकार निर्वचन किया जाता है कि निर्णय करने में विलम्ब हो जाता है और सारा प्रयोजन ही असफल हो जाता है। हमें कोई ऐसी प्रणाली ढूंढनी चाहिये जिससे कि तत्काल न्याय और तत्काल उपचार प्राप्त हो सके।

इसी नौकरशाही के सम्बन्ध में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जो कि संसद् के एक सदस्य से सम्बन्ध रखता है। लगभग सात वर्ष पूर्व उक्त सदस्य तथा कुछ अन्य सदस्यों ने मिल कर एक बंगला किराये पर लिया था। चुनाव के पश्चात् अन्य सदस्य राज्य विधान सभाओं में चले गये। बिजली तथा पानी की रक्षित राशि दूसरे सदस्य के नाम जमा थी। इसलिये उन्होंने उस राशि को उनके नाम स्थानान्तरित करने को लिखा। किन्तु तीन वर्ष इसी प्रकार बीत गये। और उनसे कहा गया कि उस बंगले की बिजली पानी को कोई व्यक्ति बिना प्राधिकार के उपयोग कर रहा है। अतः उनसे पुनः रक्षित राशि जमा करने को कहा गया। यहां तक कि लोक-सभा सचिवालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया तथापि कोई परिणाम नहीं हुआ। पानी और बिजली बन्द कर दी गई। इस सब का कारण केवल यही था कि नियम में राशि के स्थानान्तरण की अनुमति नहीं थी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार नौकरशाही पर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार करे। मेरे विचार से सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम): अपने संशोधन संख्या ३७ को प्रस्तुत करने से मेरा तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रतिरक्षा को स्थान दिया जाना चाहिये। विशेषतः इसलिये कि संविधान के अनुच्छेद ५३ के खंड २ के अनुसार राष्ट्रपति प्रतिरक्षा सेनाओं के उच्चतम सेनापति भी हैं। प्रतिरक्षा को पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया जाय कि अणु बमों इत्यादि से उनकी रक्षा की जायेगी।

वस्तुतः मैं सरकार और प्रधान मंत्री को देश की आन्तरिक शांति के लिये बधाई देता हूं। हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति के लिये बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। इस सब के होते हुए भी हमें अपने देश की रक्षा के लिये अपनी सेना और अपने हथियारों को ठीक रखना है। हमें देखना है कि हमारी सेना देश को सुरक्षित रखने के लिये तैयार है या नहीं। हमें चाहिये कि हम एक ओर अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था के सुधार का प्रयत्न करें और दूसरी ओर विकास कार्यक्रमों में उसका उपयोग करें।

इन्हीं दो कारणों से ही कई वर्षों से हम प्रतिरक्षा संगठन में परिवर्तन का सुझाव देते आये हैं। ताकि किसी भी आयात में प्रतिरक्षा का कार्य ठीक हो, और शांति काल में राष्ट्रनिर्माण का कार्य ठीक ढंग से चल सके। कुछ सुझाव तो स्वीकार कर लिये गये हैं। लोक सहायक सेना का विस्तार हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रक्षित सेना रखना भी आरम्भ कर दिया गया है। परन्तु यह प्रगति जरूरत के अनुसार नहीं है। प्रति-रक्षा संगठन के हित की बात यह है कि रक्षित सेना के विस्तार की व्यवस्था हो, परन्तु हमारी कुल रक्षित सेना के नवें या दसवें भाग के बराबर भी नहीं है। १९१९ में मेस्टोनियन आयोग ने हमारी रक्षित सेना संबंधी प्रणाली के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी। ब्रिटिश काल में उसे जारी रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। रक्षित सेना इस प्रकार की होनी चाहिये कि आपातकाल में एक मास के लिए प्रशिक्षण से उनका विस्तार हो सके।

इसी प्रकार प्रतिरक्षा व्यय को कम करने के और भी सुझाव हैं, परन्तु अधिकतर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। युद्ध सामग्री कारखानों को ले लीजिये। लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति ने भी इन संगठनों के पूरी तरह परिक्षण किये जाने की सिफारिश की, परन्तु उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। हाल ही में प्राक्कलन समिति ने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाया है कि बलदेव सिंह समिति की रिपोर्ट को समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। हमारे कई द्वीपों में बहुत बहुमूल्य सामग्री है। हम उनकी ठीक ढंग से देख भाल नहीं कर सकते, परन्तु हम बिना कुछ विचार किये विदेशों से सामग्री मंगवाने जा रहे हैं। इसी प्रकार कीमती मोटर गाड़ियां भी हमारे पास हैं। लाखों रुपयों की मोटर गाड़ियां विदेशों से मंगवाई गयी हैं, परन्तु उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है और वे ऐसे ही पड़ी हैं।

हमारे देश में सैनिक इंजीनियरिंग सेवा है, परन्तु यह ठेकेदारों और मंत्रालयों में सम्पर्क स्थापित करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करती। यह सेवा सैनिक इंजीनियर कार्यों के लिए ९८ प्रतिशत ठेकेदारों पर आश्रित है। हमने कई बार सभा में कहा है कि बहुत से सैनिक कार्य तो सैनिक इंजीनिरिंग सेवा द्वारा ही किये जा सकते हैं। यही नहीं बल्कि वह अन्य देशों की भांति असैनिक कार्य भी ठेके पर लेकर कर सकते हैं। अमेरिका का अलबामा बांध सैनिक इंजीनियरों ने ही पूर्ण किया था। परन्तु हमारे यहां इंजीनियरों की कमी होते हुये भी हमारी सैनिक इंजीनियरिंग सेवा का संगठन केवल विभाग और ठेकेदारों में सम्पर्क मात्र का ही काम करता है।

शिक्षा सम्बन्धी सैनिक दल के प्रश्न को लीजिये, दूसरे देशों में प्रतिरक्षा संगठन में इस पर सबसे प्रमुख ध्यान किया जाता है क्योंकि चार पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् लोगों को पुनः असैनिक जीवन में ही ढलना होता है। इसके लिये विशेष प्रशिक्षण होता है और उसके द्वारा लोगों को असैनिक जीवन का अभ्यस्त बनाया जाता है। हमारे यहां उनकी कोई व्यवस्था नहीं। ब्रिटिश काल में एक छोटा शिक्षा सम्बन्धी सैनिक दल था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेजों ने यह देखा कि सेना की दृष्टि से कुछ प्रशिक्षण आवश्यक है तो उन्होंने कुछ प्रोफेसरों को लैफ्टीनेंट कर्नल के रूप में भर्ती किया। उन्होंने सैनिक शिक्षा दलों को आरम्भ किया। परन्तु अब इनका स्तर गिर गया है और इन्हें वे लोग चला रहे हैं जो इस प्रयोजन के लिये समुचित रूप से योग्य नहीं। इन शिक्षा सम्बन्धी दलों के बनाये जाने का उद्देश्य यह था कि थोड़े काल की सैनिक सेवा के पश्चात् जब कोई वापिस आये तो वह राष्ट्र के अन्य विकास कार्यों में भी लाभदायक सिद्ध हो सके। इस कार्य के लिये लोगों को प्रमाणपत्र भी दिये जाते हैं और विश्वविद्यालयों के प्रमाणपत्रों और डिग्रियों की तरह उन्हें भी मान्यता प्राप्त होती है। परन्तु हमारे देश में यह प्रणाली नहीं है। हमारे योजना निर्माताओं को सोचना चाहिये कि इन युवक संगठनों के कर्मचारियों की इतनी भारी संख्या का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।

अभी हाल में हमारा शिष्ट मंडल चीन गया था। उनकी सब से बड़ी बात यह देखी गयी कि उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक प्रतिरक्षा संगठन का शिक्षा, उत्पादन, उद्योग और कृषि से सुन्दर समन्वय किया है। हमारे योजना आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिये। चीन में सेना शिक्षा को १९४९

[श्री उ० च० पटनायक]

में चालू किया गया था। वहां अधिक अनाज उपजाऊ आन्दोलन भी चालू किया और सफल रहा। परन्तु यहां जनरल करियप्पा द्वारा आरम्भ किया यह आन्दोलन बन्द कर दिया गया है। लेखा परीक्षक ने यह आपत्ति की कि इसके लिये रुपया कहां से आयेगा। किसी अधिनियम अथवा विनियम में उसके लिये व्यवस्था नहीं थी। परन्तु चीन में हमने दखा कि सेना यह काम बहुत अच्छी प्रकार से करती है, सेना वालों को इंजीनियरिंग तथा अन्य प्रविधिक मामलों की शिक्षा दी जाती है। तीन वर्ष सेना, चार वर्ष नौ सेना और पांच वर्ष विमान सेना में कार्य करने के पश्चात् जब भी सैनिक कर्मचारी वापिस आते हैं तो देश के विकास कार्य में पूरी सहायता करते हैं। मैं शीघ्र ही चीन की प्रतिरक्षा के संबंध में सभा पटल पर अपनी रिपोर्ट रखूंगा। मेरा मतलब चीन, अथवा चीन की भारत अथवा भारत सरकार से तुलना करना नहीं है। मेरा कहना है कि यदि किसी देश से कुछ सीखा जाय तो सीखना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि हमारा लोक तंत्रीय ढंग उनसे मेल नहीं खाता। तो भी मैं सरकार, योजना आयोग के अध्यक्ष तथा प्रतिरक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमें उन तरकीबों को अपनाना चाहिये जिन्हें अन्य देश अपना रहे हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास का प्रश्न है। अन्य देशों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रतिरक्षा विभाग के बीच समन्वय रहता है तथा पदच्युति और पदनिवृत्ति के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति की अर्हताओं इत्यादि को सभी आवश्यक स्थानों में परिचालित कर दिया जाता है और जब तक उसे असैनिक विभाग में कार्य नहीं मिलता उसे सैनिक वेतन मिलता है। किन्तु हमारे देश में उन्हें असैनिक सेवा के योग्य बनाने के लिये समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। और उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करने के लिये जिला सैनिक बोर्ड इत्यादि के अलावा अन्य संस्थायें भी नहीं हैं। परिणाम यह होता है कि हजारों सैनिकों के अनुशासन की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी सेना से निवृत्त होने के बाद कहीं के नहीं रहते हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अणु युग में सर्वोत्तम प्रतिरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय शांति बनाये रखना है किन्तु जब तक सेना में हमारे कुल बजट का ५० प्रतिशत व्यय होता है, हमें उससे अधिकतम लाभ लेना चाहिये। किसी भी युवक को देश की रक्षा में भाग लेने से अधिक क्या सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, तथापि अधिकांश युवको को यह अवसर भी नहीं दिया जा रहा है।

साथ ही हमें यह भी ध्यान देना चाहिये कि राष्ट्रीय रायफल संघ, स्काउट संघ सेवा दल इत्यादि गैर सरकारी संगठनों के कार्यों में समुचित समन्वय किया जाय।

अन्त में, मैं सैनिक गुप्तचर संगठन को लेता हूं। इस संगठन का पुनर्गठन और विकास किया जाना चाहिये, क्योंकि आज युद्ध हथियारों से ही नहीं अपितु जासूसों को शत्रु देश में घुसा कर और ध्वंसात्मक तरीके अपना कर भी लड़ा जाता है अतः मैं प्रतिरक्षा मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि गृहकार्य मंत्रालय तथा राज्य के गुप्तचर विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सैनिक गुप्तचर संगठन को सुदृढ़ बनाये।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया): मैं पिछले सात वर्षों से सभा को यह सुझाव दे रहा हूं कि रूस और चीन के साथ सैनिक-मैत्री की जाय। मैं पूर्ण दायित्व से इस बात को कह सकता हूं कि विभाजन के पश्चात् से एक सैनिक विषमता उत्पन्न हो गई है। जिसे रूस से सैनिक सहायता लेकर ही पूरा किया जा सकता है। साथ ही हमें रूस से अणु आयुधों को भी लेना चाहिये क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान को अणु आयुध प्राप्त होने वाले हैं। मेरा विचार है कि भारत रूस और चीन के बीच सैनिक मैत्री से अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीपों को राजनैतिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा सुझाव यह है कि चीन रूस और भारत की एक संयुक्त प्रतिरक्षा परिषद् बनाई जाय और इन तीनों देशों के महा सेनाध्यक्ष मिल कर एक संयुक्त योजना तैयार करें। इससे पाकिस्तान और भारत के बीच कभी युद्ध नहीं होगा और मध्यपूर्व में जाल फैलाने वाले साम्राज्यवादी देशों को भी एक चेतावनी मिल जायेगी। युद्ध बन्द करने का यही एकमात्र तरीका है क्योंकि यदि युद्ध होगा तो सारी पृथ्वी ध्वस्त हो जायेगी।

एक तरीका यह भी है कि समस्त अफ्रीका-एशिया महाद्वीप, भारत, चीन व रूस के नेतृत्व में एक राजनैतिक इकाई बन जाय।

सैनिक मैत्री से मेरा तात्पर्य एक संघ से है क्योंकि विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक युद्धों में संलग्न रहते हैं। अतः यदि यूरोप की पिछले महायुद्धों जैसी विपत्ति से बचना है तो इन तीनों राष्ट्रों को एक हो जाना चाहिये।

इस सैनिक मैत्री से बगदाद करार भी समाप्त हो जायेगा। इससे एक लाभ यह भी होगा कि अमेरिका और रूस के बीच कोई राजनैतिक समझौता नहीं होने पायेगा क्योंकि ऐसा समझौता होने की दशामें सारा दक्षिण-पूर्वी एशिया अमेरिका के प्रभाव में और मध्य-पूर्व रूस के प्रभाव में चला जायेगा।

बहुत समय पूर्व से ही मेरा यह मत रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कोई सन्धि नहीं हो सकती है क्योंकि अमेरिका पूर्वी देशों के एकीकरण के विरुद्ध है। और जब तक पूर्वी देश राजनैतिक रूप से एकीकृत नहीं हो जाते, अमेरिका और पुरानी दुनिया के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है।

†**श्री मसानी** (रांची—पूर्व) : मैं अपने संशोधन संख्या ८ के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। इस संशोधन में उन दो अध्यादेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिनका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है।

एक सप्ताह के भीतर ही ऐसे दो अध्यादेश निकाले गये, जो उच्च न्यायालय बम्बई और दूसरा देश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध थे। इस बात से मुझे प्रोफेसर लास्की की याद आ गई जिन्होंने एक बार मास्को में भाषण के दौरान यह कहा था कि अंग्रेज लोग क्रिकेट नियमों के अनुसार खेलते थे परन्तु वे हार जाने पर खेल के नियमों को बदल देते हैं। असहयोग आन्दोलन के जमाने में हम ऐसी बातों को 'आर्डिनेंस राज' कहा करते थे। १६ अप्रैल, १९५६ को भी जब लगभग ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी, तो डा० कृष्णस्वामी ने अध्यक्ष महोदय का ध्यान कार्यपालिका द्वारा इन शक्तियों के प्रयोग किये जाने की ओर दिलाया था। तब लोक-सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मावलंकर ने यह कहा था कि यह लोकतंत्रीय तरीका नहीं कहा जा सकता है। केवल अत्याधिक आवश्यक होने पर ही ऐसे अध्यादेश पारित करने चाहियें। इसलिये इस कार्य का अवश्य विरोध किया जाना चाहिये जिससे कि यह गलती कार्यपालिका की आदत ही न बन जाय, क्योंकि संविधान के अनुसार भी इसका उपयोग केवल आपातकाल में ही किया जाना चाहिये। संविधान बनाने के अवसर पर भी डा० अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान में यह उपबन्ध, इंगलेंड के १९२० के आपातकालीन शक्ति अधिनियम के प्रकार का ही है, तथापि इसका बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं। वस्तुतः हम आपातकाल और प्रशासनिक सुविधा के बीच का अन्तर भूल गये हैं।

मैं इन अध्यादेशों के पारित करने वालों की सदाशयता पर संदेह नहीं करता। यह सम्भव है कि मूल जीवन बीमा अधिनियम त्रुटिपूर्ण हो, तथापि इसमें सुधार या संशोधन करने का अधिकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मसानी]

केवल सभा को ही प्राप्त है। इसलिये नये संसद् के सत्र तक प्रतीक्षा करना सबसे अधिक लोकतंत्रात्मक होता ।

बम्बई जाने के पूर्व मुझे बीमा कर्मचारियों के एक कार्मिक संघ का निमंत्रण स्वीकार करने का अवसर मिला। उन्होंने इस अध्यादेश का विरोध किया। वस्तुतः कर्मचारियों ने हड़ताल इत्यादि का रास्ता न चुन कर विधि द्वारा निर्णय का मार्ग चुना था। उन्हें बड़ी कठिनता से बम्बई न्यायालय में विजय प्राप्त हुई। किन्तु इस अध्यादेश के द्वारा उनकी विजय को समाप्त कर दिया गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि नियोजक के रूप में सरकार ने स्वयं न्याय को अपने हाथ में लिया है । आयोजित अर्थव्यवस्था में, जब आर्थिक शक्ति राज्य के हाथों में अनिवार्य रूप से केन्द्रित हो जाती है, तो ऐसा होना अच्छा नहीं है।

इन अध्यादेशों का सबसे आपत्तिजनक रूप यह है, कि इसमें देश के दो बड़े न्यायालयों,—जिन्होंने संसद् द्वारा बनायी गई संविधि का यथाशक्ति निर्वाचन करने का प्रयत्न किया था—के निर्णयों का शून्यीकरण किया गया है। इसलिये सभा को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। और हमें कार्यपालिका को यह बता देना चहिये कि यद्यपि हमें उनकी सदस्यता पर सन्देह नहीं है तो भी भविष्य में ऐसे अवसर आने पर इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये, उन्हें बधाई देने में अपने मित्रों से सहमत हूं। मैं आलोचक सदस्यों से पूछता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् क्या सरकार ने देश की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाया है और क्या विश्व के राष्ट्रों के समक्ष उसे ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त है। यदि हम सरकार की इन सफलताओं पर ध्यान न देकर उसकी बुराइयों को खोजते हैं तो यह अनुचित है ।

हमारे प्रशासन के दो पहलू हैं। एक राष्ट्रीय कार्यों से सम्बन्ध रखता है, दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय नीति से। अन्तर्राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में लगभग सभी दल प्रधान मंत्री की नीति से सहमत हैं।

काश्मीर और गोवा के सम्बन्ध में कुछ संशोधन आये हैं। जिनमें आशंका प्रकट की गई है कि काश्मीर के मामले में तत्काल निपटारे की कोई आशा नहीं है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में सारे झगड़े का निपटारा करने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि उचित प्रयत्नों के द्वारा पाकिस्तान के मित्र राष्ट्रों को अपनी ओर मिलाना होगा। गोवा के सम्बन्ध में भी राजनैतिक उपायों द्वारा ही कोई हल खोजना होगा ।

स्वेज नहर के सम्बन्ध में भारत ने जो कार्य किया है, वह बहुत शानदार रहा है। मध्यपूर्व के झगड़े को सुलझाने के लिये हमारे योग्य प्रधान मंत्री का सहयोग मांगा गया। चाहे कोई भी गुट हो दोनों हमारे प्रधान मंत्री का एक निर्णायक व्यक्ति के रूप में आदर करते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्यों को यह बात अपने ध्यान में रखनी चाहिये ।

हमारे देश में एक संघीय सरकार है और हरेक चीज के लिये संघ सरकार को दोषी ठहराना गलत है। इसलिये आलोचना सोच समझ कर करनी चाहिये। राज्यों की सरकारों के भी बड़े उत्तर-दायित्व हैं। मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों तथा कृषि के बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण रखा गया है।

प्रथम योजना की आलोचना इस कारण की जाती थी कि उसमें केवल कृषि विकास की व्यवस्था थी—उस समय इस पर जोर देना आवश्यक था क्योंकि हमारी खाद्य स्थिति खराब थी अब पर्याप्त जोर उद्योगों के विकास पर दिया जा रहा है।

इस कारण सरकार की आर्थिक नीति ठीक है और हम उसमें अधिक दोष नहीं निकाल सकते। मैं गैर-सरकारी या सरकारी क्षेत्र के चक्कर में नहीं पड़ता। प्रश्न तो यह है कि देश का विकास होना चाहिये—चाहे वह किसी भी ढंग से हो। जहां गैर-सरकारी क्षेत्र आगे न बढ़ें वहां सरकार आगे आये—सरकार से मेरा अभिप्राय केवल केन्द्रीय सरकार से नहीं है—राज्य सरकारें भी मैदान में आयें।

अगला प्रश्न वित्त का है। राष्ट्रपति ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि यह प्रश्न चिन्ताजनक है। यह प्रश्न एक ही तरीके से हल किया जा सकता है अर्थात् अधिक निर्यात करने से। मैं समझता हूं कि सरकार उस ओर पूरा जोर लगा रही है। हम अपना बहुत सा माल अफ्रीका को निर्यात कर सकते हैं। इस मामले की हमें शीघ्र ही छानबीन करनी चाहिये।

दूसरी बात विदेशी पूंजी विनियोजन के बारे में है। हमें उनके यहां आने के लिये ठीक स्थिति बनानी चाहिये।

साथ ही साथ हम व्यय में कमी भी करें। हमारे यहां दफ्तरों में अनेकों चपरासी होते हैं जिनका काम रचनात्मक नहीं है--इस दशा में हम कमी कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्यों के कर्मचारियों के वेतनों पर भी ध्यान दे।

इसके बाद अनाज की कीमतों का प्रश्न है। यह मामला टेढ़ा है। इसमें किसानों से भी न्याय होना चाहिये। इसके बाद शिक्षा का प्रश्न है। लोकतंत्रात्मक सरकार में शिक्षा आवश्यक है। दस वर्षों के भीतर भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

†**सभापति महोदय** : धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्न संशोधन प्रस्तुत हुए हैं :—

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१	२	३
१.	श्री त० ब० विट्ठलराव	वेतन भुगतान अधिनियम तथा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में संशोधन करने का उल्लेख नहीं किया जाना।
२.	श्री त० ब० विट्ठलराव	सड़कों तथा मकानादि बनाने वाले मजदूरों की स्थिति सुधारने का उल्लेख नहीं किया जाना।
३.	श्री त० ब० विट्ठलराव	औद्योगिक कर्मचारियों के वेतनों पर विचार करने के लिये वेतन आयोग का नियुक्त नहीं किया जाना।

†मूल अंग्रेजी में

[सभापति महोदय]

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१	२	३
४.	श्री त० ब० विट्ठलराव	मैंगनीज खानों के श्रमिकों के कल्याण के लिये किसी कार्यवाही का नहीं किया जाना ।
५.	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	विदेशी बागानों के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख नहीं किया जाना ।
७.	श्री तंगामणि	मद्रास राज्य को तामिल-नाड का नाम देने के बारे में उल्लेख नहीं किया जाना ।
८.	श्री मसानी	सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने में शीघ्रता ।
९.	श्री फ्रेंक एन्थनी	अभिभाषण में अनाज संबंधी असंतोषजनक स्थिति पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाना ।
१०.	श्री सु० ना० द्विवेदी	(क) अनाज की बढ़ती हुई कीमतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना । (ख) आय की असमानताओं पर ध्यान नहीं दिया जाना । (ग) जनता के संवैधानिक अधिकारों की कमी पर ध्यान नहीं दिया जाना ।
११.	श्री नाथ पाई	सरकार द्वारा बेलगांव तथा कारवाड़ की मराठी भाषी जनता की इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाना ।
१२.	श्री सुपाकर	सरकार की अनाज की कीमतों पर नियंत्रण रखने में असफलता ।
१३.	श्री सुपाकर	जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पूरे क्षेत्र को स्वाधीन कराने में असफलता ।
१४.	श्री सुपाकर	योजना के बावजूद भी निर्धनता तथा बेकारी का दूर न किया जाना ।

संशोधन संख्या	प्रस्ताव का नाम	संक्षिप्त विषय
१	२	३
१९.	श्री महन्ती	(क) अनाज की हालत तथा कीमतों का ठीक न किया जाना ।
		(ख) काश्मीर समस्या का हल ढूंढ निकालने में असफलता ।
२०.	श्री ब्रजराज सिंह	(क) अनाज की समस्या का हल ढूंढने में असफलता।
		(ख) पड़ती भूमि को खेती योग्य बनाने में असफलता।
		(ग) अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लाने में असफलता ।
		(घ) साम्राज्यवादियों की मूर्तियां हटाने में असफलता ।
		(ङ) कुटीर उद्योगों के विकास में असफलता ।
		(च) उच्च-माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निश्शुल्क करने में असफलता ।
		(छ) बेकारी की समस्या न हल करना ।
		(ज) आय की असमानताओं को कम करने में असफलता ।
		(झ) गोआ को स्वतंत्र कराने में असफलता ।
		(ञ) काश्मीर समस्या के हल के बारे में चुप्पी।
२१.	श्री डांगे	महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा से बम्बई राज्य के पुनर्गठन करने में सरकार की असफलता ।
२२.	श्री डांगे	श्रमिकों तथा कर्मचारियों की स्थिति सुधारने का उल्लेख नहीं किया जाना ।
२३.	श्री डांगे	अनाज की खराब हालत सुधारने का उल्लेख नहीं किया जाना ।
२७.	श्री अवस्थी	(क) अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लाने का उल्लेख नहीं किया जाना ।

[सभापति महोदय]

संशोधन संख्या	प्रस्ताव का नाम	संक्षिप्त विषय
		(ख) बेकारी की समस्या हल करने पर ध्यान नहीं दिया जाना।
		(ग) समाजवादी समाज बनाने का उल्लेख नहीं होना।
		(घ) महाराष्ट्र तथा गुजरात के लोगों की इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाना।
		(ङ) कुटीर उद्योगों के विकास की कोई स्पष्ट नीति के बारे में उल्लेख नहीं होना।
		(च) पड़ती भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये किसी कार्यवाही का न किया जाना।
		(ज) अभिभाषण में निर्धन लोगों की हालत सुधारने तथा दूसरा वेतन आयोग नियुक्त करने का उल्लेख न होना।
		(झ) शिक्षा को निश्शुल्क बनाने का कोई उल्लेख नहीं होना।
२८.	श्री खुशवक्त राय	(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अनाज की खराब स्थिति।
		(ख) भारत में सामान्यतया तथा उत्तर प्रदेश में विशेषतया गन्ने की कीमतों में कमी।
३१.	श्री भरुचा	राज्य पुनर्गठन की प्रतिक्रियाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाना।
३२.	श्री भरुचा	राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर जो दबाव दूसरी योजना से पड़ा है उसे हल करने के किसी सुझाव का उल्लेख न होना।
३३.	श्री भरुचा	अनाज की कमी को दूर करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना।
३४.	श्री भरुचा	अभिभाषण में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से हुए अन्याय का उल्लेख न होना।

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षित विषय
१	२	३
३५.	श्री भरुचा	आणविक शस्त्रों के प्रयोगात्मक विस्फोट रोकने के लिये किसी स्पष्ट सुझाव का नहीं दिया जाना।
३७.	श्री उ० च० पटनायक	(क) भारत की सेवाओं को आधुनिकतम वैज्ञानिक सज्जा से लैस करने का उल्लेख नहीं होना।
		(ख) किसी ऐसे आश्वासन का नहीं होना कि प्रतिरक्षा संगठन के पास पर्याप्त साधन एवं सुविधायें हैं।
		(ग) प्रतिरक्षा सेवाओं को सामाजिक कामों में लगाए जाने के किसी कार्यक्रम का उल्लेख न होना।
		(घ) प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाने का उल्लेख नहीं होना।
		(ङ) लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार युद्ध सामग्री कारखाने की स्थिति सुधारने का उल्लेख न होना।
		(च) बहुत से युद्ध-सामग्री डिपों में पड़े हुए सामान के उपयोग के बारे में उल्लेख न होना।
		(छ) रक्षित तथा सहायक सेवाओं के बा में किसी उपबन्ध का न होना।
		(ज) नवयुवकों को प्रतिरक्षा प्रशिक्षण देने के बारे में किसी बात का न होना।
		(झ) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की किसी योजना का उल्लेख न होना।
		(ञ) भरती करने की व्यवस्था को बदलने की किसी योजना का उल्लेख न होना।
		(ट) लोक-सहायक सेना की वृद्धि के प्रश्न का जिक्र तक न होना।
		(ठ) सेना के अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को पुनर्जीवित करने पर ध्यान नहीं दिया जाना।

[सभापति महोदय]

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१	२	३
		(ड) विशेष प्रशिक्षण के लिये युद्ध-सामग्री कारखानों के बारे में ठीक ठीक स्थिति का ज्ञान नहीं किया जाना ।
		(ढ) सैनिक गुप्तचर विभाग के आधुनिकीकरण में असफलता ।
		(ण) जूनियर कमीशन्ड पदाधिकारियों की पदालि को ठीक ढंग पर लाने में असफलता ।
		(त) एम० इ० एस० तथा इ० एम० इ० के पुनर्गठन पर विचार न किया जाना ।
		(थ) आयात काल में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा भावना पैदा करने की असफलता ।
४०.	श्री वाजपेयी	अभिभाषण में पाकिस्तान के आक्रामक विचारों का उल्लेख न होना ।
४१.	श्री वाजपेयी	जम्मू तथा काश्मीर में विकासोन्मुख तानाशाही का कोई उल्लेख न होना ।
४२.	श्री वाजपेयी	विस्थापित व्यक्तियों में बढ़ती हुई बेचैनी का कोई उल्लेख नहीं होना ।
४४.	श्री वाजपेयी.	पंजाब की भाषा की समस्या का ठीक प्रकार से हल नहीं किया जाना ।
४७.	श्री बां० चं० कामले	सरकार द्वारा मराठी भाषी जनता की इच्छाओं का तिरस्कार किया जाना ।
४८.	श्री बा० चं० कामले	जनता द्वारा, विशषेकर हरिजनों द्वारा बुद्ध धर्म स्वीकार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना ।
४९.	श्री बा० चं० कामले	भारतीयों की निर्धनता पर ध्यान नहीं दिया जाना ।

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१	२	३
५०.	श्री बा० चं० कामले	मुख्य समस्याओं पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति का नहीं होना ।
५३.	श्री महेन्द्र प्रताप	(क) बढ़ते हुए करों को रोकने और हर एक गांव और नगर को स्वराज्य देने के बार में किसी वचन का नहीं दिया जाना । (ख) हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में विदेशों से प्राप्त सहायता का उल्लेख नहीं होना । (ग) वर्तमान कठिनाइयों पर विजय पाने के लिये विश्व संघ की स्थापना की वांछनीयता का उल्लेख न किया जाना ।
७९.	श्री पाणिग्रही	फारमूसा में परिमाणु अस्त्रों की स्थापना से सुदूर-पूर्व में पैदा होने वाले खतरे का उल्लेख न किया जाना ।
५८.	श्री पाणिग्रही	(क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषा-भाषी वर्गों की कठिनाइयों के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वित न किया जाना । (ग) उड़ीसा में सरायकेला और खर्सवान के मिलाये जाने पर जनता के स्पष्ट मत की उपेक्षा ।

†**सभापति महोदय** : यह समस्त संशोधन सभा के सामने हैं ।

श्री रघुवीर सहाय (बदायूं) : १३ मई को राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । मुझे विरोधी दल के नेता की यह बात सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें तथ्यों को गलत रूप से रखा गया है । राष्ट्रपति ने ठीक कहा है कि कई बातें चिन्ताजनक हैं । आर्थिक स्थिति वास्तव में चिन्ता का विषय है । आयात में किसी सीमा तक कमी की जानी चाहिये और आर्थिक स्थिति की वृद्धि की जाये । औद्योगिक रूप से भी हमें आत्म निर्भर होना चाहिये और बचत करनी चाहिये । इन सब कमियों को दूर करने के लिये लोकमत बनाने की जरूरत है—अब तक लोगों के वह इरादे नहीं बने हैं—यदि इरादा पक्का बन जाये तो बड़ी तेजी से प्रगति हो ।

† मूल अंग्रजी में

[श्री रघुवीर सहाय]

अब दूसरी योजना का दूसरा वर्ष है—वास्तव में प्रगति तीव्रगति से होनी चाहिये थी। अभी तक लोगों के दिलों में इन योजनाओं ने घर नहीं किया है। नगरों में तो योजना के बारे में कोई उत्साह ही नहीं दिखाई पड़ता। अभी तक आम राय तैयार नहीं की जा सकी है। इसका कारण यह है कि हमारे कर्मचारी अभी तक भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं अभी तक वह ठीक काम नहीं करते। लोगों को उन पर विश्वास नहीं है। जब तक इन बुराइयों को दूर नहीं किया जाता तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती।

देश में अनाज की स्थिति वास्तविक रूप से ही खराब है। अनाज की पैदावार अधिक करने के लिये काफी कुछ किया गया है किन्तु कीमतें अभी तक ज्यादा की ज्यादा हैं। एक दरमियाने दर्जे का आदमी आजकल बड़ी कठिनाई से निर्वाह करता है। इसलिये पैदावार बढ़नी चाहिये और कीमत गिरनी चाहिये। रुकावट यही है कि अभी तक बहुत सी सिंचाई की योजनायें कार्यान्वित नहीं हुई हैं। इन सब परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिये।

अनाज की पैदावार तभी बढ़ सकती है जब किसानों के पास पूरा सामान हो। हमें उर्वरकों आदि का संभरण करना चाहिये।

किसानों को नलकूप आदि लगवाने की पूरी पूरी सुविधायें देनी चाहियें। ईंटें नहीं मिलती और न ही सीमेंट मिलता है। सामुदायिक परियोजनाओं के कर्मचारी समस्त किसानों को फायदा नहीं पहुंचा सकते—किसानों को और अधिक सुविधायें दी जायें।

यह ठीक है कि सामुदायिक परियोजनाओं की पर्याप्त प्रगति हुई है किन्तु और अधिक होनी चाहिये थी। उन्हें ठीक तरीके से काम करने का पता नहीं है। पहले प्रत्येक बात को ठीक तरीके से समझना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि दूसरी योजना की समाप्ति तक समस्त देश में सामुदायिक परियोजनाओं का जाल बिन्द जाये।

†**श्री गोरे** (पूना) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में गोआ का कोई उल्लेख नहीं है—पहले सभी अभिभाषणों में गोआ का उल्लेख होता था। इसलिये इस बार यह बड़ी हैरानी की बात है कि तनिक सा उल्लेख भी नहीं किया गया है। मैं गोआ की जेलों में रहा हूं—उस समय भारतीयों ने बड़े बलिदान किये थे। आजादी का नाम लेने पर गोआ में २० वर्ष तक की कैद कर दी जाती है—मारा तथा पीटा जाता है।

इस सभा में कांग्रेस की एक महिला हैं जो गोआ में गोलियां की वर्षा में भी डटी रहीं—उनके बलिदान पर हम सब प्रसन्न हैं—किन्तु उन्हीं के और भी बहुत से लोगों ने बलिदान दिये हैं। किन्तु इन बातों के होने पर भी हम देखते हैं कि अब गोआ का उल्लेख तक नहीं किया गया। इस बात से गोआ के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या हमने गोआ के सम्बन्ध में अपनी नीति बदल ली है? हमारी विदेशी नीति चाहे दूसरे स्थानों पर सफल रही हो किन्तु जब मामला हमारे ऊपर पड़ा है तब हमारे हक की बात किसी ने भी नहीं की। यह कमी बड़ी बुरी कमी है।

मुझे पता नहीं कि यहां के कितने लोगो ने डा० सालाजार के भाषण पढ़े हैं—मैंने गोआ में उसके भाषण प० हैं और वह साफतौर पर कहता है कि बिना युद्ध के हम गोआ नहीं देंगे। हमने कभी इन बातों पर नहीं सोचा है। हमारी नीति बड़ी अनिश्चित सी है। हमें गोआ वालों का साथ देना चाहिये। अभी तक गोआ की जेलों में तीन सौ के लगभग कैदी हैं। हमें कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। यदि आप गोआ में पुर्तगालियों को आक्रमणकर्ता मानते हैं तब हमारी सरकार का कर्तव्य है कि आक्रमण-

† मूल अंग्रेजी में

क्तायों को यहां से निकालें। हां यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो उन्हें बता दीजिये कि हम आपके लिये कुछ करने को तैयार नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के लोगों ने स्पष्टतया यह राय जाहिर की है कि उनके लिये महाराष्ट्र बनना चाहिये—यह कोई बड़ी बात नहीं है। केवल दो प्रान्त हैं अर्थात् महाराष्ट्र तथा गुजरात। आपने सब राज्य भाषावार बनाये किन्तु बम्बई राज्य को द्विभाषी राज्य बना डाला।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में लोग जो कुछ कहते हैं वह दिल से कह रहे हैं यह बात किसी दल ने उछाल नहीं रखी। उन्होंने लोकतंत्रात्मक तरीके से अपनी राय दी है। इसलिये आप लोगों को उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिये।

†**श्री महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : श्रीमान् मुझे यह देख कर दुख होता है कि अभी तक भी सरकार का ढांचा वही है जो पहले था—वही कलेक्टर वही थानेदार हैं जो कल तक कांग्रेस वालों को पीटा करते थे मैं यह चाहता हूं कि इस सारे ढांचे को बदला जाये।

मैंने विदेशों में क्रांतियां देखी हैं। १९१८ में जब बुडापेस्ट में क्रान्ति हुई थी उस समय मैं वहां था। जब जर्मनी में क्रान्ति हुई तब मैं म्यूनिक में था। प्रातः होते ही वहां पर क्रान्तिकारियों ने कब्जा जमा लिया था। मैंने मास्को में भी क्रातियां देखी हैं। मैं लड़ाइयों के बीच में से गुजरा हूं। पांच वर्ष मैं चीन में भी रहा हूं—वहां तब जो साधारण से लोग थे वे अब सरकारी पदों पर हैं। किन्तु यहां की सरकार ने अंग्रेजों से शासन की बागडोर संभाल ली और वे लोग उनके अभिकर्ताओं के रूप में ही काम कर रहे हैं। मैंने अपने संशोधन में कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में लोगों की स्थिति सुधारने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है : केवल "मेरी सरकार—मेरी सरकार" की बातें हैं। उन्होंने "आपकी सरकार" शब्द भी नहीं कहा।

दूसरी बात यह है कि लोगों पर अधिकाधिक कर लगाये जा रहे हैं। वे लोगों पर कर लगाते हैं और जो मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं। इसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पद्धति को बदल देना चाहिये और लोगों को किस प्रकार से तंग नहीं किया जाना चाहिये। प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में स्वायत्त शासन स्थापित करना चाहिये।

कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जाति पद्धति नहीं रहनी चाहिये। परन्तु यहां इन महान लोगों के नामों से उन की जातियों का पता लगता है। मैं समझता हूं कि जातियों को फिर से संगठित करना अधिक अच्छा है। ये जातियां सिक्खों में भी हैं जैसे खत्री, जाट, अरोड़ा और आहलूवालिया इसी प्रकार मुसलमानों में भी सयद, कुरेषी, अफगान और तुगलक आदि जातियां हैं। अतः यदि हम गांव और नगर की प्रत्येक वत्ति में प्रत्येक जाति को संगठित करें और उनके नेताओं को अपनी सरकार बनाने दें तो यह हमारी संस्कृति के अनुकूल होगा। उन नेताओं की सरकार बना कर कलेक्टर थानेदार और तहसीलदार का शासन समाप्त कर देना चाहिये।

मैंने बताया है कि जर्मनी टर्की, और अफगानिस्तान ने प्रथम विश्वयुद्ध में हमारी सहायता की थी। द्वितीय महायुद्ध में श्री सुभाष चन्द्र बोस ने मेरे पथ का ही अनुगमन किया और वे जर्मनी और जापान गये। अभिभाषण में इसका उल्लेख होना चाहिये था कि जापान तथा अन्य देशों ने द्वितीय महायुद्ध में हमारी कितनी सहायता की।

जब तक विश्व संघ अथवा विश्व संघ सरकार स्थापित न हो शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को मेरा यह सिद्धांत उसी प्रकार अपना लेना चाहिये जिस प्रकार

† मूल अंग्रेजी में

[श्री महेन्द्र प्रताप]

रूस ने मार्क्सवाद को अपनाया ह या एंग्लो-ऐक्सनों ने लोकतन्त्रवाद को अपनाया है। हमारे राष्ट्रपति को यह घोषित कर देना चाहिये कि प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर एक संयुक्त परिवार बनाया जाएगा। सब लोग मिल कर प्यार से प्रेमपूर्वक भाई भाई की तरह से रहते हों और सब के लाभ की दृष्टि में रख कर काम करते हों। मतलब मेरे कहने का यह है कि हमें इस तरह की सरकार बनानी है कि जिसमें एक आदमी भी भूखा न मरे और एक आदमी भी बेकार न रहे और हम सबको सुखी बनायें। यह मेरी कोशिश है और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा हो और मैं अपने कांग्रेसी भाइयों और सब भाइयों को अपने विचार का बना सकूं।

†**श्री मु० खुदाबख्श** (मुर्शदाबाद) : मैं अपने अन्य मित्रों की तरह राष्ट्रपति को इस भव्य अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। यह कहा गया है कि यह अभिभाषण भ्रमपूर्ण है। मैं समझता हूं कि उस में जो यह कहा गया है कि योजना के सम्बन्ध में आर्थिक स्थिति गंभीर है, इस में निष्कपट भाव की अभिव्यक्ति हुई है। निश्चय ही इस में कोई भ्रमपूर्ण बात नहीं है। उसमें कहा गया है कि लक्ष्य को कम करने में देश का हित नहीं है, और कि कमी को पूरा करने और आवश्यक निधि एकत्र करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। जिस समय यह योजना बनाई गई विश्व स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी कि अब है। इस परिवर्तन का योजना के वित्त पर प्रभाव पड़ा है।

खाद्यान्न की ओर निर्देश करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि यद्यपि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु कुछ स्थानों पर बाढ़ों आदि की विपत्ति के कारण अन्नाभाव हो गया था। बंगाल में भी बाढ़ों से बहुत हानि हुई है तथा उस के बाद की फसलें भी नष्ट हो गई हैं जिस से स्थिति और भी खराब हो गई है। वहां खाद्यान्न भेजा जा रहा है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि संघ सरकार और राज्य सरकार अन्ना भाव की पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करेंगी।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्यान्न की कमी के साथ ही चारे की कमी भी हुई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों ने गन्नों के आग काट कर पशुओं को खिला दिया था जिस से गन्नों में 'स्टेम बोरर' नाम का कीड़ा लग गया है। इस से चीनी उत्पादन बहुत कम हो गया है।

राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार ने आवास की कमी को दूर करने और आवास स्तर को उन्नत करने के लिए कार्यवाही की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ओर गैर सरकारी उद्योग को आकर्षित करना चाहिये। इस के लिए विभिन्न राज्यों के किराया निमंत्रण अधिनियमों की ऐसी बातों को दूर करना चाहिये जो गैर सरकारी उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में पूंजी लगाने से रोकती हैं।

हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि विदेशों के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। मेरी यह कहने की इच्छा थी कि यद्यपि हमारे पड़ोसियों ने बहुत उत्तेजित किया पर फिर भी हमारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहा। हम ने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि पाकिस्तान सरकार एक न्यायिक जांच कर रही है। मुझे भ्रम है कि संभवतः यह जांच उच्च स्तर समिति की जांच से भिन्न है और क्योंकि इस जांच से मामला न्यायाधीन हो जाएगा अतः उच्च स्तर समिति की जांच सम्बन्धी कार्यवाही नहीं हो सकेगी। अतः प्रधान मंत्री कृपया अपने उत्तर में इस संबंध में बताएं कि इस बारे में भारत सरकार का क्या करने का विचार है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, जो अभिभाषण राष्ट्रपति महोदय ने संसद् सदस्यों के सम्मुख दिया उस में अपने राष्ट्र के नव निर्माण का कोई संकेत नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में न तो बेकारी की समस्या को हल करने का कोईसंकेत दिया गया है न यह बतलाया

† मूल अंग्रेजी में

गया है कि खाद्य समस्या को कैसे हल किया जाएगा। यदि खाद्य समस्या के बारे में कोई बात है तो सिर्फ यही है कि ` स्टाक्स (भंडार) को रिजर्व (रक्षित) रखना चाहते हैं, सरकार बाहर से अन्न मंगाना चाहती है। `श में किस प्रकार इस समस्या को हल किया जा सकता है, वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से यहां की परती भूमि से नई खेती पैदा करने की कोशिश की जा सकती है, इस विषय में कोई संकेत नहीं है। मैं इसलिए यह नि`दन करूंगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हिन्दुस्तान की मुख्य समस्याओं को हल करने के लिए कोई संकेत पेश नहीं करता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन चीजों के विषय में भी कोई संकेत नहीं है जिन से हमारा सारा राष्ट्र आज आन्दोलित हो रहा है। विशेष रूप से हम देखते हैं कि कुछ विषयों को ले कर उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा एक सत्याग्रह संग्राम चलाया जा रहा है जिस में सिर्फ तीन दिन के अन्दर ८०० आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। जरा जरा सी चीजों को ले कर यह बातें होती हैं। हमारे विचार भिन्न होते हुए भी, हम यह देखें कि जिस विषय के बारे में माननीय प्रधान मंत्री यहां बयान देते हैं कि उन स्टेचूज को, ब्रिटिश स्टेचूज को हटाया जायगा, उन्हीं को हटाने के लिए अगर कोई विरोधी लोग कहते हैं तो इस के लिए उन को जेलों में बन्द किया जाता है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि आज भारत के नवनिर्माण के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सब विषयों के सम्बन्ध में एक अच्छा संकेत रहा होता। लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इन विषयों के बारे में कोई संकेत उस में नहीं है।

अगर हम बेकारी की समस्या को लें तो सरकारी रिपोर्ट से ही यह पता लगेगा, **एम्प्लायमेंट न्यूज,** नवम्बर, १९५६ से यह पता लगेगा कि ४,२७,३५२ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कराया है। हालांकि मेरा यह विचार है कि सब व्यक्तियों ने जो बेकार हैं, अपने को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं कराया है, फिर भी यदि यह मान लिया जाए कि इतने ही व्यक्ति हिन्दुस्तान में बेकार थे, तो भी उन की बेकारी की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ न कुछ संकेत होना चाहिए था। हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार मैं हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह सरकार से यह मांग करे कि उस के लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, काम की व्यवस्था पहले होनी चाहिए और अगर सरकार काम की व्यवस्था करने में असमर्थ हो तो उस के लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु इन चीजों के विषय में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है। जब तक बेकारी की समस्या हल नहीं होती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है, सरकारी पक्ष की ओर से यह बात कही गई, कि आज भारत में ऐसे लोग हैं, गरीब लोग, जो कोर्स ग्रेन अर्थात् मोटे अनाज को छोड़ कर गेहूं खाने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, या सिनेमा देखने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, या बस में चलने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, या `ल में ऊंचे दर्जे में चलने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इस चीज से कोई अन्दाज नहीं होता कि हिन्दुस्तान का कितना विकास हो रहा है, इस के कतई माने नहीं हैं कि हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है। यदि हम नई सभ्यता के मुताबिक कुछ बातों को आधार मान लें तो इस अभिभाषण से यह पता नहीं लगता कि हिन्दुस्तान का कोई विकास हो रहा है। विकास का पता तो इस से लगेगा कि किस तरह भूमि की समस्या हल हो रही है, किस तरह लोगों को खाना मिल रहा है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। जैसी स्थिति आज मुल्क में है उस से यह पता नहीं लगता। मुल्क में अक्सर अकाल पड़ता है, बाढ़ें आती हैं, बाढ़ों के बारे में सरकार क्या कर रही है, वह इस में नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब हर साल बाढ़ आती है तो उसकी रोकथाम करने के लिए यह जरूरी है कि सरकार कुछ सोचे। यदि पिछले दस साल का इतिहास देखा जाये तो पता चलेगा कि बाढ़ें हर साल बढ़ती जा रही हैं। ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा रही जिससे कि वह आगे न हों। हर साल बाढ़ों से लाखों गरीब व्यक्तियों के घर बह जाते हैं। उनको बनाने की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से

[श्री व्रजराज सिंह]

नहीं की जाती। तो जब तक इन सब चीजों का समावेश अभिभाषण में न हो उस समय तक यह नहीं समझा जा सकता कि आगे हिन्दुस्तान को एक अच्छा हिन्दुस्तान बनाने की तस्वीर सरकार के सामने है। हिन्दुस्तान को एक अच्छा हिन्दुस्तान बनाने के लिए हम सभी माननीय सदस्यगण जनता के बीच गये और उनसे वायदे किये : यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हिन्दुस्तान को अच्छा बनाने की बात होती तो मैं समझता कि एक अच्छा हिन्दुस्तान बनने जा रहा है।

जहां तक खाद्य समस्या के हल का सम्बन्ध है मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हिन्दुस्तान में जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उसको नहीं तोड़ा जाता तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। देश में करोड़ों एकड़ बंजर भूमि पड़ी हुई है। आगरे जिले की एक ही तहसील बाह में करीब करीब डेढ़ लाख एकड़ भूमि चम्बल और जमुना के दोनों ओर बंजर पड़ी है जिसको तोड़ने में सरकार का कुछ खर्च भी नहीं होगा। वहां की जनता कहती है कि अगर एक एक किसान को दस दस बीघा यह जमीन दे दी जाये तो वह उस जमीन को तोड़ सकता है। और सरकार से कुछ पैसा न लेगा। ऐसा करने से खादर डकैत पनाह पाते हैं खत्म हो सकती है और जो डकैतों की समस्या है वह भी हल हो सकती है। लेकिन इन चीजों का जिनसे आगे एक अच्छा हिन्दुस्तान बन सकता है, जिनसे हमारी खाद्य समस्या का हल हो सकता है, उनका समावेश राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है।

इसी तरह से बेकारी की समस्या के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक बेकारों को काम देने की व्यवस्था नहीं होती तब तक सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उनके खाने पीने की व्यवस्था करे। लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था करने की बात राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं कही गयी है।

खेतिहर मजदूरों का एक प्रश्न है। हमारे देश में ऐसे खेतिहर मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या है जिनके पास अपनी कोई खेती नहीं है। लेकिन ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि उनके वेतन की कोई दर नियत कर दी जाये। जब तक इन करोड़ों व्यक्तियों के लिए हम कोई उचित व्यवस्था नहीं करते तब तक कोई अच्छा हिन्दुस्तान नहीं बन सकता। इस तरह की कोई व्यवस्था करने का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है।

टैक्सों का जो ढांचा है वह इस तरह का है कि उससे गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है और अमीर आदमी पर कम बोझ होता जा रहा है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं था उस वक्त इनकमटैक्स की रेट २००० प्रति साल की आमदनी पर थी। उसको बढ़ाकर २४०० किया गया, फिर ३००० किया गया और फिर ३६०० और ४२०० किया गया। इस आमदनी से ऊपर अब इनकम टैक्स लिया जाता है। इसके साथ ही जो नीचे के तबके के लोग हैं उन पर टैक्स बढ़ता जा रहा है। जिन किसानों की जोतें इस तरह की हैं कि जिनसे कोई लाभ नहीं होता, यदि उनका लगान माफ कर दिया जाता तो लोगों को पता चलता कि हिन्दुस्तान में कोई नई व्यवस्था होने जा रही है। हमारे मंत्रीगण अक्सर कहा करते हैं कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी समाज की रचना इस तरह से नहीं होगी कि एक तरफ तो चौकीदार को ढाई आना रोज मजदूरी मिले और दूसरी तरफ इस तरह के आफिसर्स हों जो कि दस हजार मासिक तक वेतन लें।

श्री फीरोज गांधी (रायबरेली) : दस हजार किसको मिलता है।

श्री ब्रजराज सिंह : यदि आप वेतन और सब चीजों को मिलाकर देखें तो दस हजार हो जायेगा ।

पंडित के० सी शर्मा : (हापुड़) : यह कैसा हिसाब है ।

श्री ब्रजराज सिंह : यह हिसाब समझने व जानने के लिए आपको स्कूल जाना होगा । अगर आप पूरा हिसाब लगायेंगे तो दस हजार से ज्यादा पड़ जायेगा । तो इस तरह से समाजवादी समाज की रचना नहीं हो सकती कि एक तरफ तो इतना कम वेतन हो और दूसरी तरफ इतना ज्यादा हो । यदि समाजवादी समाज की रचना करनी है तो सरकार को यह देखना चाहिए कि देश में बड़े से बड़े अफसर और छोटे से छोटे कर्मचारी के वेतनों में दस और एक से अधिक क्रम का अन्तर नहीं होना चाहिए सरकार यह उसूल मान लें कि किसी का वेतन सौ रुपये से कम नहीं होगा और दूसरी तरफ किसी का वेतन १००० से ज्यादा नहीं होगा, तो समाजवादी समाज की रचना हो सकती है । परन्तु इस अभिभाषण में किसी ऐसी व्यवस्था का जिक्र नहीं किया गया है । मैं ने इसके लिए एक संशोधन पेश किया है, २० नम्बर का ।

गोआ के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदन के कुछ सदस्य जो इस समय हमारे बीच मौजूद हैं जेल जा चुके हैं । उस विषय में इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है और यह समस्या किस तरह हल हो जायेगी इस विषय में भी अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में ऐसी किसी चीज का संकेत नहीं है कि जिससे यह मालूम हो कि इस मुल्क में एक नई समाज की रचना होने जा रही है । या यह एक नया मुल्क बनने जा रहा है जिससे कि यहां के करोड़ों लोगों के दिलों में विश्वास पैदा हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पेश करता हूं ।

श्री रा० भा० वर्मा (नीमाड़) : सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए में खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करते हुए योजनाओं के ऊपर, हिन्दुस्तान के अन्दर जो प्रगति हो रही है उसके ऊपर, अनाज समस्या के ऊपर और अनेक बातों पर प्रकाश डाला गया है । मैं भी उस सम्बन्ध में कुछ शब्द सदन के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बात नहीं कही गयी है हालांकि हमारे शासन के सम्मुख उसको बार बार लाया गया है और उसके कारण एक राज्य में ही नहीं सारे देश के अन्दर एक बड़ी भारी आतंकवादी फिजा पैदा हो रही है । उसकी तरफ मैं आपके द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह हमारे देश की डाकू समस्या है । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर मानसिंह नाम का एक डाकू प्रसिद्ध था जो दो डेढ़ बरस पहले मारा गया । लेकिन वह मानसिंह डाकू उस इलाके में कितने ही और डाकू पैदा कर गया है और आज क्या उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान का इलाका, क्या मध्यप्रदेश का इलाका, सब जगह डाकूओं का जबरदस्त आतंक पैदा हो गया है और इन दिनों तो वह आतंक बढ़ता ही जा रहा है । कुछ क्षेत्र के निवासियों को वहां रहना तक भारी पड़ रहा है । अभी चार रोज की बात है कि ग्वालियर से १५ मील की दूरी पर से चार आदमियों को डाकू पकड़ कर ले गये, और उसके ६ दिन पहले दो आदमियों को पकड़कर ले गये । जगह जगह यह ही रहा है कि गांव के अन्दर डाकू जाते हैं और आदमियों को इस तरह से भून डालते हैं जिस तरह से कि पहले राजा महाराजा तीतरों और बटेरों को भून डालते थे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता

[श्री रा० भा० वर्मा]

हूं कि वहां की हालत को देखते हुए मन में ऐसा आता है कि उस एरिया को खाली कर दिया जाये पर प्रश्न यह है कि उन परिवारों और माता और बहिनों को कहां बसाने के लिए भेजा जाये। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां इस तरह की घटनायें हो रही हैं कि माता पिता बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनको डाकू पकड़ कर अपने खेमे में ले जाते हैं और माता पिता उन बच्चों के लिए परेशान होते हैं और उन को ढूंढते फिरते हैं।

इतना ही नहीं, उस चुनाव में जिन हरिजन भाइयों ने कांग्रेस को वोट दिया है, डाकू लोग उन के घर जाते हैं और उन की नाक ऊपर से नहीं बल्कि अब नीचे से काटने लगे हैं। उत्तरी मध्यप्रदेश में तो उस सारे क्षेत्र में इस कारण बड़ा ही आतंक फैला हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शासन को इस बारे में विचार करने और आवश्यक सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। उसी मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए तो यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। वे लोग स्थानीय अधिकारियों और प्रदेश शासन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा की जाये।

राष्ट्रपति महोदय के भाषण में कम आमदनी वालों के लिए मकान बनाने की योजना का उल्लेख किया गया है। इस योजना के अधीन सरकार आठ हजार रुपये लोन के तौर पर देती है, जो कि तीस वर्ष में वसूल किए जा सकते हैं। इस योजना को बनाते समय यह देख लिया गया होगा कि आठ हजार रुपए से क्या कैसा मकान बन सकता है। मेरे विचार में सिर्फ रकम दे देने की बजाय सरकार को उस कीमत के मकान के लिए सब सम्बन्धित सहूलियतें पहुंचाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार की यह योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब लोगों को उस योजना का पता चला कि मकान बनाने के लिए शासन से रुपया दिया जा रहा है, तो परिणाम यह हुआ कि मकान बनाने के उपायों में आने वाली चीजों के भाव बढ़ा दिये गये। पहले ईंटों का भाव तीस रुपया हजार था, लेकिन इस योजना के शुरू होने पर उस का भाव बढ़ कर बासठ रुपया हजार तक हो गया है। इसी प्रकार लोहे और सीमेंट के भाव भी बढ़ गए हैं। बल्कि उन का तो मिलना ही दुर्लभ हो गया है। मैं ने ऐसे केस देखे हैं कि लोन मिलने पर मकान बनना शुरु हुआ और उस रकम में दीवारें तो बन गई, लेकिन छत नहीं बन पाई, क्योंकि ईंटों और दूसरी चीजों के भाव बढ़ गए। इससे वे अपना मकान पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मकान बनाने की योजना तैयार की जाती है, तो यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि मकान बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता हो, उन पर नियंत्रण किया जाय। अगर आप बाजार में मालूम करें कि १९५०–५१–५२ में उन चीजों के क्या भाव थे और अब क्या भाव हैं, तो आप को आश्चर्य होगा।

हमारी पहली पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है और दूसरी शुरू हो गई है, लेकिन इस अवधि में हर एक चीज के भाव बराबर बढ़े जा रहे हैं। एक तरफ हमारा उत्पादन बढ़ा है और दूसरी तरफ कीमतें बढ़ी हैं। इससे गरीब और मेहनतकश लोग हैरान हैं कि यह क्या हो रहा है। उन के मन से योजनाओं के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। वे कहते हैं कि हम ने उत्पादन तो बढ़ाया, किन्तु हमारी रोजी नहीं बढ़ी, बल्कि कीमतें और बढ़ती जा रही हैं, तो फिर इस का मतलब यह है कि उत्पादन बढ़ाने और इन योजनाओं का सारे का सारा फायदा कुछ धनी और मुनाफाखोर लोगों को है। इसलिए उत्पादन बढ़ाने से हमें क्या फायदा बल्कि हानि है। हम उत्पादन के ऊपर तो काबू कर पा रहे हैं, लेकिन मुनाफाखोरी पर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है।

अब मैं अनाज की कीमतों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। अधिक अनाज उपजाओ आंदोलन के फलस्वरूप १९५३–५४ में देश भर में ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ। लेकिन १९५४ के अन्त में जब गल्ला खेत से किसान के हाथ में आया तो क्या हुआ? हमारे प्रदेश में ही ज्वार का इतना

ज्यादा उत्पादन हुआ, जितना कि मैं ने सारी उम्र नहीं देखा था। उस समय—१९५४ के अन्त में और १९५५ के प्रारम्भ में—ज्वार का भाव तीन, साढ़े तीन रुपए मन तक था और उसी भाव पर किसानों से खरीद कर सब पैसे वालों ने ज्वार से अपने गोडाउन (गोदाम) भर लिए। हम ने वहां के शासन को कहा कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हम से कहा कि यह तो केन्द्र के हाथ की बात है। जब सारा ज्वार किसानों के हाथों से निकल गया, तो केन्द्र की ओर से ज्वार के कम से कम भाव चार, पांच रुपए मन बांध दिए जाते हैं। उसी ज्वार को बाद में व्यापारियों में १०-१२ रुपये मन बेचा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सब योजनायें समयानुसार—टाइमली—होनी चाहिएं, ताकि उन से किसानों, श्रमिकों और कनज्यूमर्ज (उपभोक्ताओं) को पूरा फायदा हो सके। लेकिन होता यह है कि ये लोग एक तरफ रह जाते हैं और बीच के लोग—मुनाफाखोर—सारा फायदा उठा लेते हैं।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शासन की ओर से लोगों को सस्ते भाव पर अनाज मुहैया करने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के भाषण में भी इस का निर्देश किया गया है कि अनाज का आयात किया जा रहा है और गोडाउन्ज (गोदाम) बनाए जा रहे हैं, ताकि अनाज के भाव न बढ़ें और लोगों को अनाज सुगमता से मिल सके। हम देख रहे हैं कि शासन ने कुछ जनसंख्या के आधार पर बड़े बड़े शहरों में सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी हैं, लेकिन हमारे यहां जो सस्ते अनाज की दुकानें थीं वे अभी हाल में बंद कर दी गई हैं। इस तरफ उन जंगल और पहाड़ी एरियाज (क्षेत्रों) में, और जहां काटन (कपास) और मूंगफली ही पैदा होती है, अनाज पैदा नहीं होता और अनाज की तंगी बड़े बड़े शहरों से ज्यादा रहती है, और अनाज ज्यादा मंहगा मिलता है, वहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन क्षेत्रों में अधिकांश भील, भिलाड़े, आदिवासी या कुछ हरिजन लोग रहते हैं। उन लोगों की आमदनी और रोजी का कोई जरिया (साधन) भी नहीं होता है। जब उन को अनाज लेना होता है, तो उन्हें बीस पच्चीस मील दूर शहर में जाना पड़ता है। शहरों में भी सस्ते अनाज की दुकानों से तो उन को अनाज मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल शहर वालों के लिए ही व्यवस्था होती है, और परिणाम यह होता है कि वे किसी व्यापारी के चंगुल में फंस जाते हैं और बहुत ऊंचे भाव पर अनाज हासिल करते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर केवल काटन और मूंगफली पैदा किए जाते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों को फूड-ग्रोइंग एरिया (खाद्य उत्पादन क्षेत्र) नहीं कहा जा सकता है। वहां पर अनाज के विषय में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वहां पर भी सस्ते अनाज की व्यवस्था की जाय, तो यह बहुत उचित होगा और गरीब आदिवासियों और हरिजनों का भला होगा।

श्री अवस्थी (बिल्हौर): कल राष्ट्रपति महोदय ने संसद् के सदस्यों के समक्ष जो भाषण दिया, उसके संबंध में मैं ने संशोधन संख्या २७ रखा है। सर्वप्रथम आप के द्वारा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अभी जो हमारे आम चुनाव हुए, जिन के जरिये से हम लोग निर्वाचित हो कर यहां आए हैं, उन का संचालन निर्वाचन आयोग ने किस मनमाने ढंग से किया और किस मनमाने ढंग से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ सलूक किया है।

श्रीमान् जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह चुनावों का संचालन करने के लिए कुछ नियम बनावे। भारत सरकार ने चुनाव सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार चुनाव आयोग के सुपुर्द कर दिया। निर्वाचन आयोग ने मनमाने ढंग से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ व्यवहार किया और मैं बतलाना चाहता हूं कि देश में कुछ प्रमुख वामपक्षी पार्टियों को अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान नहीं

[श्री अवस्थी]

की, उनको लिस्टस फ्री नहीं दी गई। उसने यहां तक मनमाने ढंग से व्यवहार किया कि कुछ राजनैतिक पार्टियों को विशेष सुविधायें प्रदान की जोकि दूसरी पार्टियों को नहीं की। इस सब का परिणाम यही हुआ है कि बहुत से जनता के प्रतिनिधि यहां पर नहीं आ सके हैं। मैं समझता हूं कि इस चीज का जिक्र भी राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण में करना चाहिए था।

राष्ट्रपति महोदय ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो सफलतायें प्राप्त हुई हैं उनका जिक्र किया है। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश में से बेकारी दूर करने के लिए देश में से भुखमरी को खत्म करने के लिए, देश को उन्नतिशील बनाने के लिए योजनायें बनाई लेकिन जो सफलता प्राप्त हुई है वह हमारे सामने है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं एक अध्यापक हूं और जो अध्यापक होता है वह जो कुछ भी कहता है बड़े ही निष्पक्ष भाव से कहता है और जब वह किसी विद्यार्थी की कापियों को जांचता है तब वह इस बात का ध्यान रखता है कि भले ही किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी ने किसी गणित के प्रश्न को बड़े अच्छे ढंग से हल करने की कोशिश की हो लेकिन जब उसका जवाब गलत आएगा तो कोई भी अध्यापक उसे परीक्षा में पास नहीं कर सकेगा। हो सकता है कि भारत सरकार ने तथा उसके मंत्रिगण ने अपने कार्य काल में बड़े बड़े काम किए हों, बड़े अच्छे काम किए हों लेकिन जब आप उन कार्यों के फलों को देखेंगे तो आप यह नहीं कह सकेंगे कि भारत सरकार को उनमे सफलता प्राप्त हुई है। मैं यह कह सकता हूं कि चाहे हमारे मंत्रिगण इस बात पर गर्व करें कि उन्हें सफलता मिली है लेकिन मैं तो इसके लिए सौ में से केवल बीस नम्बर ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात की चर्चा की है और इस बात का उपदेश दिया है कि जनता को चाहिए कि वह फिजूलखर्ची से बचें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने निष्पक्ष भाव से यह देखने की कोशिश की है कि फिजूलखर्ची कहां हो रही है? हमारा देश मुख्यतः कृषि प्रधान देश है और कृषक वर्ग ही यहां मुख्य रूप से रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति आज गिरती जा रही है, आज उसकी हालत दिनोदिन खराब होती जा रही है। लड़ाई के जमाने में जिस किसान के पास एक हजार रुपया था उसके पास आज दो सौ रुपए भी नहीं हैं। आज उसके पास पैसा नहीं है। उसकी क्रयशक्ति घटती जा रही है। उसके पास आज पैसे का अभाव है। तो जिन के पास पैसा नहीं है उनसे यह कहना कि फिजूलखर्ची कम करो, कुछ हास्यास्पद ही प्रतीत होता है। सच बात तो यह है कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में जो उपदेश आज सामान्य जनता को दिया है अगर वही उपदेश अपने माननीय मंत्रियों को और बड़े बड़े अफसरों को दिया होता जिन के द्वारा बहुत ज्यादा फिजूलखर्ची हो रही है तो शायद उसका कुछ अच्छा परिणाम निकल आता और इस उपदेश का अच्छा असर भी पड़ता।

इसी लोक-सभा में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास करवाया था जिस में यह कहा गया था कि इसका उद्देश्य देश में समाजवादी समाज व्यवस्था की रचना करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम सब समाजवाद की ही बातें करने लग गए हैं और जहां तक समाजवाद लाने का प्रश्न है इसमें कोई मतभेद नहीं है और हर कोई चाहता है कि समाजवाद आए। लेकिन केवल कह देने मात्र से ही समाजवाद नहीं आ जाता है, उसको लाने के लिए तो हमें कुछ प्रयास करना होता है। मेरी समझ में यह नहीं आया है कि इस समाजवाद को इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर कैसे उतारा जाएगा। इसको लाने के लिए हमारे सामने कोई ठोस कार्यक्रम नहीं रखा गया है। आप जानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत धन और धरती का जब तक उचित वितरण और उस पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक कोई भी शासन

व्यवस्था इस देश में समाजवाद नहीं ला सकती है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इस प्रकार का कोई भी संकेत नहीं किया है। आज हमारे देश के अन्दर कितनी ही भूमि पड़ी हुई है। अंग्रेजों ने अपने कार्यकाल में बड़े ही मनमाने ढंग से भूमि सम्बन्धी अनेक प्रकार के कानून बनाए थे। इसका परिणाम यह हो रहा है कि बहुत से प्रान्तों में जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बावजूद भी आज भूमि की समस्या हल नहीं हुई है और गांवों की दशा नहीं सुधरी है। जब तक भूमि का उचित वितरण नहीं होता तब तक कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है और किसानों की हालत नहीं सुधर सकती है। आज हमारे देश में ८० प्रतिशत किसान बसते हैं। उनका मुख्य धंधा खेती है। जब तक उन की हालत नहीं सुधरती तब तक इस देश की धरती पर समाजवाद नहीं आ सकता और यह पत्रों में या घोषणाओं में भले ही आ जाए। इसी तरह से धन का भी सवाल है। आज आप ने राजाओं और महाराजाओं के पद तो समाप्त कर दिए हैं लेकिन आज भी उनको कितनी ही रकम प्रिवी पर्स (निजी थैली) के रूप में दी जा रही है। आप आज चाहे यह कहें कि आपने बड़े बड़े कार्य किए हैं, राजाओं और महाराजाओं को खत्म कर दिया है लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इस देश में आज भी बड़े बड़े राजे और महाराजे ह जिनको आप प्रिवी पर्स के नाम पर शाही भेंट के नाम पर करोड़ों रुपया भेंट स्वरूप दे रहे हैं। अगर मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोखा नहीं देती तो मैं कह सकता हूं कि आपकी यही सरकारी रिपोर्टों (समाचारों) के अनुसार और शायद एक प्रश्न के उत्तर में यह सूचना दी गई थी कि लगभग ३५ करोड़ रुपया राजे महाराजाओं को प्रिवी पर्स (निजी थैली) के रूप में दिया जाता है। एक ओर तो आप यह कहते हैं कि आप देश में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं और दूसरी ओर आप करोड़ों रुपया उन लोगों को दे रहे हैं जिन के पास आज भी व्यक्तिगत रूप से में करोड़ों की सम्पत्ति है। इस चीज का भी राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया है। आज भी करोड़ों रुपया राजा और महाराजाओं को प्रिवी पर्स के रूप में भेंट किया जा रहा है जिस को कि बन्द कर देना चाहिए। यदि इस ओर राष्ट्रपति ने संकेत किया होता तो सम्भवतः हम लोगों को बड़ा आनन्द हुआ होता और हम अनुभव करते कि समाजवादी व्यवस्था को ठोस रूप से कायम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है।

राष्ट्रपति महोदय ने गृह नीति के साथ साथ वैदेशिक नीति की भी चर्चा की है। उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया है कि हमारी वैदेशिक नीति सफल रही है और हमारे सम्बन्ध दूसरे देशों के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण और स्नेहपूर्ण रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने अपनी विद्वत्ता के बल पर विदेशों में जाकर इस बात का प्रयास किया कि हमारे देश का विश्व के अन्य देशों के साथ अच्छा सम्बन्ध रहे और भारत सरकार की यह जो तटस्थता की नीति रही वह कहने सुनने में तो भले ही सुन्दर लगती हो लेकिन उसका व्यावहारिक परिणाम कुछ नहीं हुआ। मैंने जैसे आपसे पहले निवेदन किया कि भारत सरकार की गृह नीति फेल (असफल) हुई है, जहां तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय का सम्मान विदेशों में जाकर भले ही ऊंचा होता हो और वह स्वयं भी यह अनुभव करे कि उनकी विद्वत्ता के कारण हमारे देश का सम्मान बाहर के देशों में हो रहा है, लेकिन मैं इस को मानने को तैयार नहीं हूं।

मैं आपके द्वारा अदब के साथ नि दन करना चाहूंगा कि आज दुनिया में इस विषय में दो मत नहीं हैं कि आज की दुनिया दो गुटों में बंटी हुई है, एक गुट अमरीकन गुट है और दूसरा गुट रूसी गुट है। आज इन दो शक्तिशाली गुटों के बीच में सारे अन्य राष्ट्र चकाचौंध हो रहे हैं और दोनों गुटों का प्रयास हो रहा है कि अपनी अपनी ओर अन्य राष्ट्रों को खींचें। हमारी भारत सरकार की यह नीति रही है और उसने इस बात का प्रयास किया है कि हम दोनों गुटों को खुश रक्खें लेकिन जितना ही हमारी सरकार ने उन दोनों गुटों को खुश रखने का प्रयत्न किया उतना ही हम उन को खुश रखने में असफल

[श्री अवस्थी]

रहे हैं। अगर हम रूस से आये हुए अतिथियों का भारत में सम्मान करते हैं तो अमरीका में हमको सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है और अमरीका में उसके मुताल्लिक ऐडवर्स कमेंट्स (विरोधी टिप्पणियां) होते हैं और हमारी तटस्थता की नीति को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। उसी प्रकार यदि हम अमरीका से आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हैं तो फिर रूस में हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म (आलोचना) होता है और वे हमारी तटस्थता का नीति पर शक करते हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की जो वैदेशिक नीति रही है उस का कोई सफल परिणाम अभी तक नहीं निकला है उसका परिणाम तो हमने तब देखा जब काश्मीर के प्रश्न को हल करने पर जनमत लेने का प्रश्न सुरक्षा परिषद् के सामने आया। जिन राष्ट्रों को हम समझते थे कि वे हमारे मित्र हैं और हमारी सहायता करेंगे, उन राष्ट्रों में से हमारा किसी ने भी साथ नहीं दिया और जिस राष्ट्र के प्रति हम विशेष निष्ठा रखते हैं वह राष्ट्र बिल्कुल तटस्थ हो गया। इस तरह जनता ने बिल्कुल साफ तौर पर देख लिया कि वास्तव में भारत सरकार की वैदेशिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा है। आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान, गोआ, सीलोन और अफ्रीका आदि देशों में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं उनको कैसा अपमान का जीवन बिताना पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि हमारे प्रधान मंत्री महोदय पाकिस्तान में जायं तो उनका सम्मान होगा, गोआ में जायं तो उनका सम्मान होगा और प्रधान मंत्री के रूप में डा० सालजार उनका सम्मान करेंगे और अगर हमारे मंत्री महोदय अफ्रीका जायं तो वहां भी उनका सम्मान किया जायगा। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका संकेत दिया है कि हमारे मंत्री बहुत शीघ्र ही ब्रिटिश राष्ट्र मंडलीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और यह बात तय है कि वहाँ पर उनका सम्मान किया जायगा लेकिन मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि इस तरह का सम्मान तो एक औपचारिक रूप में हुआ करता है और इसी तरह से यह निष्कर्ष निकाल बैठना कि हमारे देश का सम्मान हो रहा है ठीक न होगा। मैं आपके द्वारा सदन् के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अगर आज भारतवर्ष का एक साधारण नागरिक अफ्रीका में जाय तो उसके साथ तो वही दुर्व्यवहार किया जायगा जो मलान गवर्नमेंट किया करती थी। अगर कोई भारतीय सीलोन (श्रीलंका) जाय तो उसको अधिकार नहीं मिलेंगे और गोआ में आपने देख ही लिया कि अगर कोई भारतीय नागरिक जाय तो उसको जेलखाना मिलेगा। हमारे देश का सम्मान तो वास्तव में तब बढ़ा हुआ माना जायगा जब प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक का साधारण से साधारण नागरिक अगर विदेशों में जाय तो उसका वहां पर सम्मान हो अन्यथा नहीं। क्योंकि यह आप क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश का जो मतदाता है और करदाता है वह सचमुच देश का मालिक है और आज चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या यह हमारी वैदेशिक नीति की असफलता नहीं है। अगर भारतवर्ष की वैदेशिक नीति निश्चित् रूप से स्पष्ट हुई होती तो उसने अगुवाई की होती और छोटे छोटे राष्ट्रों को लेकर वह एक तीसरा गुट बना सकता था। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब रूस और अमरीका यह दो शक्तिशाली देश दो गुटों में विभक्त हैं और अन्य राष्ट्रों को अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके की खींचतान कर रहे हैं, जबान से दोनों शान्ति की बातें करते हैं लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने वहां अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं और जंगी तैयारियां कर रहे हैं, तब भारतवर्ष की वैदेशिक नीति निश्चित् रूप से स्पष्ट हुई होती और उसने तीसरे गुट का निर्माण किया होता और हमारे प्रधान मंत्री महोदय उसके नेता बने होते तो मैं समझता कि भारतवर्ष विश्व में अपना प्रभावशाली स्थान बना सकने में समर्थ होता।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे भारतवर्ष की वैदेशिक नीति और गृह नीति के अन्तर्गत जहां योजना की बात की गई है और कहा गया है कि योजना सफल हो रही है, तो मैं सदन को आपके द्वारा बतलाना चाहूंगा कि आज एक तरफ तो योजना चल रही है और कर बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और भुखमरी बढ़ती जा रही है। हमारे देश में रिक्शे वालों,

तांगे वालों, टैक्सी वालों और खोमचे वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं तो समझता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर सचमुच में सफल हुई होती तो इस देश में गरीबों की संख्या न बढ़ती। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना बड़ी आकर्षक योजना है।

योजना बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। भारत में यह योजना की गति आश्चर्यजनक है। राष्ट्रपति महोदय ने बहुत से तथ्यों को जो कि वास्तविक थे उनको अपने अभिभाषण में नहीं रक्खा और उनकी ओर मैं ने जो कुछ निवेदन किया है और इस सम्बन्ध में जो मेरे संशोधन हैं, उन पर आप और इस सदन के माननीय सदस्य विचार करें और मैं चाहूंगा कि जो सही बात है उसको स्वीकार किया जाय और जो हमारे में कमियां हैं उनको स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि इससे तो दुनिया में सम्मान ही मिलेगा और हम झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश न करें।

†**श्री अचर** (मंगलौर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे संकोच और हर्ष दोनों का अनुभव होता है। मैं अपने प्रदेश अर्थात् देश के दक्षिण-पश्चिम के भाग से सम्बन्धित कुछ बातों को लूंगा।

राज्य पुनर्गठन में दक्षिण कनारा जिला को मैसूर राज्य में मिला दिया गया है। करनाटक राज्य के निर्माण पर उस प्रदेश के सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और मैं उन की ओर से धन्यवाद करता हूं।

नव राज्य निर्माण के बारे में बहुत सी शिकायतें की गई हैं। निस्सन्देह दक्षिण कनारा की भी अपनी समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए केसरगोड़ का विवाद ही है। परन्तु जिस प्रसन्नतापूर्ण ंग में राज्य संगठन के मामले को सुलझाया गया है उससे मेरा सारा निर्वाचन क्षेत्र संतुष्ट है।

गोआ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह प्रदेश भारत का भाग है, वह भारत का अंग है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि इस समस्या को अभी तक सुलझाया नहीं गया। मैं पूछता हूं कि वे इस का क्या हल बताते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि हम गोआ की सहायता नहीं करेंगे। परन्तु इस घोषणा से समस्या हल हो जाएगी ? क्या वे सुझाव देंगे कि हमें गोआ पर सैनिक आक्रमण करना चाहिये ? हमारे प्रधान मंत्री ने यह कई बार कहा है कि गोआ हमारे देश का अंग है और हम इस के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु क्या इस का यह अभिप्राय है कि हम इस प्रश्न पर युद्ध घोषणा करेंगे ?

प्राय: दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका का उल्लेख करके सरकार की नीति की असफलता की ओर संकेत किया जाता है। परन्तु फ्रांसीसी बस्तियों का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता ? वहां हम बिना गोली ंदूक के सफल हुए हैं। हमें अब भी प्रतीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये कि हमारी शांति की नीति सफल होती है अथवा नहीं।

हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, अत: गोआ के सम्बन्ध में भी हमें अपनी उसी राष्ट्रीय नीति का पालन करना होगा और हमें आशा है कि हम इस नीति में सफल होंगे।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं अपने संशोधन ७९ और ५८ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा पहला संशोधन आण्विक शस्त्रों के विस्फोट के संबंध में है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि एक ओर आण्विक विस्फोट के प्रयोगों के समाचार मिल रहे हैं और दूसरी ओर फारमोसा में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाणिग्रही]

'गाइडेड मिसाइल्ज' लगाये जा रहे हैं। इस से सुदूर पूर्व की शांति को बहुत खतरा है। फारमोसा में "माटाडोर" की इन स्थापनाओं से वस्तुतः भारत को भी खतरा है।

दूसरे संशोधन में मैं यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की उन सिफारिशों को ला ू किया जाएगा जिनमें उसने विभिन्न भाषा भाषी लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिये कहा है। आयोग ने इस ओर संकेत किया था कि राज्य पुनर्गठन के पश्चात् विभिन्न भाषा भाषी वर्गों के कारण विभिन्न राज्यों में समस्यायें पैदा होंगी। उदाहरणतः बिहार में रहने वाले उड़िया लोगों की ऐसी ही कठिन स्थिति है।

जब वहां आंदोलन चल रहा था तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषा भाषी वर्गों को विशेषाधिकार दिये जायेंगे और उनके बच्चों को अपनी भाषा पढ़ने की सुविधा दी जाएगी । परन्तु इन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जा रहा।

हमें यह भी कहा गया था कि विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्र सम्बन्धी छोटा मोटा समायोजन प्रा`शिक परिषद् करेंगी। परन्तु सरायकेला और खर्सवान की क्षेत्र सम्बन्धी साधारण समस्या को अभी तक हल नहीं किया गया।

श्री यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, मैं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना और पढ़ा भी और समझा था कि देश की सारी स्थिति का वर्णन उनके अभिभाषण में होगा । किन्तु यह जानकर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि उसमें बहुत सी जरूरी चीजें छूट गयी हैं। जो भी चीजें इस अभिभाषण में छूट गयी हैं उनमें भाषा का प्रश्न भी बहुत अहम है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में भाषा का प्रश्न कितना जटिल है। हमारे देश में कहीं बंगला बोली जाती है, कहीं तामिल बोली जाती है, कहीं तेलगू बोली जाती है, कहीं हिन्दी या उर्दू बोली जाती है और कहीं अंग्रेजी बोली जाती है। पहले मुझे यह प्रश्न इतना जटिल नहीं मालूम होता था परन्तु जब मैं इस सदन में आया और `खा कि यहां माननीय सदस्यों ने मुख्तलिफ भाषाओं में शपथ ग्रहण की और अपनी अपनी भाषाओं में भाषण दने शुरू किये, तो मुझे भाषा की जटिलता का पूरी तरह पता लगा। मैं तो थोड़ी अंग्रेजी जानता हूं लेकिन मैं इस बात से परेशान हो जाता हूं कि बहुत से भाई जो केवल हिन्दी भाषा जानते हैं और अन्य प्रान्तीय भाषा जानते हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी जब कि यहां मनचाही भाषा में लोग भाषण दे`हैं। तो यह भाषा की एक जटिल समस्या है। हम जानते हैं कि हमारी सरकार ` हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना है लेकिन आज देश को आजाद हुए दस वर्ष हो चुके हैं पर अभी तक हिन्दी राष्ट्रभाषा के स्थान पर नहीं आ पायी है। राष्ट्रभाषा के स्थान पर आने की तो बात ही नहीं है, अभी इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया है। यदि हमारे देश में एक भाषा बन जाये तो देश की एकता के लिए कितनी हितकर हो और हम लोगों को आपस में विचारों का आदान प्रदान करना कितना आसान हो जाये ।

कुछ माननीय सदस्य जो यहां पर बैठे हैं वे शायद यह समझते हैं कि हिन्दी उन पर ज़बरदस्ती लादी जा रही है। मैं निहायत अदब से उन माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरा नुक्तानजर तो यह है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो और उसके साथ जितनी भी क्षेत्रीय भाषायें हैं उन सब को तरक्की दी जाये और बढ़ावा दिया जाये। तो आज जब कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल है और उसके कारण यह सब बातें चल रही हैं, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका जिक्र न होने से अचम्भा होता है और इससे मालूम होता है कि सरकार का ध्यान इतनी बड़ी समस्या की ओर नहीं गया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश, जो इस देश का एक बहुत बड़ा प्रान्त है, उसमें आज भाषा के प्रश्न को लेकर जन आन्दोलन हो रहा है। कहा जाता है कि वहां के मुख्य मंत्री ने कहा है कि हमारे पास सारे टेकनालाजीकल शब्द अच्छे नहीं हैं, जिनको उपलब्ध करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए हम हिन्दी को पूरी तरह लागू नहीं कर सकते। जब इस तरह की समस्यायें चल रही हों और राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इस बात का जिक्र न हो तो यह बहुत अचम्भे की बात है।

आज हर स्तर पर, चाहे स्थानीय स्तर हो या प्रान्तीय स्तर हो, हम भ्रष्टाचार का हर जगह बोलबाला पाते हैं। जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं शायद हमारी सरकार यह नहीं समझती कि वे किस प्रकार फेल हो रही हैं लेकिन वह दिन जल्द आवेगा जब उन्हें मजबूर होकर यह कहना पड़ेगा कि हमारी पंचवर्षीय योजनायें फेल हो चुकी हैं। इसका एक कारण बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हर जगह भ्रष्टाचार है। इसी सदन में दामोदर वैली योजना के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा हो चुकी है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि प्लानिंग विभाग में जितना खर्च होता है उसका लगभग तीस प्रतिशत भ्रष्टाचार में चला जाता है। जब यह हाल है फिर भी इसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं आया इसका भी अचम्भा है। इसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना चाहिए था। आज जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं उनमें जनता को कोई उत्साह नहीं है। आज सरकारी पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि यह पंचवर्षीय योजना समाज के भले के लिए है। लेकिन जनता को इन योजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। जनता को इन से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा क्यों है? मैं निवेदन करूंगा कि इसका कारण यह है कि सरकार ने प्लानिंग विभाग को इस तरह बनाया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऊपर से लादा गया है। इन योजनाओं में गांवों को और ग्राम पंचायतों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है और न उनका सहयोग प्राप्त करने की किसी प्रकार की भी कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि आज लोगों में इन योजनाओं के प्रति उत्साह नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्लानिंग विभाग क्या है। असल यह सारा काम कुछ सरकारी लोगों तक सीमित है और कुछ नये नये महकमे खुल गये हैं। उत्तर प्रदेश में तो लोग यह कहते हैं कि यह प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ महकमा गुंजाइश हो गया है जिसमें कुछ लोगों को नौकरी दिलायी जाती है। यह कुछ पैसे बनाने का चक्कर रहता है। लोगों के इस तरह के विचारों का कारण यही है कि जनता का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया जाता। सिर्फ सरकारी नौकरों के स्तर पर यह काम चलता है।

चुनाव के सम्बन्ध में सरकार के पक्ष से यह कहा गया और सरकार की बहुत बड़ी बधाई दी गयी कि इतना बड़ा चुनाव बड़ी सफलता के साथ निभ गया। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा चुनाव हुआ लेकिन इस सरकार ने और चुनाव आयोग ने ऐसे ढंग से काम किया है कि अगर उस पर ध्यान दिया जाय तो सारे का सारा चुनाव रद्द किया जा सकता है। संविधान के अन्तर्गत यह चुनाव कमिशन को यह अधिकार नहीं है कि एक उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार के बीच में किसी प्रकार का फर्क करे। लेकिन चुनाव आयोग ने इस कायदे और कानून को तोड़कर एक रूल ऐसा बना दिया कि किसी एक पक्ष को एक चुनाव निशान मुकर्रर कर दिया जाय। अब आप देखें कि एक पार्टी या व्यक्तियों के समूह को तो एक चुनाव प्रतीक नियुक्त कर दिया जाता है।

इस के बिल्कुल विपरीत आज़ाद उम्मीदवारों और अन्य पार्टियों को, जिन को चुनाव कमीशन ने धांधली से मान्यता प्रदान नहीं की है, एन वक्त पर चुनाव-प्रतीक दिए जाते हैं, जिस का परिणाम यह होता है कि उन को सिर्फ पंद्रह बीस दिन में ही उस का प्रचार करना होता है। यह विधान का सीधा उल्लंघन है। यही नहीं, जो और मान्य पार्टियां हैं, उन को सरकार और चुनाव कमीशन, दोनों ने मिलकर, वोटर्ज लिस्ट—मतदाता सूची—मुफ्त में दे दी, जो कि लगभग सात आठ लाख रुपए

[श्री यादव]

की आती है और इस प्रकार चुनाव का संचालन किया गया कि अगर यह मामला किसी हाई कोर्ट, या बड़ी अदालत में जाय, या इस माननीय सदन के सदस्य ही इस पर विचार करें, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि यह चुनाव कायदे-कानून के खिलाफ हुआ और अगर ऐसा न होता तो विभिन्न दलों और उम्मीदवारों के साथ मान्यता-अमान्यता के आधार पर व्यवहार न किया जाता, जैसा कि किया गया है, तो चुनाव का फल कुछ दूसरा ही होता ।

इस भाषण में छूआ-छूत का कोई जिक्र नहीं किया गया है । यह जरूर है कि सरकारी पक्ष के एक सदस्य महोदय ने अपने दौराने-तकरीर में इस का जिक्र किया और दावा किया कि इस सरकार ने छुआ-छूत को दूर किया । मैं आपके द्वारा निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक वर्ष पहले विश्वनाथ मन्दिर को ले कर एक बड़ा आन्दोलन शुरू हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की हठवादिता और कुछ धर्मान्ध लोगों के कारण हरिजन लोग विश्वनाथ मन्दिर में नहीं जा रहे थे, जबकि इसी संसद् ने एक अनटचेबिलिटी आफेन्सिज एक्ट (अस्पृश्यता अपराध अधिनियम) पहले ही पास कर रखा था, जिस के अन्तर्गत कोई भी आदमी किसी भी आदमी को अछूत करार नहीं दे सकता और अगर देगा तो सजा पायेगा और अगर कोई मुकद्दमा इस विषय में चल रहा होगा, तो वह खतम हो जायगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन का सारे देश में बड़ा सम्मान है और यह सदन सारे देश के लिए कायदे-कानून बनाता है, लेकिन यह बड़ी विचित्र बात है कि पड़ौस के एक सूबे में, जिससे कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री का विशेष सम्बन्ध है, अदालत वहां के हरिजनों को आज्ञा देती है—टेम्पोरेरी इन्जंक्शन (अस्थाई आदेश) जारी करती है—कि वे उस मन्दिर में न जायं । मैं समझता हूं कि इस पार्लियामेंट (संसद्) की इससे ज्यादा बेइज्जती कहीं न हुई होगी, जैसी कि वहां हुई । इस प्रकार की बातें हो रही हैं और फिर भी कहा जा रहा है कि इस देश में छूआ-छूत का अन्त किया जा रहा है और बड़ी तब्दीली लाई जा रही है । सरकार के सभी माननीय सदस्यों और खास तौर से माननीय प्रधान मंत्री को समाजवाद शब्द के इस्तेमाल करने का बड़ा शौक है और इस का थोड़ा जिक्र भाषण में भी किया गया है । लेकिन समाजवाद कोरी जबान से नहीं आने वाला है । जब तक सम्पत्ति और धन का बंटवारा नहीं किया जाता है, तब तक समाजवाद यहां स्थापित नहीं हो सकता है ।

एक बात और मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आज हमारे देश में प्राइस लूट—दामों की लूट—चल रही है। जो चीज किसान पैदा करते हैं और जो चीज इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योगपति)—बड़े बड़े कल-कारखानेदार—पैदा करते हैं, उन दोनों के दामों में अन्तर बराबर बढ़ता जा रहा है । जो चीज इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योगपति) पैदा करते हैं, उन के दामों में बराबर दस साल से किसी किस्म की गिरावट नहीं हुई है । हो सकता है कि कुछ वृद्धि भले ही हुई हो । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । जब अंग्रेजी सरकार यहां पर थी, तो गन्ना दो, पौने दो रुपए मन बिकता था और शक्कर-चीनी नौ आने सेर बिकती थी । लेकिन जब अंग्रेज यहां से चले गए, तो गन्ने का दाम एक रुपया पांच आने, एक रुपया सात आने रख दिया गया । इस तरह चीनी का दाम घटना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि चीनी तेरह, चौदह आने सेर के हिसाब से बिकने लगी । चूंकि गन्ना किसान पैदा करता है, इसलिए उस के दाम घट गए और चीनी कारखानेदार पैदा करता है, इसलिए उस के दाम बढ़ गए । जैसा कि मैंने अभी कहा है, राष्ट्रपति महोदय के भाषण में एग्रीकलचरल और इंडस्ट्रियल प्राडक्ट्स की प्राइसिज में जो डिसपैरिटी है, उस का जिक्र नहीं किया गया है ।

मैं एक उदाहरण और देता हूं । शायद माननीय सदस्य न जानते हों कि अफीम—जो कि शायद केन्द्रीय विभाग के अधीन है—सोलह रुपए से बत्तीस रुपए मन तक किसान से खरीदी जाती है—लेकिन उस अफीम को बड़े बड़े ठेकेदार छः सौ रुपये मन से अधिक पर बेचते हैं ।

श्री कासलीवाल (कोटा) : यह गलत है ।

श्री यादव : मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यदि माननीय सदस्य इस बात को कंट्राडिक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन को समय मिल जायगा । मैं समझता हूं कि वह एक पुराना सदस्य है और उसे प्रक्रिया का पता होना चाहिए । उन को अब दखल नहीं देना चाहिए ।

इस प्रकार दामों की लूट बराबर चल रही है, जिस का जिक्र भाषण में नहीं किया गया है । जब तक एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्राडक्ट्स के दामों में कोई पैरिटी नहीं होगी, उन में कोई रिश्ता नहीं होगा, तब तक समाजवाद नहीं आ सकता है । चाहे उस का ढोल कितना ही क्यों न पीटा जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार १५ मई, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १४ मई, १९५७] पृष्ठ

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ४३

विशेषाधिकार प्रश्न ४३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४३–६८

तारांकित

प्रश्न संख्या **विषय**

१.	काश्मीर के सम्बन्ध में श्री जारिंग की रिपोर्ट	४३–४५
३.	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	४५–४८
४.	औद्योगिक विकास	४८–५०
६.	हथकरघा उत्पाद	५०–५१
७.	तुंगभद्रा शटर निर्माण कारखाना	५१–५२
८.	कागज का उत्पादन	५२–५३
९.	आयात पर प्रतिबन्ध	५३–५४
१०.	स्वेज़ नहर से गुजरने वाले भारतीय जहाज	५४–५५
११.	करल में भारत सरकार का मुद्रणालय	५५–५६
१३.	पाकिस्तान द्वारा पारपत्रों की ज़ब्ती	५६–५७
१४.	शंकर मार्केट	५७–५८
१५.	रांची में विस्थापित व्यक्ति	५८–५९
१६.	टैलीविजन	५५–६०
१८.	महावाणिज्य दूत का कार्यालय, न्यूयार्क	६१–६२
१९.	भारतीय श्रम सम्मेलन	६२
२०.	चश्मे के काच का कारखाना	६३
२१.	भारतीय व्यापार केन्द्र, न्यूयार्क	६४
२३.	कोयला खान श्रमिक	६४–६६

अल्पसूचना

प्रश्न संख्या

१.	लाहौर की पुलिस द्वारा रोके गये भारतीय पदाधिकारी	६६–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ६८–७६

तारांकित

प्रश्न संख्या

५.	प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति	६८
१७.	वाणिज्यिक संस्थापनों में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	६८–६९
२१.	आकाशवाणी द्वारा संस्कृत के कार्यक्रम	६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१.	पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा में काम करने के स्थानों पर कैम्प . .	६९–७०
२.	केरल राज्य में औद्योगिक विकास	७०
४.	पश्चिमी पाकिस्तान से प्रव्रजन . .	७०
५.	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय	७०
६.	अम्बर चर्खा जांच समिति	७०–७१
७.	कलकत्ता में सरकारी क्वार्टर .	७१
८.	औद्योगिक बस्ती, लुधियाना . .	७१
९.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटड .	७२
१०.	चल सम्पत्ति सम्बन्धी भारत-पाक करार . .	७२
११.	अस्पृश्यता पर चलचित्र . .	७३
१२.	राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड .	७३
१३.	गन्दी बस्तियों की सफाई . . .	७३–७४
१४.	काम दिलाऊ दफ्तर .	७४
१५.	भारी पानी का उत्पादन . . .	७४
१६.	सोवियत रूस के साथ व्यापार	७५
१७.	काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति . .	७५–७६

स्थगन प्रस्ताव . . ७७–७८

रेलवे मंत्री और प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों के कारण अध्यक्ष ने उस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जिस की सूचना श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा महबूबनगर रेल दुर्घटना जांच आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय के बारे में दी गई थी।

सभापति तालिका ७९

अध्यक्ष ने सभा को बताया कि उसने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका का सदस्य नियुक्त किया है :—

(१) सरदार हुकम सिंह

(२) पंडित ठाकुर दास भार्गव

(३) श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन

(४) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

(५) श्री फ्रैंक एन्थनी

(६) श्री अ० म० थामस

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७९–८१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति—

(एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड का १९५५-५६ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक प्राइवेट लिमिटेड १९५५–५६ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अधीन २३ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ९०४ की एक प्रति ।

(३) मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) पहला विवरण	पहली लोक-सभा का पन्द्रहवां सत्र, १९५७
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४	पहली लोक-सभा का चौदहवां सत्र, १९५६
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ११	पहली लोक-सभा का तेरहवां सत्र १९५६
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १७	पहली लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १९	पहली लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या २२	पहली लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५

(४) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम १९५६ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अधीन २३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या ५(८)। ५७ के० वी० ई० की एक प्रति ।

(५) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियम, १९५७ की एक प्रति ।

(६) ३१ जुलाई, १९५५ तथा ३१ अक्तूबर, १९५६ के बीच हुए उप-चुनावों के परिणामों की एक प्रति ।

(७) लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचकों का प्रबन्ध करना और निर्वाचन

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः) पृष्ठ

याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) १६ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७१९।

(दो) १६ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०६८।

(तीन) ४ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४१२।

(८) लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अधीन लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना की एक प्रति।

(९) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) २३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १२८१।

(दो) ७ मई १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४३५।

(१०) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अधीन ४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३८० में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार से अपील) नियम, १९५७ की एक प्रति।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ८१–८६

श्री सें० वें० रामस्वामी ने खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया।

खाद्य तथा कृषि मंत्री ने उस के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

समितियों के निर्वाचन ८६–८७

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) ने लोक-सभा के सदस्यों में से भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(२) खाद्य उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा) ने लोक-सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित समितियों के सदस्यों के लिये चुनाव का प्रस्ताव किया :—

(एक) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति,

(दो) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति, और

(तीन) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति।

रेलवे आय-व्यय की उपस्थापना ८७–९६

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवनराम) ने वर्ष, १९५७–५८ के लिये रेलवे के सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ९६–१३५

श्री तिरुमल राव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, १५ मई, १९५७ के लिये कार्यावलि—

राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा तथा सामान्य आय-व्यय की उपस्थापना।